



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249226
CG-DL-E-06102023-249226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, मंगलवार अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 259]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: ओआई-(06/2022)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न (वीएफवाई)" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/06/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

- एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) और मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "घरेलू उद्योग" अथवा "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न" जिसे वी एफ वाई (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के

आयातों के संबंध में इस अधिनियम और नियमावली के तहत पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध करते हुए के लिए एक आवेदन ("याचिका के रूप में भी संदर्भित") प्राप्त हुआ है। आवेदक नामतः मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस आवेदन में निर्धारित सूचना प्रदान की है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 अधिसूचना सं. 6/06/2022-डीजीटीआर के माध्यम से आम सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार इस जांच को शुरू करने की कार्रवाई करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार दिनांक 30 सितंबर, 2022 को जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराने की और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - v. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।
 - vi. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन.गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।
 - i. एचएमईआई श्रेड कंपनी लिमिटेड
 - ii. जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - iii. जिनजियांग बाइलू केमिकल फाइबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड।
 - iv. यिबिन ग्रेस कंपनी लिमिटेड
 - v. यिबिन हीस्ट फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - vii. चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
 - i. बाओडिंग हेंगजिन सिल्क श्रेड कंपनी लिमिटेड
 - ii. बोडिंग हेंगजिन सिल्क श्रेड कंपनी लिमिटेड
 - iii. गोएक्सियन चांगक्सिन श्रेड एलएलसी
 - iv. ग्रेस (हांगकांग) इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड
 - v. जिलिन केमिकल फाइबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड
 - vi. जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड
 - vii. जिलिन टॉप ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 - viii. प्रो-मेक्सएक्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

- ix. सिचुआन वेलथो इंटरनेशनल ट्रेड पीटीई लिमिटेड
- x. जिंगज़ियांग केमशियल फाइबर कंपनी लिमिटेड
- xi. यिबिन चांगक्सिन थ्रेड कंपनी लिमिटेड
- xii. यिबिन हाईएस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन
- viii. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार, भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना और प्रश्नावली की एक प्रति अग्रेषित की।
- i. अग्रवाल फैबटेक्स प्रा. लिमिटेड
- ii. अमृत रेयॉन लिमिटेड
- iii. एआर कॉर्पोरेशन
- iv. बेल टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड
- v. बिट्टू सिंथेटिक्स
- vi. चुन्नीलाल कुन्दनमल्ल
- vii. डोरीवाला इंडस्ट्रीज
- viii. हार्दिक फैशन
- ix. कृष्ण सेल्स कॉर्पोरेशन
- x. लिबर्टी ट्रेडिंज प्रा. लिमिटेड
- xi. मनोहर कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
- xii. मारवाडी ब्रदर्स
- xiii. मीनाक्षी ग्रुप प्रा. लिमिटेड
- xiv. मेहर इंटरनेशनल
- xv. राजमल संस एंड ग्रुप
- xvi. रामचन्द्र आर्ट सिल्क यार्न ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- xvii. शाह ट्रेडिंग कंपनी
- xviii. शांति टेक्सटाइल्स
- xix. श्री गोविंदराज ट्रेडिंग कंपनी
- xx. तेजोदय डाइंग एवं प्रिंटिंग वर्क्स
- xxi. दि मैट्रिक्स एंटरप्राइज
- xxii. ऊर्जा एक्विजिशन प्रा. लिमिटेड
- xxiii. व्यापार कॉम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ix. भारत में निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोगकर्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातकों/ प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
- i. ए.आर. कॉर्पोरेशन
- ii. आनंद अपैरल्स
- iii. बैट्सन टेक्सटाइल्स
- iv. चिन्को टेक्सटाइल्स
- v. धार्मिक टेक्सटाइल

- vi. ईगल सिल्क मिल्स प्रा. लिमिटेड
 - vii. गोल्डन सिंथेटिक्स
 - viii. हनुमान वीवेटेक
 - ix. आई एम पटेल एंड संस
 - x. जलाराम टेक्सटाइल्स
 - xi. जश रेयॉन
 - xii. मेकर फिलामेंट्स
 - xiii. मेहर फिलामेंट
 - xiv. मेहर इंटरनेशनल
 - xv. पलक टेक्स
 - xvi. प्रकाश टेक्सटाइल्स
 - xvii. आर आर टेक्स
 - xviii. रीघन फैशन प्रा. लिमिटेड
 - xix. रूही टेक्स
 - xx. सत्यम साइजिंग
 - xxi. श्री भुवनेश्वरी टेक्सटाइल्स
 - xxii. श्यामलाल गोयल फैब्रिक्स प्रा. लिमिटेड
 - xxiii. सिल्क पॉली फैब
 - xxiv. टेलर एंड टेलर फैब
 - xxv. ऊर्जा एक्विजिमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- x. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 की जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद की निष्पक्ष तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया।
 - xi. प्राधिकारी ने प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की और उसके बाद पीसीएन पद्धति के बारे में अंतिम फैसला लेने के लिए दिनांक 14 नवंबर, 2022 को एक बैठक आयोजित की। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया था कि वे तत्पश्चात प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें।
 - xii. मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और उसके बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 29 नवंबर, 2022 को अंतिम पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।
 - xiii. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर इन हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 27 दिसंबर, 2022 तक का समय विस्तार दिया।
 - xiv. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर इनपुट्स प्राप्त करने के लिए दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को वस्त्र मंत्रालय सहित इन हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली ("ईआईक्यू" कहा गया है) भी जारी की। सभी पक्षकारों से प्राप्त सूचना पर वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया गया है।
 - xv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसके साथ उनमें से सभी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।
 - xvi. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12माह) है। क्षति के विश्लेषण की अवधि में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।

- xvii. जांच की अवधि के लिए तथा पिछले तीन वर्षों के लिए लेनदेन वार आयात आंकड़े वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी प्रणाली से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xviii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़े का सत्यापन आवश्यक मानी गई सीमा तक की गई है और इन जांच परिणामों के उद्देश्य से उस पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के परिसरों में भौतिक सत्यापन भी किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के माध्यम से संबद्ध देश के उत्तर देने वाले निर्यातकों के आंकड़ों का भी सत्यापन किया है।
- xix. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हाइब्रिड मोड में 16 जून, 2023 को आयोजित आम सुनवाई में अवसर प्रदान किया। उन पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित अनुरोध तथा उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोधों को साझा किया और उन्हें इनका खंडन करने प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना का समर्थन उस सीमा तक किया गया जिस सीमा तक उसके लिए साक्ष्य मौजूद था और वर्तमान जांच के लिए उन्हें संगत माना गया, इस अंतिम जांच परिणामों में इस प्राधिकारी द्वारा उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया।
- xxi. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है, की सटीकता के संबंध में संभव सीमा तक अपने आपको संतुष्ट किया और संगत मानी गई सीमा तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- xxii. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्त के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के इन दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन न की गई सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।
- xxiii. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना, 21 सितंबर 2023 को इच्छुक पार्टियों को जारी किया गया था और इच्छुक पार्टियों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 26 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम खोज अधिसूचना में, इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर, प्रासंगिक सीमा तक विचार किया गया है।
- xxiv. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी पक्षकार के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है।
- xxv. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" का गया है) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में और सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध-111 के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत और उचित लाभों के आधार पर इस तथ्य की जांच करने के लिए किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xxvi. इस अंतिम जांच परिणामों में '****' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxvii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा ली गई विनिमय दर 1 अम.डा. = 75.37 रूपए है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु
- ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है :

- क. यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद बिल्कुल वही हो जैसाकि पाटित उत्पाद हो। यदि पाटित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे उत्पाद बिल्कुल एक जैसे नहीं भी हों, लेकिन एक दूसरे के सदृश अथवा समान हों तब उन्हें जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है। ब्लैक लॉज डिक्शनरी "सदृश" शब्द को एक दूसरे के समान परिभाषित करता है। यह पारिभाषिक शब्द "समान" का पर्याय नहीं है जिसका अभिप्राय "बिल्कुल वही" है।
- ख. बुनकर पीएसवाई अथवा एसएसवाई यार्न का उपयोग करते हुए निर्मित फैब्रिक्स के बीच अंतर किए बिना उसी प्रकार के फैब्रिक का निर्माण करने के लिए पीएसवाई और एसएसवाई निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किए गए वीएफवाई का उपयोग करते हैं।
- ग. पीएसवाई और एसएसवाई प्रौद्योगिकी यार्न की कीमतें लगभग एक ही दायरे में हैं। एसएसवाई एक उच्च कीमत वाला उत्पाद नहीं है।
- घ. निर्माण करने की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बिना, उत्पादन किए गए यार्न अपनी आवश्यक विशेषताओं में एक जैसे हैं और उनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है।
- ङ. पीएसवाई के सुपर फाइन डेनियर्स के आयात सुपर फाइन डेनियर्स में एसएसवाई की बिक्री से अधिक है।
- च. जांच की अवधि और 2022-23 में सुपर फाइन डेनियर्स का कुल आयात आवेदक के कुल घरेलू उत्पादन के दो गुना से अधिक है। इस कारण से, आवेदक का यह तर्क कि एसएसवाई की बिक्री सुपर फाइन डेनियर्स में की जाती है जिनका आयात नहीं किया जाता है, सही नहीं है।
- छ. प्राधिकारी ने दिनांक 29 नवंबर, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से पीयूसी के दायरे में एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए वीएफवाई को शामिल किया है। इस अधिसूचना ने पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति के बारे में अंतिम निर्णय दिया है और यह जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना का अधिक्रमण करता है।
- ज. आवेदक ने सुनवाई के समय पहली बार यह तर्क दिया है कि अन्य प्रकार के रेयन को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। 9 महीने से अधिक का समय जांच की शुरुआत से बीत चुका है और घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि क्यूप्रामोनियम और बेमबर्ग यार्न विस्कोस यार्न हैं।
- झ. चूंकि क्यूप्रामोनियम और बेमबर्ग यार्न उत्पाद न तो चीन को आयात किए जाते हैं और नही भारत में इनका उत्पादन किया जाता है। अतः इन उत्पादों को शामिल करने से वर्तमान जांच पर पूर्ण रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ञ. विस्कोस रेयन और क्यूप्रामोनियम रेयन की परिभाषा जैसा कि स्वयं अध्याय 54 में दिया गया है, यह दर्शाता है कि ये अलग-अलग उत्पाद हैं।
- ट. आवेदक को अवश्य यह साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए कि क्यूप्रामोनियम रेयन, बेमबर्ग रेयन और लियोसैल का वाणिज्यिक रूप से और कार्यात्मक रूप से विस्कोस के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
- ठ. लो ग्लू डल यार्न को जांच के दायरे से बाहर रखना चाहिए क्योंकि आवेदक ने इस उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है।
- ड. प्राधिकारी को इसके बारे में भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कोन 120 डी/2 पर 100 प्रतिशत रेयन कशीदाकारी धागा, कच्चा सफेद और हैंक 120/डी/2 पर 100 प्रतिशत रेयन कशीदाकारी धागा कच्चा श्वेत को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ढ. प्राधिकारी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 60 डेनियर से कम का विस्कोस फिलामेंट यार्न को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ण. कच्चे माल के रूप में बांस के पल्प और कपास के पल्प का उपयोग करते हुए आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद को बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि उसका उसका उत्पादन आवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है।
- त. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए यार्न की महीनता के अनुरूप नहीं है जिसके फलस्वरूप यार्न की बर्बादी होती है।

- थ. घरेलू उद्योग अपेक्षाकृत लघु और असमतल आकारों के कोन की आपूर्ति करता है। मशीनों को लगातार रोकने के फलस्वरूप बुनकरों के उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है।
- द. अपेक्षाकृत लघु आकारों में कोन के फलस्वरूप उत्पादन में बहुत अधिक हानि होती है। इस कारण से, प्रयोक्ता विचाराधीन उत्पाद का आयात करना पसंद करते हैं।
- ध. यीबिन हीस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्यात किया गया कशीदाकारी धागा एक डाउन स्ट्रीम है जो इस उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार रहता है। इसे लघु बोबिन तथा बड़े कोन को शामिल करते हुए सभी रूपों में बाहर रखा जाना चाहिए।
- न. कोन अथवा हैंक पर कशीदाकारी धागा, सामान्य तौर पर कशीदाकारी मशीन पर उपयोग किए जाने के पूर्व एक लघु बोबिन पर स्थानांतरित किया जाता है लेकिन यह एक बड़ी प्रक्रिया नहीं है। यह "उपयोग करने के लिए तैयार" रहता है जैसा कि यह बोबिन पर स्थानांतरित किए जाने के पहले था।
- प. कोन 120 डी/2 अथवा हैंक 120 डी/2 पर 100 प्रतिशत रेयन कशीदाकारी धागा कच्चा सफेद पूर्व जांचों में बाहर नहीं किया गया था।
- फ. आवेदक द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद एडवांस्ड एयर जैट मशीनों पर नहीं चल सकता है जहां स्पिनिंग 900-1 200पिक्स प्रति मिनट तक पहुंचती है।
- ब. आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए कोन चीन के निर्यातकों द्वारा आपूर्ति किए गए कोन की तुलना में लघु आकारों के हैं। इसके अलावा, भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोन समान आकारों के नहीं हैं और उसे सबसे पहले कटाई की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
- भ. घरेलू उद्योग तुलना के साथ मापदंडों अर्थात् इनपुट, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, अंतिम बुनाई, कीमत बिन्दु, उत्पाद विनिर्दिष्ट और उपभोक्ता की समझ के संबंध में पीएसवाई और सीएसवाई की समानता के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हुआ है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :
- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 5403 के अंतर्गत वर्गीकृत विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न/धागा है।
- ख. न तो आवेदन और न ही जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न को शामिल किया है। इसके अलावा, न तो विश्व व्यापार संगठन के करार और न ही भारतीय पाटनरोधी कानून में विचाराधीन उत्पाद की कोई परिभाषा दी गई है।
- ग. इस उत्पाद को पाटित के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि इस उत्पाद को अन्य देश के व्यापार में शामिल नहीं किया जाता है। चूंकि चीन के उत्पादकों के पास एसएसवाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए यार्न का उत्पादन करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसे भारतीय बाजार में पाटित किया गया है और न ही उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
- घ. इस कानून में आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी वस्तु जो सभी अर्थों में आयात किए गए उत्पाद के सदृश अथवा समनुरूप हो, का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के रूप में माने जाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि घरेलू उद्योग आयात किए गए पीएसवाई और सीएसवाई यार्न का समान वस्तु का उत्पादन करता है, अतः समान वस्तु के रूप में किसी अन्य उत्पाद को शामिल करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
- ड. तीन अलग-अलग उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग इस उत्पाद के विनिर्देश के कारण बाजार क्षेत्र के संदर्भ में अलग-अलग है।
- च. उत्पादन प्रक्रिया के कारण, पीएसवाई तकनीक के फलस्वरूप एसएसवाई प्रौद्योगिकी की तुलना में कमतर रंजन निरंतरता के साथ यार्न का उत्पादन होता है।
- छ. पीएसवाई में एसएसवाई की तुलना में अधिक उत्पादन चरण शामिल होते हैं।
- ज. एसएसवाई यार्न फैलने की अपेक्षा की अधिक क्षमता और अधिक रंजन निरंतरता प्रदान करता है जो पीएसवाई यार्न प्राप्त नहीं कर सकता है।

- झ. प्रौद्योगिकी में अंतर एसएसवाई यार्न को सिकुड़ने की क्षमता और बेहतर रंजन क्षमता और निरंतरता धारण करने में सक्षम बनाता है जो पीएसवाई यार्न में मौजूद नहीं है।
- ञ. एसएसवाई यार्न अपेक्षाकृत महीन होता है और यह अलग-अलग अंतिम उपयोगों के लिए होता है।
- ट. पीएसवाई द्वारा उत्पादित यार्न का काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है जबकि एसएवाई द्वारा उत्पादित यार्न एक प्रमुख श्रेणी है।
- ठ. सब्सिडीरोधी जांच के पूर्व जांच में प्राधिकारी ने यह पाया है एसएसवाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उत्पादन किया गया वीएफवाई और सीएसवाई के द्वारा उत्पादन किए गए यार्न से अलग है।
- ड. अलग-अलग संयंत्र और निवेश अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के लिए किए गए हैं जो वर्तमान उद्योग में प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाता है। अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के कारण अंतिम यार्न में अंतर होता है और एसएसवाई संयंत्र में अपेक्षाकृत अधिक निवेश करने के लिए यही कारण है।
- ढ. एसएवाई यार्न का मुख्य रूप से उपयोग सुपर फाइन डेनियर अनुप्रयोगों के लिए होता है जबकि पीएसवाई यार्न का सामान्य रूप से उपयोग मोटे डेनियर श्रेणी में किया जाता है।
- ण. घरेलू उद्योग द्वारा बेचा गया और चीन से आयात किया गया पीएसवाई यार्न सकारात्मक रूप में 50 डेनियर से अधिक और 150 डेनियर तक के दायरे में होता है।
- त. हितबद्ध पक्षकार पीएसवाई और सीएसवाई उत्पाद में प्रौद्योगिकी का होना मानते हैं। हालांकि उन्होंने यह तर्क दिया है कि पीएसवाई और एसएसवाई प्रौद्योगिकी के बीच कोई अंतर नहीं है। यह स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है।
- थ. प्राधिकारी ने अपने पीसीएन वर्गीकरण में पीएसवाई और सीएसवाई को अलग अलग रूप में माना है और इस प्रकार इस उत्पाद में प्रौद्योगिकी के कारण में उत्पाद में अंतर को स्वीकार करना दर्शाया गया है।
- द. अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न की घरेलू बिक्री में आयातों का हिस्सा अलग-अलग पैटर्न को दर्शाता है। पीएसवाई यार्न के आयातों का 90 प्रतिशत से अधिक 50 डेनियर से अधिक से लेकर 150 डेनियर तक के दायरे में है। घरेलू उद्योग द्वारा एसएसवाई यार्न की बिक्री पैटर्न से यह बहुत अलग है।
- ध. लगभग 20 प्रतिशत एसएसवाई यार्न जिसकी बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है 50 डेनियर से 150 डेनियर तक के दायरे में आता है जहां पीएफवाई यार्न की अधिकांश बिक्री की जाती है। यह घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए पीएसवाई और एसएसवाई में अंतर दर्शाता है।
- न. तीन अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन की गई वस्तु बाजार के अलग-अलग क्षेत्रों की मांग को पूरी करती है।
- प. पीएसवाई और सीएसवाई प्रौद्योगिकी में 50 डेनियर से कम के आयातों में वृद्धि हुई है लेकिन एसएसवाई प्रौद्योगिकी का कार्य निष्पादन अप्रभावित रहता है। यह पीएसवाई/ सीएसवाई यार्न और एसएसवाई यार्न के बीच प्रतिस्पर्धा की कमी को दर्शाता है। घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन पीएसवाई/ सीएसवाई प्रौद्योगिकी और न कि एसएसवाई प्रौद्योगिकी में आयातों के द्वारा प्रभावित होता है जो दो उत्पादों के बीच बाजार की स्वीकार्यता और प्रतिस्पर्धा में अंतर को दर्शाता है।
- फ. यदि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में एसएसवाई शामिल करते हैं, तब अलग-अलग प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए अन्य प्रकार के वीएफवाई हैं और यह महत्वपूर्ण होगा कि उन यार्नों को जोड़ा जाए तथा वर्तमान निर्धारण में उसे शामिल किया जाए। यह स्पष्ट रूप से निरंतर नहीं होगा।
- ब. हितबद्ध पक्षकारों ने यह कहा है कि एसएसवाई सभी तीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए उत्पादन किए गए वीएफवाई के लिए उसी बाजार क्षेत्र की मौजूदगी के कारण विचाराधीन उत्पाद के समान है और फैब्रिक तथा परिधान उत्पादक उनमें अंतर नहीं करते हैं। हालांकि अलग-अलग यह तथ्य कि अलग अलग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किए गए उत्पाद अलग-अलग बाजार प्राप्त करते हैं, अपने आप में अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्नों के अलग अलग अंतिम अनुप्रयोगों को स्थापित करता है। स्पष्ट रूप से, उपभोक्ता यार्न के गुणों में अंतर पाते हैं जिसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी पर आधारित अलग-अलग कीमतों का भुगतान करना पड़ता है।

- भ. यदि इन उत्पादों के बीच अंतर होता तब आयात के आंकड़े पीएसवाई/सीएसवाई का उल्लेख नहीं करते, अलग-अलग संयंत्र नहीं होता और एसएसवाई संयंत्र को पीएसवाई के पाटन के कारण हानि हुई होती, ग्रासिम पेटेंट किए हुए प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं किया होता। एसएसवाई प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट पीएसवाई और सीएसवाई उत्पादों की तुलना में इसकी विलक्षणता को दर्शाता है।
- म. विचाराधीन उत्पाद का बाजार क्षेत्र तथा एसएसवाई प्रौद्योगिकी अलग अलग है। 50 डेनियर तक के उत्पादों का हिस्सा कम है और वह कुल पीएसवाई में केवल 3 प्रतिशत और सीएसवाई में 18 प्रतिशत है। इसके विपरीत, एसएसवाई का बहुत अधिक हिस्सा अर्थात् 79 प्रतिशत है।
- य. एसएसवाई प्रौद्योगिकी प्रमुख रूप से 50 डेनियर तक है जहां पीएसवाई प्रमुख रूप से 50-150 डेनियर में है।
- कक. एसएसवाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उत्पादित यार्न मुख्य रूप से महीन यार्न) 50 अथवा उसके कम के डेनियर्स) के लिए है। पीएसवाई प्रौद्योगिकी यार्न महीन डेनियर श्रेणी में प्राथमिक रूप से बेचा अथवा आयात नहीं किया जाता है। आवेदक द्वारा बेचे गए और चीन से आयात किए गए पीएसवाई प्रौद्योगिकी यार्न अधिकांशतः 50 से 150 डेनियर के दायरे में होता है। एसएसवाई प्रौद्योगिकी यार्न महीने डेनियर उद्देश्यों से बनाया जाता है जबकि पीएसवाई प्रौद्योगिकी यार्न मोटे डेनियर उद्देश्यों से बनाए जाते हैं।
- (खख) उत्पाद के दायरे को जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस में संशोधन किए बिना नहीं बदला जा सकता है। प्राधिकारी ने इस दायरे अथवा समान वस्तु को परिवर्तित नहीं किया है।
- (गग) उत्पाद के दायरे को जांच के दौरान ही प्रतिबंधित किया जा सकता है और नोटिस में संशोधन किए बिना जांच की शुरुआत के बाद उसके दायरे का विस्तार नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकार उत्पाद के दायरे के अन-अधिकृत विस्तार की मांग कर रहे हैं।
- (घघ) सभी 3 पैकिंग रूप अर्थात् हैंक, कोन और बोबिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर हैं। इसके अलावा, रंजित और गैर-रंजित दोनों संबद्ध वस्तु विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत हैं।
- (ड.ड.) सीमाशुल्क वर्गीकरण 5401 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, यह उत्पाद समतल अथवा असमतल यार्न हो सकता है और वह विभिन्न ग्रेडों का हो सकता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण 5403 के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने योग्य सभी प्रकारों/ रूपों/ प्रकार /संरचना का विस्कोस फिलामेंट यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत है।
- (चच) एसएसवाई प्रौद्योगिकी अलग-अलग रंजन निरंतरता और अलग-अलग तरह के सुपर फाइन यार्न का उत्पादन करने तथा पीएसवाई प्रौद्योगिकी से तुलना किए जाने के लिए विकसित किया गया था।
- (छछ) अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का विकास परिधान के विभिन्न गुणों और वांछित तरह के परिधानों की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। यह विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख रूप से उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है जो बड़ी हुई लागतों की तुलना में समग्र दृष्टि और बनावट को प्राथमिकता देता है।
- (जज) यह उत्पाद एक सेल्युलोजिक फिलामेंट यार्न है जिसका व्यापक रूप से उपयोग वस्त्र उद्योग में स्टेपल फाइबर का उपयोग करते हुए बनाए गए यार्नों से उत्पादित फैब्रिक्स की तुलना में एक अलग विशेषता वाले फैब्रिक्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यह सभी फाइबर यार्न की किसी पूरी लंबाई में लगातार रहता है।
- (झझ) लगातार फिलामेंट यार्नों का उत्पादन विस्कोस प्रक्रिया अथवा क्यूप्रामोनियम हाइड्रोक्साइड पद्धति का उपयोग करते हुए सेल्युलोज से बनाया जाता है। विस्कोस प्रक्रिया में, सेल्युलोज को सेल्युलोज जेंथेट में परिवर्तित किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में विलय किया जाता है और स्पिनरेट के माध्यम से एसिड बाथ में डाला जाता है।
- (ञञ) लकड़ी के गूदे से अलग-अलग यार्न में परिवर्तन करने का कार्य विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे क्यूप्रामोनियम प्रौद्योगिकी, विस्कोस स्पॉट स्पन यार्न प्रौद्योगिकी, विस्कोस कॉन्टीन्यूअस स्पन यार्न प्रौद्योगिकी, विस्कोस पाँट स्पन यार्न प्रौद्योगिकी, लियोसिल प्रौद्योगिकी, बेबर्ग प्रौद्योगिकी, अथवा मॉडल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जा सकता है।

- (टट) विस्कोस, मॉडल और लियोसेल को संयंत्रों से प्राप्त किया जाता है और उन्हें एक ही फाइबर के अलग-अलग रूपों जिसे विस्कोस कहा जाता है, माना जाता है। उनका वैज्ञानिक रूप से रीजनेरेटेडि सेल्युलोजिक फाइबर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, वे निकाले गए सेल्युलोज को परिवर्तित कर फाइबर से बने होते हैं। यद्यपि, उनका मूल स्थान एक ही है, फिर भी प्रत्येक फाइबर के लिए उपयोग की जाने वाली निर्माण की प्रक्रिया और उनका आशोधन अलग-अलग होता है जिसके फलस्वरूप उत्पादन किए गए परिधानों के लुक, फील और अंतिम उपयोग में विविधता होती है।
- (ठठ) आशोधन, एडीटिव्स और उत्पादन चक्रों में विविधताओं के कारण, इन अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए निर्मित अंतिम उत्पाद मुलायम, बनावट और छूने में अंतर को दर्शाते हैं। इन अंतरों का अंतिम उपभोक्ता की समझ पर प्रभाव पड़ता है।
- (डड) यीविन हीस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन और अन्य संबंधित उत्पादक बिना आगे किसी शर्तों के "कसीदाकारी धागे का उपयोग करने के लिए तैयार" को बाहर किए जाने की मांग कर रहे हैं। घरेलू उद्योग की आशंका है कि बाहर किए जाने के इस अनुरोध के पीछे का उद्देश्य विदेशपूर्ण है और इसका लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक सीमाशुल्क और पाटनरोधी शुल्क से बचना है।
- (ढढ) विचाराधीन उत्पाद और कशीदाकारी अनुप्रयोगों के लिए यार्न/धागे का सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत अलग-अलग वर्गीकरण है, जिससे बिना प्रशुल्क वर्गीकरण के बाहर किए जाने की मांग औचित्यपूर्ण नहीं रह जाती है।
- (णण) उपयोग करने के लिए तैयार यार्न को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन कोन हैंक पर कशीदाकारी धागा उपयोग करने के लिए तैयार धागा नहीं है जिसका वर्गीकरण 5401 शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है और जिसे उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जाता है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच की शुरुआत की सूचना में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

3. "वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न/ थ्रेड है, जिसे स्पूल स्पन टेक्नोलोजी के माध्यम से उत्पादित यार्न को छोड़कर, सीमा शुल्क वर्गीकरण 5403 के अंतर्गत वर्गीकृत छोटे बॉबिन पर केवल उपयोग के लिए तैयार रेडी टू यूज एम्ब्रायोडरी थ्रेड को, जिसे एम्ब्रायोडरी मशीन पर लगाया जा सकता है और जिसे सीमा शुल्क वर्गीकरण 5401 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, वर्तमान जांच के दायरे से बाहर किया गया है। इसके अलावा रंगे हुए और बिना रंगे हुए यार्न, दोनों ही, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

4. विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न को तीन प्रक्रियाओं नामतः पोट स्पन यार्न (पी एस वाई), कॉटिनुअल स्पन यार्न (सी एस वाई) और स्पूल स्पन यार्न (एस एस वाई) द्वारा तैयार किया जा सकता है। प्रत्येक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित यार्न का विभिन्न विनिर्देशनों के कारण विभिन्न सेगमेंट में प्रयोग होता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पी एस वाई और सी एस वाई टेक्नोलोजी के जरिए उत्पादित विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न तक सीमित है। एस एस वाई टेक्नोलोजी के माध्यम से उत्पादित विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

5. आवेदकों ने यह कहा है कि उत्पाद को अनेक विभिन्न विवरणों का उपयोग करके आयात किया गया है और ऐसे विभिन्न विवरणों की एक गैर- विस्तृत सूची प्रदान की है, जिसका उपयोग आयातकों द्वारा आयात की सूचना देते समय किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में इस उत्पाद के सभी संभव विवरण शामिल हैं। उत्पाद का आयात करते समय प्रयोग की गई विवरणों की सूची नीचे दी गई है। इनमें उत्पाद के विवरण की गैर विस्तृत सूची शामिल है"

5. आवेदकों ने यह कहा है कि उत्पाद को अनेक विभिन्न विवरणों का उपयोग करके आयात किया गया है और ऐसे विभिन्न विवरणों की एक गैर- विस्तृत सूची प्रदान की है, जिसका उपयोग आयातकों द्वारा आयात की सूचना देते समय किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में इस उत्पाद के सभी संभव विवरण शामिल हैं। उत्पाद का आयात करते समय प्रयोग की गई विवरणों की सूची नीचे दी गई है। इनमें उत्पाद के विवरण की गैर विस्तृत सूची शामिल है :

बम्बू सीएसपी. इवन	कॉटिनुअस इवन ब्राइट हाई ग्लू (बिना रंगे)
बम्बू सीएसपी इवन (बिना रंगे)	कॉटन सीएसपी
बम्बू सीएसपी. अनइवन	कॉटन सीएसपी ब्राइट सीएमसी बिना रंगे
बम्बू सीएसपी. अनइवन (बिना रंगे)	कॉटन सीएसपी ब्राइट एचजी बिना रंगे
बम्बू सीएसपी. इवन डल	कॉटन इवन (बिना रंगे)
बम्बू पल्प ब्राइट बिना रंगे	कॉटन पल्प ऑन कोन
बम्बू पल्प डल बिना रंगे	कॉटन पल्प (बिना रंगे)
ब्राइट डल व्हाइट ऑन कोन	डल कॉटन पल्प (बिना रंगे)
ब्राइट ऑन कोन सिल्वर रिंग	डल वुड पल्प
ब्राइट रॉ व्हाइट ऑन केक	ब्राइट ग्रेड इवन (बिना रंगे)
ब्राइट रॉ व्हाइट ऑन कोन	इग्रेट ब्रांड कॉटिनुअस इवन ब्राइट (बिना रंगे)
ब्राइट रेयोन ट्विस्टिड यार्न	इग्रेट ब्रांड कॉटिनुअस इवन सीजी ग्रेड ब्राइट (बिना रंगे)
ब्राइट कॉटन पल्प (बिना रंगे)	इग्रेट ब्रांड कॉटिनुअस इवन स्लो कॉरी ब्राइट (बिना रंगे)
ब्राइट सीएसपी बम्बू इवन (बिना रंगे)	रॉ व्हाइट ब्राइट ऑन केक
ब्राइट सीएसपी. बम्बू एचजी. इवन (बिना रंगे)	रॉ व्हाइट ब्राइट ऑन कोन बिना रंगे
ब्राइट सीएसपी. बम्बू एचजी. अनइवन (बिना रंगे)	रॉ व्हाइट डल ऑन कोन बिना रंगे
ब्राइट सीएसपी. बम्बू अनइवन (बिना रंगे)	रेयोन एम्ब्रायोडरी श्रेड ब्राइट डाइड ऑन कोन
ब्राइट सीएसपी. कॉटन अनइवन (बिना रंगे)	रेयोन एम्ब्रायोडरी श्रेड ब्राइट रॉ व्हाइट
ब्राइट सीएसपी. कॉटन बिना रंगे	रेयोन एम्ब्रायोडरी श्रेड ब्राइट रॉ व्हाइट ऑन हैंक
ब्राइट सीएसपी. कॉटन अनइवन (बिना रंगे)	रेयोन एम्ब्रायोडरी श्रेड ब्राइट रॉ व्हाइट ऑन हैंक बिना रंगे
ब्राइट बुड पल्प बिना रंगे	रेयोन विस्कोस यार्न (100% वर्जिन) बिना रंगे
सैंट्रिफ्यूगल बाइट (बिना रंगे)	रेयोन विस्कोस यार्न (100% वर्जिन) बिना रंगे रॉ व्हाइट
सैंट्रिफ्यूगल इग्रेट ब्रांड डल	विस्कोस रेयोन एम्ब्रायोडरी श्रेड इन हैंक (बिना रंगे)
कॉटिनुअस इग्रेट ब्रांड ब्राइट	विस्कोस रेयोन एम्ब्रायोडरी श्रेड इन हैंक रॉ व्हाइट
कॉटिनुअस इग्रेट ब्राइट	विस्कोस रेयोन एम्ब्रायोडरी श्रेड रॉ व्हाइट ब्राइट ऑन हैंक बिना रंगे
कॉटिनुअस इग्रेट स्लो ब्राइट	विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न, विभिन्न डेनियर्स एवं फिलामेंट
वुड पल्प ऑन कोन डल	विस्कोस रेयोन यार्न (राफिया) रॉ व्हाइट 100% रंगाई के योग्य गुणवत्ता

6. उत्पाद को टैरिफ सीमा शुल्क वर्गीकरण 5403 के उप शीर्ष के अंतर्गत, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1951 का क्रमांक 51) के अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह उत्पाद मुख्यतः 54031000, 54031090, 54033100, 54033200, 54034110, 54034120, 54034130, 54034150, 54034170, 54034190 के अंतर्गत आयात किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इसकी विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है।

7. विचाराधीन उत्पाद का उदाहरणात्मक चित्र नीचे दिया गया है :



8. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न अनुरोध किए गए हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में बाहर किए जाने और स्पष्टीकरण की मांग की गई है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच हितबद्ध पक्षकारों से संगत सूचना की मांग कर तथा घरेलू उद्योग के परिसरों पर मौके पर सत्यापन करते हुए की गई है।
- लो ग्लू डल यार्न
9. यह तर्क दिया गया है कि लो ग्लू यार्न को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इसने वाणिज्यिक मात्राओं में कम ग्लू यार्न का उत्पादन किया है और उसकी बिक्री की है तथा इसके उत्पादन के लिए कोई विशेष मशीनरी नहीं होती है। नमूना इनवाइस घरेलू उद्योग द्वारा उनके द्वारा कम ग्लू यार्न की बिक्री को दर्शाते हुए उपलब्ध कराई गई है। इस कारण से बाहर किए जाने के लिए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कम ग्लू यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है।
- विस्कोस फिलामेंट यार्न जिसका उत्पादन बम्बू, कॉटन और वूड पल्प के माध्यम से किया जाता है
10. बम्बू और कॉटन पल्प के माध्यम से उत्पादन किए गए विस्कोस फिलामेंट यार्न को बाहर किए जाने के लिए अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सभी 3 कच्चे मालों का उपयोग करते हुए उत्पादन किए गए इस उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक सेल्युलोस से संबंधित हैं जिसे इन सभी तीनों स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि बम्बू, कॉटन अथवा वुडपल्प का उपयोग करते हुए उत्पादन किया गया विचाराधीन उत्पाद को भी पूर्व की जांच में शामिल किया गया था। इसके अलावा, कोई औचित्यपूर्ण साक्ष्य इस तर्क का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्यों इन्हें बाहर किया जाना चाहिए।

- कोन अथवा हैंक पर 100प्रतिशत रेयन एम्ब्राइडरी श्रेड रॉ व्हाइट
11. यह नोट किया जाता है कि छोटे बोबिन पर रेडी टू यूज एम्ब्राइडरी श्रेड जिसे एम्ब्राइडरी मशीन पर संस्थापित किया जा सकता है और जो सीमाशुल्क वर्गीकरण 5401 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जा चुका है। हालांकि यह तर्क दिया गया है कि एम्ब्राइडरी श्रेड विचाराधीन उत्पाद का एक डाउनस्ट्रीम उत्पाद है और इस कारण से इसे प्रशुल्क वर्गीकरण पर प्रतिबंध के बिना पूर्ण रूप से बाहर किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि एम्ब्राइडरी श्रेड जिसका उपयोग रेडी टू यूज यार्न में किया जाता है, 5401 के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने के लायक है जबकि विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण 5403 के अंतर्गत किया जा सकता है।
12. इस कारण से प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि 5401के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने योग्य एम्ब्राइडरी श्रेड जो रेडी टू यूज है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। हालांकि यदि 5403 के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने योग्य कोन अथवा हैंक पर 100 प्रतिशत रेयन एम्ब्राइडरी श्रेड रॉ व्हाइट, वह वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत आता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से ऐसे सभी आयात लेन-देन को शामिल किया है और निर्धारण का प्रस्ताव किया है।
- अपेक्षाकृत लघु और असमतल आकारों के कोन अथवा एयर जैट मशीनों के लिए उपयुक्त यार्न
13. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई यार्न एयर जैट मशीनों पर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि घरेलू उद्योग ने स्पिनरों जिनके पास एयर जैट मशीन हैं को की गई बिक्री का बीजक उपलब्ध कराया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इसमें कुल लगभग *** मी.ट. एनडीआर यार्नों, ईगल इंडस्ट्रीज, हार्दिक फैशनस, एसके वीविंग्स और बेड सिंथेटिक्स जो एयर जैट मशीनों का उपयोग करते हैं, को की है और इस कारण से इन हितबद्ध पक्षकारों का तर्क सही नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि कोन के आकार का प्रयोक्ताओं द्वारा चलाई जा रही मशीनों पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है और मशीनों की उत्पादकता को तभी हानि होगी जब अलग-अलग आकारों के कोन का उपयोग उसी समय किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि एक ही समय में लगाए गए अलग-अलग कोन के आकार का उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोन का आकार स्वयं विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए कोन की तुलना में कम वजन के होते हैं, भारतीय बाजार में पाटन और क्षतिकारक निर्यातों, दोनों के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी उत्पादकता के संबंध में अलग-अलग कोन आकार के उपयोग का प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। तदनुसार, एयरजैट मशीनों अथवा कोन के लिए उपयुक्त यार्न वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरेके अंतर्गत आता है।
14. जबकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग घटिया सामग्री खरीदने के लिए अपने ग्राहकों पर भार डालता है, इस तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- 60से कम डेनियर का विस्कोस फिलामेंट यार्न
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 60 से कम डेनियर से कम विस्कोस फिलामेंट यार्न का आयात संबद्ध देश से किया गया था और इसका उत्पादन एवं बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है। वास्तव में प्राधिकारी ने 60 से कम डेनियर यार्न के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री पर विचार करने के बाद एनआईपी और कीमत में कटौती का निर्धारण किया है। इस कारण से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 60से कम डेनियर का विस्कोस फिलामेंट यार्न शामिल है।
- क्युप्रामोनियम और बेमबर्ग यार्न
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि क्युप्रामोनियम और बेमबर्ग यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं। न ही घरेलू उद्योग ने उनको शामिल करने का अनुरोध किया है और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है।
- एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किया गया विस्कोस फिलामेंट यार्न
17. इन हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए और बेचे गए समान वस्तु के दायरे में एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न को शामिल करने अथवा उसे बाहर किए जाने के संबंध में किए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रौद्योगिकी विचाराधीन उत्पाद की खरीद करने के लिए अपने निर्णय में प्रयोक्ता के लिए कोई भूमिका नहीं निभाता है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किया गया यार्न पूर्ण रूप

से एक अलग उत्पाद है। प्राधिकारी ने यह निर्णय कि क्या एसएसवाई को विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के दायरे में माना जा सकता है, पर पहुंचने में निम्नलिखित कारकों की जांच की है।

क. विचाराधीन उत्पाद का दायरा

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के अनुसार स्पष्ट रूप से एसएसवाई को बाहर रखता है। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के परिसरों को भौतिक सत्यापन किया है कि क्या 3प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किया गया विस्कोस फिलामेंट यार्न एक दूसरे के समान है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया है कि एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न का आयात भारत में किया जाता है और इस कारण इसे शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न को आयात किए गए यार्न का समान वस्तु के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि चीन जन.गण. में एसएसवाई का कोई उत्पादन नहीं होता है और न ही चीन के उत्पादकों के पास एसएसवाई का उत्पादन करने के लिए तकनीकी क्षमता है। क्षति की अवधि के दौरान एसएसवाई का कोई निर्यात भारत को नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जहां तक विचाराधीन उत्पाद के दायरेका संबंध है, वह बहुत उपयुक्त रूप से एसएसवाई को बाहर रखता है।

ख. समान वस्तु का दायरा

19. प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि समान वस्तु का दायरा एसएसवाई को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने इस आधार पर विस्तृत जांच की है और निम्नलिखित नोट करते हैं।
20. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने विशेष रूप से यह तर्क दिया है कि एसएसवाई पीएसवाई की समान वस्तु है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क नहीं दिया है कि एसएसवाई सीएसवाई की समान वस्तु है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पीएसवाई और सीएसवाई में बहुत अधिक अंतर है। फलस्वरूप लागतों और कीमतों में बहुत अधिक अंतर होता है और इसलिए प्राधिकारी को इसके लिए अलग पीसीएन करना चाहिए। घरेलू उद्योग ने पीसीएन के एक मापदंड के रूप में प्रौद्योगिकी का भी प्रस्ताव किया था और विचाराधीन उत्पाद को पीएसवाई और सीएसवाई में विभाजित किया है। इस प्रकार घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि पीएसवाई और सीएसवाई को प्रौद्योगिकी में अंतर के कारण अलग-अलग पीसीएन के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि पीएसवाई और एसएसवाई को प्रौद्योगिकी में अंतर के बावजूद एक पीसीएन के रूप में माना जाना चाहिए। इस तर्क की भी जांच की गई है।
21. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और उसकी बिक्री बहुत बड़ी संख्या में अलग-अलग डेनियर में की जाती है। अलग अलग डेनियर से यह अपेक्षित है कि वे बाजार के अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करें। अलग-अलग डेनियरों की लागतें और कीमतें इतनी अधिक हद तक अलग-अलग हैं कि डेनियर को पीसीएन वार तुलना के लिए एक मापदंड के रूप में माना गया है। इस प्रकार, यार्न की डेनियरेज अलग-अलग प्रकारों के वीएफवाई की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है।
22. प्राधिकारी ने वीएफवाई के संबंध में पूर्व में जांच की थी। इसके अलावा, जबकि घरेलू उद्योग पूर्व की जांच के समय एस एस वाई प्रौद्योगिकी उत्पाद का उत्पादन और बिक्री नहीं कर रहा था। घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा की गई इस अंतिम जांच में इस यार्न का उत्पादन और बिक्री कर रहा था। प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण करते समय पूर्व की सभी जांचों में अधिसूचित सभी जांच परिणामों पर विचार किया है।
23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी (सीएसवाई/पीएसवाई) और डेनियरेज सभी पर महत्वपूर्ण उत्पाद मापदंडों के रूप में विचार किया गया है जिसके फलस्वरूप विगतकी सभी जांचों में अलग-अलग पीसीएन हुए हैं। वर्तमान जांचों में भी, सीएसवाई और पीएसवाई के लिए तथा इस उत्पाद के अलग-अलग डेनियरों के लिए अलग-अलग पीसीएन के संबंध में कोई विवाद नहीं है।
- i. उत्पादन प्रौद्योगिकी
24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि वीएफवाई का उत्पादन 3 अलग अलग प्रौद्योगिकियों अर्थात् पोस्ट स्पन यार्न (पीएसवाई), कंटीन्युअस स्पन यार्न (सीएसवाई) और स्पन स्पूल यार्न (एसएसवाई) के माध्यम से किया जाता है।
25. वीएफवाई का ऐतिहासिक रूप से उत्पादन पोस्ट स्पन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया गया है। कंटीन्युअस स्पन प्रौद्योगिकी को दो दशक से अधिक पहले शुरू किया गया था। चीन और भारत के उत्पादक पिछले अनेक वर्षों से सीएसवाई और पीएसवाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीएफवाई का उत्पादन कर रहे

हैं और इस उत्पाद से संबंधित प्रथम जांच के समय से इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन करता हुआ पाया गया था।

26. यह नोट किया जाता है कि एसएसवाई प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादन सुविधाएं केवल भारत और यूरोप में उपलब्ध हैं। चीन के उत्पादक निर्विवाद रूप से इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीएफवाई का उत्पादन नहीं करते हैं।
27. याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि प्रति इकाई क्षमता में पूंजी निवेश में बहुत अधिक अंतर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि उत्पादकों द्वारा अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया था और पीएसवाई में प्रति एम टी क्षमता निवेश उस स्थिति में प्रति एम टी क्षमता निवेश से वास्तविक रूप से कमतर है जब एसएसवाई यह सिद्ध करता हो कि प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि पीएसवाई उसी उत्पाद गुणों वाले उत्पाद दिया होता तब एसएसवाई में निवेश नहीं हुआ होता। स्पष्ट तौर पर, उत्पादक अंतिम उत्पाद गुणों में कुछ वास्तविक अंतर को देखते हैं और इस प्रकार इसके फलस्वरूप एसएसवाई में निवेश होता है। हितबद्ध पक्षकारों ने सिद्ध नहीं किया है कि एसएसवाई और पीएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए उत्पाद के विनिर्देशों और अंतिम उत्पाद के गुणों में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एक उत्पाद की प्रकृति पर भी इस संबंध में विचार किया जाना अपेक्षित है। वीएफवाई का उन उत्पादों का निर्माण करने के लिए बहुत अधिक हद तक उपयोग किया जाता है जहां परिधान का लुक और फील उपभोक्ता की पसंद और खरीद के निर्णय के लिए सबसे बड़ा मापादंड है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि एसएसवाई का उपयोग करते हुए उत्पादन किए गए यार्न का लुक और फील पीएसवाई प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पाद किए गए यार्न के लुक और फील से बहुत अलग है।
28. प्राधिकारी यह मानते हैं कि जबकि सामान्य परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी में अंतर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल संगत नहीं हो सकता है और जहां प्राधिकारी निरंतर रूप से विचार करते रहे हैं और हितबद्ध पक्षकार पीएसवाई और सीएसवाई में वीएफवाई को केवल प्रौद्योगिकी में अंतर के आधार पर अलग करने का सुझाव देते रहे हैं जो अपने आप में यह आशय देता है कि अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए उत्पादन किए गए उत्पाद को बाजार स्थान में अलग-अलग रूप से देखा जाता है। इसके अलावा, इनका बहुत अधिक हद तक अलग-अलग लागत और कीमत होती है।

ii. वनिर्माण की प्रक्रिया

29. यह भी नोट किया जाता है कि एसएसवाई के उत्पादन के लिए निर्माण की प्रक्रिया पीएसवाई से बहुत अलग है। प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया में अंतर की मात्रा पर विचार किया है कि क्या इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किया गया यार्न अलग-अलग है। घरेलू उद्योग के पास पूर्व में वीएफवाई का उत्पादन करने के लिए केवल पीएसवाई और सीएसवाई प्रौद्योगिकियां थीं। घरेलू उद्योग ने एसएसवाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीएफवाई का उत्पादन करने के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

iii. पूंजी निवेश

30. तीन यार्नों की प्रति इकाई निवल निर्धारित परिसंपत्ति में अंतर नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी	प्रति इकाई नियोजित पूंजी	प्रति इकाई नियोजित पूंजी
1	पीएसवाई	***	2 से 3 लाख प्रति मी.ट. के बीच
2	सीएसवाई	***	6.5 से 7.5 लाख प्रति मी.ट. के बीच
3	एसएसवाई	***	11.5 से 12.5 लाख प्रति मी.ट. के बीच

31. यह नोट किया जाता है कि प्रति इकाई अपेक्षित निवेश एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न के मामले में बहुत अधिक है।

iv. कच्चा माल

32. यह नोट किया जाता है कि जबकि एसएसवाई प्रौद्योगिकी में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए सॉफ्ट वुड पल्प की आवश्यकता होती है, पीएसवाई और सीएसवाई प्रौद्योगिकी के मामले में उत्पादन हार्ड वुड पल्प के माध्यम से भी किया जा सकता है।

v. प्रतिस्पर्धा की सीमा

33. नीचे दी गई तालिका 50 डेनियर तक, 50 से अधिक और 150 डेनियर तक तथा 150 डेनियर से अधिक में पीएसवाई, सीएसवाई और एसएसवाई प्रौद्योगिकियों के विस्कोस फिलामेंटयार्न की घरेलू बिक्री तथा आयात को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	भारत में आयात		ग्रेसिम बिक्री		
			पीएसवाई	सीएसवाई	पीएसवाई	सीएसवाई	एसएसवाई
क	आयात मात्रा						
1	50 डेनियर तक	मी.ट.	634	1,112	***	***	***
2	50 से अधिक तथा 150 डेनियर तक	मी.ट.	18,626	25,239	***	***	***
3	150 डेनियर से अधिक	मी.ट.	20	46	***	***	***
4	कुल आयात	मी.ट.	19,280	26,397	***	***	***
ख	कुल आयातों में हिस्सा						
5	50 डेनियर तक	%	3%	4%	1% से कम	25-30%	75-80%
6	50 से अधिक तथा 150 डेनियर तक	%	97%	96%	80-90%	65-70%	20-25%
7	150 डेनियर से अधिक	%	0%	0%	15-20%	0-5%	1% से कम

34. यह नोट किया जाता है कि

- क. 50 से अधिक और 150 डेनियर तक वाएफवाई पीएसवाई और सीएसवाई के मामले में अधिकांश उत्पाद होता है। इसके विपरीत 50 डेनियर तक का वीएफवाई एसएसवाई के मामले में अधिकांश उत्पाद होता है।
- ख. 50 तक का आयातित पीएसवाई और 50 डेनियरों तक घरेलू सीएसवाई बिक्री में अगले उच्चतर हिस्से को प्राप्त करता है।
- ग. जबकि एसएसवाई की *** % बिक्री 50 से अधिक 150 डेनियर तक के वीएफवाई के बीच थी, यह नोट किया जाता है कि ये अधिकांशतः 50 और 60 डेनियर के थे जबकि 50 से अधिक और 150 डेनियर तक के पीएसवाई में अधिकांश बिक्री 120 डेनियर की थी।

35. यह प्रकार यह देखा जाता है कि एसएसवाई के माध्यम से उत्पादन किया गया यार्न पीएसवाई और सीएसवाई के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न की तुलना में अलग-अलग बाजार क्षेत्र में खपत के उद्देश्य से है।

36. नीचे दी गई तालिका इन 3 क्षेत्रों में अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्नों की मांग में हिस्से को दर्शाता है :

क्र.सं.	विवरण	पीएसवाई	सीएसवाई	एसएसवाई
1	50 डेनियर तक	2% से कम	5-10%	75-80%
2	50 से अधिक तथा 150 डेनियर तक	85-90%	90-95%	20-25%
3	150 डेनियर से अधिक	5-10%	0-10%	1% से कम
	कुल मांग	***	***	***

37. यह देखा गया है कि सकल भारतीय मांग में, पीएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न की 85 प्रतिशत से अधिक मांग 50 से अधिक और 150 डेनियर के बाजार क्षेत्र में है। दूसरी ओर, एसएसवाई प्रौद्योगिकी के मामले में लगभग 80 प्रतिशत बिक्री 50 डेनियर से कम का बाजार में है।

vi. घरेलू उद्योग पर प्रभाव

38. प्राधिकारी ने ती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न के कार्य निष्पादन की तुलना अलग से की है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
क	पीएसवाई					
1	लाभ/(हानि)	₹/मी.ट.	100	63	(24)	(35)
2	आरओसीई	%	100	53	(7)	(27)
ख	सीएसवाई					
1	लाभ/(हानि)	₹/मी.ट.	100	100	63	69
2	आरओसीई	%	100	93	43	71
ग	एसएसवाई					
1	लाभ/(हानि)	₹/मी.ट.	100	97	100	90
2	आरओसीई	%	100	113	94	119
	आयात मात्रा					
घ	पीएसवाई	मी.ट.	100	174	181	283
ड.	सीएसवाई	मी.ट.	100	148	139	282

39. रिकॉर्ड में दी गई सूचना से यह नोट किया जाता है कि

- क. तीन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादन किए गए यार्न के कार्य निष्पादन में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक अंतर रहा है।
- ख. घरेलू उद्योग ने पीएसवाई प्रौद्योगिकी उत्पाद में वित्तीय हानि दर्ज की। यह वह उत्पाद है जहां आयात की प्रतिस्पर्धा और आयातों में वृद्धि अधिक है।
- ग. जबकि घरेलू उद्योग ने सीएसवाई में लाभ दर्ज किया है, उसमें क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- घ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रायः वही रही है और एसएसवाई प्रौद्योगिकी के मामले में काफी हद तक अधिक रही है।

40. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन में पीएसवाई के मामले में तेजी से गिरावट होकर हानि की स्थिति में पहुंच गई है (जहां आयात की प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक है) और सीएसवाई प्रौद्योगिकी में कार्य निष्पादन भी प्रभावित हुआ था (जहां आयात कमतर सीमा तक प्रतिस्पर्धा कर रहा है) और यह कार्य निष्पादन एसएसवाई में प्रायः अप्रभावित रहा है जहां एसएसवाई का चीन से कोई आयात नहीं हुआ है। यह मानने के लिए पर्याप्त है कि आयात किया गया पीएसवाई घरेलू उद्योग के एसएसवाई से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है जबकि आयात किया गया पीएसवाई घरेलू उद्योग के पीएसवाई से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

41. इस कारण से यह देखा जाता है कि एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किया गया यार्न आयात किए गए उत्पाद का समान वस्तु नहीं है। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में एसएसवाई के माध्यम से उत्पादन किए जा रहे विस्कोस फिलामेंट यार्न पर विचार नहीं करने के लिए इसे उपयुक्त पाया है।

➤ समान वस्तु

42. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद अर्थात् पीएसवाई और सीएसवाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उत्पादन किया गया विस्कोस फिलामेंट यार्न संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद

और संबद्ध देश से आयात किया गया उत्पाद वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का उपयोग किया है और एक दूसरे के स्थान पर इनका उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद न किया गया संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद का समान वस्तु है।

43. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव करते हैं :

“विचाराधीन उत्पाद स्पूल स्पन प्रौद्योगिकी और रेडी टू यूज कशीदाकारी धागे जो सीमाशुल्क वर्गीकरण 5401 के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने योग्य हैं, के द्वारा उत्पादन किए गए यार्न को छोड़कर सीमाशुल्क वर्गीकरण 5403 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न/श्रेड है। इसके अलावा, रंगे हुए और बिना रंगे दोनों यार्न विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं।”

➤ पीसीएन पद्धति

44. प्राधिकारी ने दिनांक 9 नवंबर, 2022 के पत्र के द्वारा पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया और उसके संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 29 नवंबर, 2022 को हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के उद्देश्य से निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।

मापदंड	प्रस्तावित पीसीएन	कोड साइन
उत्पादन में उपयोग की गई प्रौद्योगिकी	क. कांटीन्यूअस स्पन यार्न	क. सीएसवाई
	ख. पोट स्पन यार्न /स्पूल स्पन यार्न	ख. पीएसवाई/एसएसवाई
यार्न का डेनियर	क. वास्तविक डेनियर	क. XXX
इस उत्पाद को अनेक बार टिवस्ट किया गया है	क. टिवस्ट नहीं किया हुआ	क. यूटी
	ख एक बार टिवस्ट किया हुआ	ख. ओटी
	ग. दो बार टिवस्ट किया गया	ग. डीटी
रंगा हुआ /बिना रंगा हुआ	क. रंगा हुआ	क. डीवाई
	ख. बिना रंगा हुआ	ख. यूएनडीवाई

45. हालांकि यह सिद्ध करने के बाद कि एसएसवाई न तो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है और न ही समान वस्तु का हिस्सा है, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम के उद्देश्य से निम्नलिखित पीसीएन पर विचार किया है और निर्धारण का प्रस्ताव किया है।

मापदंड	प्रस्तावित पीसीएन	कोड साइन
उत्पादन में उपयोग की गई प्रौद्योगिकी	ग. कांटीन्यूअस स्पन यार्न	ग. सीएसवाई
	घ. पोट स्पन यार्न /स्पूल स्पन यार्न	घ. पीएसवाई/एसएसवाई
यार्न का डेनियर	ख. वास्तविक डेनियर	ख. XXX
इस उत्पाद को अनेक बार टिवस्ट किया गया है	ग. टिवस्ट नहीं किया हुआ	घ. यूटी
	ख एक बार टिवस्ट किया हुआ	ड. ओटी
	च. दो बार टिवस्ट किया गया	ग. डीटी
रंगा हुआ /बिना रंगा हुआ	ख. रंगा हुआ	ख. डीवाई
	घ. बिना रंगा हुआ	ख. यूएनडीवाई

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसका स्थान**घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

46. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसके स्थान के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- क. वर्तमान आवेदन एसोसिएशन ऑफ मैनिफेचर इंडस्ट्री लिमिटेड तथा मै. ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- ख. एसोसिएशन ने सभी संगत दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।
- ग. दि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वह भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश के निर्यातक से संबंधित है।
- घ. संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक अर्थात् बडौदा रेयन लिमिटेड और एनआरसी लिमिटेड थे जिन्होंने कम कीमत पर आयात की मौजूदगी के कारण अपने संयंत्र बंद कर दिए थे।
- ड. सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड समय-समय पर उत्पादन स्थगित करने के लिए बाध्य हो गया था।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

49. यह आवेदन एसोसिएशन ऑफ मैनिफेचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संगत सूचना और दस्तावेज इस एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल भारतीय उत्पादन का **% है। इसके अलावा, उत्पादक ने यह प्रमाणित किया है कि इसका भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का निर्यातक से कोई संबंध नहीं है और इसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

51. प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदक को इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थान के मानदंड को पूरा किया।

ड. गोपनीयता**ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

52. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने पीसीएन वार आंकड़ों के अलग-अलग पृष्ठों पर अलग-अलग एनआईपी की सूचना दी है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

53. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. अगोपनीय उत्तर के अनुसार उत्पादकों ने निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजनों के लिए आधार का कोई उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे समायोजनों के लिए अपने आधार का दावा करने हेतु उन्हें निदेश दें।

- ख. प्रोमैक्स इंडस्ट्रीयल, जिलिन टॉप, जिलिन फाइबर स्टॉक और जिलिन एंका तथा हेंनजिन सिल्क ने निर्यात बिक्री समायोजन और वित्तीय लेखांकन प्रणाली के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जिसमें घरेलू उद्योग को सार्थक टिप्पणियां करने से रोका है।
- ग. चीन के निर्यातक सूचना जैसे उत्पादन की प्रक्रिया, कच्चा माल के रूप में व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल रहा है, संबंधित पक्षकार की सूचना का दावा पूर्ण रूप से गोपनीय के रूप में की गई है।
- घ. जिलिनफाइबर स्टॉक और जिलिन एंका ने अपने सांगठनिक संरचना का इसके सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रहने के बावजूद गोपनीय के रूप में दावा किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

54. प्राधिकारी ने व्यापार नोटिस 01/2020 के साथ पठित दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 (जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अगली सूचना तक बढ़ाया गया था) तथा नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
55. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

56. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों को संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उस पर ध्यान दिया गया था। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय के रूप में दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- क. जांच की शुरुआत में कानूनी और तथ्यात्मक आधार की कमी है क्योंकि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी ने जांच की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व पर्याप्त छानबीन नहीं की।
- ख. आवेदक व्यापार उपचार का आदतन प्रयोक्ता है क्योंकि विस्कोस स्टेपल फाइबर, विस्कोस फिलामेंट यार्न, कास्टिक सोडा, इपोक्सी, फ्लैक्स यार्न और इंसुलेटर जैसे विभिन्न उत्पाद पाटनरोधी जांच के अध्यधीन रहे हैं।
- ग. आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अधिसूचित की गई पीसीएन अधिसूचना के अनुसार अद्यतित आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है।

- घ. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुछ स्टेपल फाइबर से स्पिनर की आपूर्ति के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए आवेदक को दंडित किया है।
- ड. विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयात 12 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन रहे हैं। शुल्कों में निरंतर कमी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण को हतोत्साहित करती है, 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सीमा शुल्क में कटौती के प्रभाव को निष्क्रिय करता है और विश्व व्यापार संगठन को दी गई प्रतिबद्धताओं को गुप्त रूप से हानि पहुंचाता है।
- च. साझा किया गया पीसीएन वार आंकड़ा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अंतिम पीसीएन के सदृश नहीं है क्योंकि आवेदक ने 'ओसीएसवाई' परिभाषिक शब्द पर विचार किया है और अलग-अलग पृष्ठों पर अलग अलग एनआईपी किए हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा द्वारा किए गए अनुरोध

58. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की कार्यवाही के दौरान किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं था, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उस तथ्य को नहीं दर्शाया है जो उचित साक्ष्य आवेदकों ने उपलब्ध नहीं कराया है।
- ख. इस तर्क के संबंध में कि अद्यतित आंकड़ों को सभी पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया गया है, आवेदकों ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 6 फरवरी, 2022 के मेल के माध्यम से पीसीएन अधिसूचना के अनुसार अद्यतित आंकड़े परिचालित किए हैं।
- ग. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय को एन सी एल टी के समक्ष घरेलू उद्योग को चुनौती दी गई है। इसके अलावा, वर्तमान जांच चीन से संबद्ध वस्तुओं का पाटन है। घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धारोधी कार्य पद्धति वर्तमान जांच के क्षेत्राधिकार से परे है। इस मुद्दे को प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था जैसी कि वीएसएफ की निर्णायक समीक्षा जांच में ऊपर में उल्लेख किया गया है।
- घ. यह स्पष्ट किया जाता है कि अद्यतित आंकड़ों में 'ओसीएसवाई' पारिभाषिक शब्द "पीएसवाई" और "एसएसवाई" से संबंधित है।
- ड. कुछ अपवादों को छोड़कर, प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग के साथ अत्यधिक लीड टाइम की चिंता को कभी भी नहीं व्यक्त नहीं किया है लेकिन वे प्राधिकारी के समक्ष इसे पहली बार इसे व्यक्त कर रहे हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

59. यह तर्क दिया गया है कि जांच की शुरुआत कानून की दृष्टि से गलत था क्योंकि इस आवेदन में पाटन और क्षति का पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 5(2) में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूद होने की पुष्टि करने के लिए आवेदक को साक्ष्य उपलब्ध कराना अपेक्षित है। दायर किए गए इस आवेदन में सभी तीन मापदंडों को प्रथमदृष्टया सिद्ध करने के लिए साक्ष्य निहित है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि जांच की शुरुआत के लिए अपेक्षित पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई गई है, जांच की शुरुआत की गई थी।
60. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा के लिए लगाए गए दंड के संबंध में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि (क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का निर्णय गैर विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है और (ख) यह मुद्दा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्र में पड़ता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का दायरा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन के आरोप के संबंध में है और क्या चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य है, से संबंधित है।
61. यह तर्क दिया गया है कि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग को दिए गए आदेशों में बहुत अधिक लीड टाइम का सामना करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के परिसरों में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान यह दर्शाया गया था कि पीएसवाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित समय 10 दिन, सीएसवाई प्रौद्योगिकी के लिए 7 दिन और एसएसवाई प्रौद्योगिकी के लिए 14 दिन है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि चीन के उत्पादकों को दिए गए आदेश में कम से कम उतने ही दिनों के उत्पादन करने के लिए और लगान के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि इसे कुछ अपवादों को छोड़कर कोई आपवादिक लीड टाइम के संबंध में कोई शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग ने पर्याप्त लीड टाइम के उनके अनुरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

62. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था प्रस्ताव मंजूर किया जाना चाहिए क्योंकि चीन को आरोहण नवाचार दिसंबर, 2016 में समाप्त हो गया है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

63. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी ने विगत में अनेक जांचों में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। चीन को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने के तर्क में कोई दम नहीं है।

ख. उत्तर देने वाले उत्पादकों से यह अपेक्षित था कि वे निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजनों का आधार प्रदान उपलब्ध कराएं। हालांकि समायोजनों के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ग. जिनजियांग कैमिकल फाइबर कंपनी लि. का एक संबंधित उत्पादक नामतः जिनजियांग बाइलू वरस्टेड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है जो संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक भी है। बाइलू से यह अपेक्षित था कि वह अलग-अलग ईक्यूआर प्रस्तुत करें। प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों की अवश्य जांच करनी चाहिए कि क्या उत्पादकों ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है अथवा नहीं। यदि कोई निर्यात हुआ है, तब जिनजियांग द्वारा दायर किया गया उत्तर अवश्य ही अस्वीकार किया जाना चाहिए और प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

64. धारा 9क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

- i. बोर्डिंग हेंगजिन सिल्क थ्रेड कंपनी लिमिटेड
- ii. जिलिन केमिकल फाइबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड
- iii. जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड
- iv. जिलिन टॉप ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- v. प्रो-मेक्सएक्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

- vi गोएक्सिसन चांगक्सिन श्रेड एलएलसी
- vii. ग्रेस (हांगकांग) इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड
- viii. यिबिन हाईएस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन
- ix. सिचुआन वेलशो इंटरनेशनल ट्रेड पीटीई लिमिटेड
- x. यिबिन चांगक्सिन श्रेड कंपनी लिमिटेड
- xi. जिंगज़ियांग केमशियल फाइबर कंपनी लिमिटेड

छ.3.1 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

66. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है: "जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :
- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

67. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 12.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में किए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित होता है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
68. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 12.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत इस दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में किए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।
69. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़े/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है अतः सामान्य मूल्य का इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया है जो निम्नानुसार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयवाधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार

दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

70. पैरा-7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित है और इसके साथ ही इसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न परिणामिक विकल्पों के संबंध में किया जाना अपेक्षित है।
71. प्राधिकारी शेनयांग मस्टसुशिता एस. बैटरी कंपनी लि. बनाम मै. एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड (सिविल अपील सं. 617112003 दिनांक 23/12/2005), में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, मै. सेंचुरी प्लाइवोर्ड (आई) लि. और अन्य बनाम संघ सरकार और अन्य (रिट पेटीशन सं. 6568/2017 दिनांक 4/10/2018) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और अपोलो टायर्स लि. बनाम भारतीय संघ (अपील सं. सी 1768, 600, 601, 773, 769/2005-, एडी दिनांक 9/9/2005), कुड्डून जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. बनाम भारत (अपील सं. 2019 का 52291 दिनांक 5 अगस्त, 2020) में सेस्टेट प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में निहित गैर बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य तय करने के संबंध में मौजूदा न्यायशास्त्र को भी नोट करते हैं। ये निर्णय एक उपयुक्त विकल्प तथा उससे पूरे दायित्वों के संबंध में इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के कार्यान्वयन के संबंध में निदेश देते हैं।
72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इस उत्पाद की कीमतें अथवा तय किए गए मूल्य अथवा इस प्रकार के तीसरे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत शामिल है, को कीमतें न तो आवेदक अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और न ही ये किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर एक उपयुक्त देश का चयन करें। यह भी नोट किया जाता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने कोई ऐसी सूचना उपलब्ध कराई है, जिसका सत्यापन किया जा सके और जिसे प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकता था। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। परिणामस्वरूप, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देश को निर्यातों के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मत है कि एकमात्र उपलब्ध विकल्प समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना है। सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च तथा उचित लाभ के लिए योग के बाद भारत में उत्पादन की आदर्शतम लागत पर विचार करते हुए किया गया। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

निर्यात कीमत

यिबिन हाईएस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन ("हीस्ट"), गाओक्सियन चांगक्सिन थ्रेड एलएलसी ("गाओक्सियन सीएक्स"), यिबिन चांगक्सिन थ्रेड कंपनी लिमिटेड ("यिबिन सीएक्स"), ग्रेस (हांगकांग) इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड ("ग्रेस") एचके) और सिचुआन वेलशो इंटरनेशनल ट्रेड प्रा.लिमिटेड ("सिचुआन वेलशो") (जिसे आगे सामूहिक रूप से "हीस्ट ग्रुप" कहा गया है)

73. यिबिन हीस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन ("हीस्ट"), गाओक्सियन चांगक्सिन थ्रेड एलएलसी ("गाओक्सियन सीएक्स") और यिबिन चांगक्सिन थ्रेड कंपनी लिमिटेड ("यिबिन सीएक्स") चीन जन.गण में संबद्ध वस्तु के निमार्ण

में लगी हुई संबंधित कंपनियों हैं। हीस्ट ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर तथा संबंधित ट्रेडिंग कंपनी, ग्रेस (हांगकांग) इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड ("ग्रेस एचके") और सिचुआन वेलशो इंटरनेशनल ट्रेड पीटीई लि. ("सिचुआन वेलशो") के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। गाओक्सियन सीएक्स और यिबिन सीएक्स ने हीस्ट और ग्रेस एचके के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हीस्ट ग्रुप ने भी भारत को असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से कम मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हीस्ट ग्रुप में सभी पांच संबंधित कंपनियों नामतः हीस्ट, यिबिन सीएक्स, गाओक्सियन सीएक्स, ग्रेस एचके और सिचुआन वेलशो ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

74. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान, हीस्ट ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और *** मी.ट. निर्यात किया है, संबद्ध वस्तु का *** मी.ट. भारत को संबंधित निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया है और संबद्ध वस्तु का *** मी.ट. भारत को असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया है। गेओक्सियन सीएक्स ने हीस्ट और ग्रेस एचके के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तु का *** मी.ट. तथा असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से संबद्ध वस्तु का *** मी.ट. का उत्पादन और निर्यात किया है। यिबिन सीएक्स ने हीस्ट और ग्रेस एचके के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तु का *** मी.ट. तथा असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से संबद्ध वस्तु का *** मी.ट. का उत्पादन और निर्यात किया है।

75. हीस्ट ग्रुपने निर्धारित प्रपत्र में भारत को निर्यात का पीसीएन वार ब्यौरा उपलब्ध कराया है। हीस्ट ग्रुप ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने हीस्ट ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार किया है और उनके द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत से व्यापारी द्वारा उठाई गई हानि का भी समायोजन किया है। असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से कम मात्रा में किए गए निर्यात के संबंध में प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। भारत और पीसीएन वार कारखानागत निर्यात कीमत पर पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार किया गया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

जिलिन एंका विस्कोस कंपनी लिमिटेड, ("जिलिन एंका"); और

जिलिन कैमिकल फाइबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड ("जिलिन कैमिकल")

76. जांच की अवधि के दौरान जिलिन कैमिकल ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है और सीधे तौर पर भारत को *** मी.ट. निर्यात किया है। जिलिन एंका ने जांच की आवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है और सीधे तौर पर भारत को उसका *** मी.ट. निर्यात किया है। इसके अलावा जिलिन एंका द्वारा उत्पादन किया गया *** मी.ट. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत को जिलिन कैमिकल के माध्यम से किया गया था। जांच की अवधि के बाद, जिलिन एंका ने अपना परिचालन बंद कर दिया है और जिलिन कैमिकल के साथ अपना विलय कर दिया है।

77. जिलिन ग्रुप की दोनों कंपनियों ने अपेक्षित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराई और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, बैंक प्रभार, पोर्ट और अन्य खर्च तथा क्रेडिट लागत के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने जिलिन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया है और अपने दावे की जांच की है और तदनुसार, निर्यात कीमत में समायोजन की अनुमति दी गई है। तदनुसार, जिलिन ग्रुप के साथ दोनों कंपनियों अर्थात् जिलिन कैमिकल और जिलिन एंका के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद किया गया है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बोर्डिंगहे हेनजीजिन सिल्क थ्रेड कंपनी लिमिटेड ("बोर्डिंगहे हेजिन")

78. प्रश्नावली का उत्तर बोर्डिंगहे हेनजीजिन सिल्क थ्रेड कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। यह देखा गया है कंपनी ने चीन के अनेक अन्य उत्पादकों से विस्कोस फिलामेंट यार्न की आपूर्ति की है, ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर आगे (टिविस्टिंग का) की है और उसके बाद इसे असंबंधित व्यापारियों को फिर से बेचा है जिन्होंने बाद में इन वस्तुओं को एक अन्य असंबंधित व्यापारी को बेचा जिन्होंने आगे इस वस्तु को भारत को निर्यात किया। अन्य शब्दों में कंपनी ने चीन के अन्य उत्पादकों से एक प्रकार का विचाराधीन उत्पाद खरीदा है (और उसके बाद में कच्चे माल के बारे में सूचना दी) आगे टिविस्टिंग की प्रक्रिया की तथा इसे असंबंधित व्यापारियों को बेचा। यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने विस्कोस फिलामेंट यार्न का उत्पादन नहीं किया है और केवल विस्कोस फिलामेंट यार्न की खरीद की है। चूंकि बोर्डिंगहे हेनजीजिन सिल्क थ्रेड कंपनी लिमिटेड ने केवल एक प्रकार के विचाराधीन उत्पाद

को दूसरे प्रकार के विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया है, इसे उपयुक्त माना जाता है कि कंपनी को अलग पाटन मार्जिन मंजूर किया जाए।

मेसर्स जिनजियांग केमिकल फ़ाइबर कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण. और मेसर्स सी3 मल्टी कमोडिटीज़ लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन.गण.

79. शिनजियांग केमिकल फ़ाइबर कंपनी लिमिटेड चीन के कंपनी कानून के अंतर्गत चीन में निगमित शेयरों द्वारा एक कंपनी लिमिटेड है। पिछले तीन साल में कंपनी की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ।
80. जांच की अवधि के दौरान, जिनजियांग केमिकल फ़ाइबर कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** यूएस डॉलर के बीजक मूल्य का संबद्ध वस्तु का ***मीट्रिक टन निर्यात किया है जिसमें से ***यू एस डालर के बीजक मूल्य के ***एम टी का निर्यात सीधे तौर पर भारत को किया गया है और ***यू एस डॉलर के शेष ***अमेरिकी डॉलर का निर्यात भारत को सीआईएफ आधार पर एक असंबंधित कंपनी अर्थात सी 3 मल्टी कमोडिटीज़ लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को किया गया है।
81. शिनजियांग केमिकल फ़ाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय हुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्चों, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार के आधार पर समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन किए जाने के बाद इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, शिनजियांग केमिकल फ़ाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर के लिए कारखाना गत स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

निवल निर्यात कीमत का निर्धारण

82. चीन जन गण के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8)के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

83. यह ध्यान दिया गया है कि विषय जांच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में विचार करना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल डंपिंग मार्जिन स्थापित करना प्राधिकरण की एक सतत प्रथा रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन की गणना करने से एंटी-डंपिंग उपायों की रोकथाम को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को सक्षम करने से उन्हें अप्रभावी बना दिया जा सकता है। उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई माना गया है और एक एकल डंपिंग मार्जिन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के डंपिंग मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी।
84. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करने के बाद पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है-

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सीएनवी (अम.डॉ. प्रति मी.ट.)	एनईपी (अम.डॉ. प्रति मी.ट.)	पाटन मार्जिन (अम.डॉ. प्रति मी.ट.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
यिबिन हाईएस्ट फ़ाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	20-30
गाओक्सियन चांगक्सिन श्रेड एलएलसी	***	***	***	***	10-20
यिबिन चांगक्सिन श्रेड कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
हीस्ट ग्रुप	***	***	***	***	20-30
	***	***	***	***	

झिंजियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
	***	***	***	***	
जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
जिलिन केमिकल फाइबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
जिलिन समूह	***	***	***	***	0-10
	***	***	***	***	
अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

85. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आयातों में वृद्धि बढ़ रही मांग के कारण हुई है जिसकी पूर्ति आवेदक द्वारा नहीं की जा सकती है क्योंकि मांग और आपूर्ति में अंतर है।
- ख. आवेदक की मशीन पुरानी है और इस कारण से प्रयोक्ता इस उत्पाद का आयात करना पसंद करते हैं।
- ग. आवेदक निष्क्रिय क्षमता पर कार्य कर रहा है और इसको मात्रा के मामले में क्षति नहीं हो सकती है क्योंकि इसकी बिक्री और उत्पादन स्थित रहा है।
- घ. उत्पादन में गिरावट निर्यात बिक्री की मात्रा में गिरावट के कारण हुई।
- ड. सब्सिडीरोधी जांच में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आवेदक को कोई वास्तविक क्षति उचित आयातों के कारण नहीं हुई थी। उस जांच के समाप्त होने के बाद केवल एक वर्ष का समय बीता है और ये तथ्य वही रहे हैं।
- च. कीमत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। आयात किए गए उत्पाद की कीमत आवेदक की कीमत से उच्चतर है।
- छ. आवेदन में उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों में विसंगतियां हैं।
- ज. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह उचित लाभ पर कार्य कर रहा था। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट और निवेशक की प्रस्तुति में भी आवेदक ने आयातों में गिरावट और कार्य निष्पादन में वृद्धि को स्वीकार किया है।
- झ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे लगाई गई पूंजी में गिरावट लेकिन क्षमता में वृद्धि के कारण की जांच करें।
- ञ. ग्रासिम द्वारा प्रकाशित तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, वीएफवाई डिविजन के कार्य निष्पादन में वर्ष 2022-23 में सुधार हुआ है।
- ट. चीन के उत्पादकों के उत्पादन की लागत कम है क्योंकि वे 24 घंटों तक अपनी मशीन चलाते हैं। चीन में आटोमेशन का स्तर भारत में भारत में आटोमेशन के स्तर की तुलना में काफी हद तक उच्चतर है। इन आवेदकों द्वारा स्थापित मशीन पुरानी प्रौद्योगिकी हैं और वर्ष 1960 से यह अस्तित्व में रहा है।
- ठ. आवेदक ने दावा किया है कि इसमें 2020-21 के आंकड़ों में कोविड 19 के प्रभाव को हटा दिया है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनाई गई पद्धति के बारे में कृपया बताएं।
- ड. वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण शटडाउन किए जाने से आवेदक के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा होता। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे जांच की अवधि से भी कोविड के प्रभाव को हटा दें।
- ढ. एनआईपी उद्देश्य से लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत का प्रतिफल का बैंचमार्क दर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- ण. आवेदक के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि वास्तविक उत्पादन और वास्तविक कच्चे माल की लागत पर एन आई पी उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए। यह कानून मानकीकरण का अधिदेश देता है।
- त. अन्य कारक हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इन अन्य कारकों के प्रभाव को अलग रूप में प्रस्तुत करें।
- थ. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों जैसे क्षमता का विस्तार, कोविड-19 और घरेलू बाजार में मोटे डेनियर से महीन डेनियर की मांग में परिवर्तन के कारण क्षति हो रही है।
- द. आयात किए गए उत्पाद की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की कीमत की तुलना में अधिक है और इस कारण से आयात की कीमत का आवेदक की कीमतों पर ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- ध. यदि पीएसवाई, सीएसवाई और एसएसवाई प्रौद्योगिकियों के कार्य निष्पादन को मिला दिया जाए तब यह दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग तर्कसंगत तरीके से बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं।
- न. चीन में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत में गिरावट आई है क्योंकि फैब्रिक्स का अब भारत में निर्माण किया जा रहा है और अन्य देशों को उसका निर्यात किया जा रहा है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

86. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. संबद्ध देश से आयातों ने पूर्ण और सापेक्ष दोनों रूप में वृद्धि दर्शायी है।
- ख. आवेदक ने अनावश्यक निर्यात किया है। जबकि, आवेदक ने मात्रा में क्षति का दावा नहीं किया है, अनावश्यक निर्यात पाटन के हानिकारक प्रभावों को दर्शाता है।
- ग. आयातों के अनिवार्य होने के कारण, घरेलू उद्योग अपने लागतों पर ध्यान की उपेक्षा करते हुए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की पेशकश के आधार पर कीमतें निर्धारित करता है।
- घ. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि करने के लिए उसी अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है क्योंकि इसकी कीमतों पर दबाव पड़ा है।
- ङ. क्षमता में वृद्धि बाधाओं को दूर करने के कारण आधार वर्ष से केवल 3 प्रतिशत थी। क्षमता के उपयोग में गिरावट क्षमता में वृद्धि के कारण नहीं हुई है।
- च. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति हो रही है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा केवल जांच की अवधि में क्षति दर्शाने के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है। यह मानना सही नहीं है कि पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का एकमात्र कारण होना चाहिए।
- छ. घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट कीमत में कमी और निर्यात के कारण मालसूची को जमा होने से रोकने के लिए हुआ है।
- ज. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है, लेकिन लगाई गई पूंजी में गिरावट आई है, क्षमता में वृद्धि केवल 5000 एम टी है और यह गिरावट कार्यशील पूंजी में गिरावट के कारण हुई है।
- झ. घरेलू उद्योग का प्रदर्शन पूर्व की जांच की तुलना में प्रतिकूल है जिसमें प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- ञ. पूर्व की जांच में प्राधिकारी ने यह माना कि हुई क्षति क्षमता में विस्तार के कारण हुई थी। क्षमता के विस्तार के समय से 4 वर्ष बीत चुके हैं और अब इसके किसी प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

87. अनुबंध-II के साथ पठित इस नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर

पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर इस नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

88. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा इसमें आगे किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान देता है।
89. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को भी जांच की अवधि में कोविड लॉक डाउन के कारण क्षति हुई और इसके प्रभाव को हटाया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है वर्ष 2020 - 21 में घरेलू उद्योग का संयंत्र 1 अप्रैल, 2020 से 9 जून, 2020 तक बंद था और इसने उस अवधि के दौरान कोई उत्पादन नहीं किया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान घरेलू बिक्री भी बहुत कम थी। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग का संयंत्र चल रहा था और बंद नहीं हुआ था। इस कारण से जांच की अवधि के लिए दावा किए गए उत्पादन की लागत में ऐसा कोई समायोजन नहीं किया गया है।
90. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने केवल 2 वर्ष पहले यह पाया था कि हुई क्षति घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार 2019-20 में किया गया था और दो वर्ष का समय बीत चुका है तथा घरेलू उद्योग के प्रचालन स्थिर हो गए हैं। वर्ष 2019-20 अब आधार वर्ष है और इस कारण से इस अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट क्षमता में विस्तार के कारण नहीं हो सकती थी। यह तथ्य कि कर पूर्वलाभ, नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में इतनी तेजी से गिरावट आई है, यह दर्शाता है कि क्षति अत्यधिक ह्रास अथवा क्षमता विस्तार के कारण हुई किसी वित्तीय लागत के कारण नहीं हो सकती है। प्राधिकारी ने ह्रास और वित्तीय खर्च की प्रवृत्तियों की जांच की है और यह पाया है कि इनमें वास्तव में इस अवधि में गिरावट आई है जबकि कर पूर्व लाभ में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
91. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को चीन के उत्पादकों के उत्पादन की लागत की तुलना में उच्चतर निष्पादन लागत के कारण क्षति होती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के उत्पादकों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। हालांकि यदि इस अनुरोध पर विचार भी किया जाता है तब इसे माना जाना भी अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग विगत में पर्याप्त लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं था। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में केवल जांच की अवधि में बहुत अधिक गिरावट आई है। क्षति की अवधि के दौरान लाभों में गिरावट भारत में कथित उच्चतर कीमतों के कारण नहीं हो सकती थी। इस कारण से इसे नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने अंतर निहित रूप से उच्च लागत के कारण क्षति उठाई है।
92. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को घटिया तथा सामान्य कोटि के उत्पादों को एक साथ खरीदने के लिए बाध्य करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण से इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि किस प्रकार से घरेलू उद्योग का प्रदर्शन समग्र उत्पादन की बिक्री करने के इसके प्रयासों के कारण गिर जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में इसके फलस्वरूप क्षति में कमी होनी चाहिए थी।
93. वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए वक्तव्यों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट का वीएफवाई डिविजन में अन्य उत्पादों जैसे एन टी सी एफ शामिल हैं। इसके अलावा प्रदर्शन में सुधार के संबंध में दिए गए कुछ वक्तव्य 2020-21 जब इसे कोविड-19 के कारण हानि हुई थी, की तुलना में सुधार से संबंधित है। यह भी नोट किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में एसएसवाई से संबंधित प्रदर्शन शामिल है और याचिकाकर्ता ने स्वयं यह तर्क दिया है एसएसवाई में इसके प्रदर्शन में गिरावट नहीं आई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह तथ्य कि पीएसवाई और सीएसवाई के लिए प्रदर्शन में गिरावट आई जबकि एसएसवाई के मामले में गिरावट नहीं आई, यह दर्शाता है कि प्रदर्शन में गिरावट चीन के द्वारा पाटन किए जाने के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति को केवल विचाराधीन उत्पाद की हैसियत से देखा जाना अपेक्षित है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने बुक्स एंड

एकाउंट्स से घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया है तथा सत्यापित सूचना के आधार पर अंतिम जांच परिणाम रिकार्ड किया है।

ज.3.1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

94. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातके योग के रूप में विचार किया है।

मांग/खपत	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	59	103
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	80	21
चीन से आयात	मी.ट.	16,158	25,674	25,255	45,677
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	156	283
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	538	629	474	411
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	88	76
कुल भारतीय मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	91	143

95. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 2019-20 में मांग में वृद्धि हुई लेकिन कोविड के प्रादुर्भाव के कारण 2020-21 में उसमें गिरावट आई। मांग में जांच की अवधि में एक बार फिर वृद्धि हुई।

ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा

96. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिए गए लेनदेनवार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
चीन जन.गण. से आयात	मी.ट.	16,158	25,674	25,255	45,677
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	156	283
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात					
कुल आयात	%	97%	98%	98%	99%
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	256	336
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	172	197

97. यह देखा गया कि :

क. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान निरंतर रूप से और जांच की अवधि में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

ख. भारतीय उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देश से आयात में क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

98. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योगकी कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमतहास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

99. चूंकि बड़ी संख्या में पीसीएन शामिल हैं, अतः प्राधिकारी ने कीमत में कटौती का पीसीएन वार विश्लेषण पर विचार किया है। प्राधिकारी ने पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ प्रत्येक पीसीएन की आयात कीमत की तुलना की है। यह देखा गया है कि कीमत में कटौती सकारात्मक (***) रु. प्रति मी.ट., अथवा *** प्रतिशत) है। इस प्रकार यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। संबद्ध आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी।

एस.एन.	पीसीएन	आयात मीट्रिक टन	एल.पी. रु./मी.टन	एनएसआर रु./मी.टन	पीयू रु./मी.टन	पीयू %
1	PSY120TUNDY	8,078	3,40,905	***	***	***
2	PSY120DTUNDY	5,315	4,18,557	***	***	***
3	PSY075OTUNDY	1,119	4,71,053	***	***	***
4	PSY150OTUNDY	1,047	3,60,246	***	***	***
5	PSY116OTUNDY	1,094	3,53,449	***	***	***
6	PSY115OTUNDY	856	3,77,171	***	***	***
7	PSY040OTUNDY	634	7,55,226	***	***	***
8	PSY050OTUNDY	469	6,54,822	***	***	***
9	PSY100OTUNDY	262	3,83,292	***	***	***
10	PSY060OTUNDY	134	5,36,448	***	***	***
11	PSY118OTUNDY	179	3,42,518	***	***	***
12	PSY112OTUNDY	75	3,23,151	***	***	***
13	PSY300OTUNDY	20	3,10,614	***	***	***
14	CSY120UTUNDY	9,055	3,51,683	***	***	***
15	CSY060UTUNDY	5,168	5,43,598	***	***	***
16	CSY058UTUNDY	4,891	5,48,177	***	***	***
17	CSY050UTUNDY	3,247	6,73,868	***	***	***
18	CSY075UTUNDY	1,964	4,65,692	***	***	***
19	CSY112UTUNDY	664	3,47,625	***	***	***

20	CSY040UTUNDY	659	7,11,364	***	***	***
21	CSY100UTUNDY	217	4,57,508	***	***	***
22	CSY039UTUNDY	193	7,21,579	***	***	***
23	CSY049UTUNDY	129	6,82,607	***	***	***
24	CSY030UTUNDY	131	7,16,796	***	***	***
25	CSY300UTUNDY	46	3,93,105	***	***	***
26	CSY086UTUNDY	22	4,16,406	***	***	***
27	CSY070UTUNDY	11	4,53,403	***	***	***
28	कुल	45,677	4,50,363	***	***	***

ख. कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण

100. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा रहा है अथवा उसका ह्रास हो रहा है, तथा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान कीमतों और लागतों में परिवर्तन की जांच की गई है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	111	116
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	101	100	105
पहुंच मूल्य	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	95	88	92

101. यह देखा गया है कि लागतों और कीमतों दोनों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि कीमत में वृद्धि लागतों में वृद्धि की तुलना में कम थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि औसत आधार पर आयात कीमत से कोई तुलना अधिक संख्या में पीसीएन के मौजूद होने के कारण उपयुक्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह देखा गया है कि इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा कीमत पर दबाव का सामना करना पड़ा है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी कीमत बढ़ाने से रोका है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

102. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

103. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर वस्तुनिष्ठ तरीके से क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू तथा निर्यात बिक्री

104. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू तथा निर्यात बिक्री के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है :-

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	101	103
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	57	97
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	56	94
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	59	103
निर्यात बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	53	73

105. यह देखा गया है कि :

- क. घरेलू उद्योग ने बाधाओं के कारण अपनी क्षमता में मामूली विस्तार किया है। घरेलू उद्योग की क्षमता देश में मांग से कम है।
- ख. उत्पादन में 2019-20 में गिरावट में गिरावट आई, 2020 - 21 में और अधिक गिरावट आई लेकिन जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है। बीच की अवधि में उत्पादन में गिरावट कोविड-19 के कारण हुई थी। इस उत्पादन में वृद्धि जांच की अवधि में हुई। हालांकि, जांच की अवधि में गिरावट क्षमता में वृद्धि के बावजूद 2019-20 में उत्पादन की तुलना में अभी भी कम है। घरेलू उद्योग का उत्पादन भी आधार वर्ष में उत्पादन की तुलना में कम है।
- ग. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। जबकि बीच की अवधि में गिरावट कोविड के कारण हुई थी, जांच की अवधि में क्षमता उपयोग आधार वर्ष की तुलना में कम थी।
- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 2020-21 तक गिरावट आई लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग के निर्यातों में गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इसने माल सूची के जमा होने से रोकने के उद्देश्य से निर्यात किए हैं।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

106. बाजार हिस्से के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	65	72
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	88	14
समग्र रूप में भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	70	60
चीन से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	172	197
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	97	53

107. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2020-21 तक गिरावट आई। यद्यपि, जांच की अवधि में बाजार हिस्से में मामूली सुधार आया फिर भी वह अभी भी 2019-20 और 2020-2021 की तुलना में काफी हद तक कम है।
108. अन्य उत्पादक के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। जबकि इसके बाजार हिस्से में क्षति की अवधि की तुलना में गिरावट आ रही थी, जांच की अवधि में यह गिरावट बहुत अधिक थी।
109. भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से क्षति की अवधि में तेजी से गिरावट आई है।

ग. मालसूची

110. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :-

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
प्रारंभिक स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	137	106
अंतिम स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	132	75
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	135	92

111. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में गिरावट आई है क्योंकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई।

घ. लाभप्रदता, नकद प्रभाव तथा नियोजित पूंजी पर आय

112. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लाभप्रदता, नकद प्रभाव तथा नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	₹/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	15	10
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	9	10
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	32	43
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	13	8
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	13	7

113. ऐसा देखा गया है कि-

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रति यूनिट लाभ में ***% की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग पर कम कीमत के आयात का महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है।
- जबकि क्षति अवधि के दौरान प्रति यूनिट लाभ में लगातार गिरावट आई, 2020-21 और 2021-22 में गिरावट महत्वपूर्ण थी।
- क्षति अवधि के दौरान आवेदक की लाभप्रदता में लगातार गिरावट आई है।
- जांच अवधि में ब्याज और कर से पहले का लाभ भी आधार वर्ष के *** लाख रुपये से घटकर *** लाख रुपये हो गया है। क्षति अवधि के दौरान ब्याज और कर से पहले प्रति यूनिट लाभ में भी ***% की गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ में 2019-20 में गिरावट आई और फिर 2020-21 में और गिरावट आई। इसके बाद 2021-22 में घरेलू बिक्री बढ़ने से नकद लाभ बढ़ा है।
- घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रति यूनिट नकद लाभ ***रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटकर *** प्रति मीट्रिक टन हो गया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रति यूनिट नकद लाभ में ***% की गिरावट आई है।
- नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) क्षति अवधि के दौरान ***% से ***% तक काफी कम हो गया है। जांच अवधि में आरओसीई असामान्य रूप से कम था।

ड. रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

114. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	79	123
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	93	91
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	57	97
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	50	100

115. यह देखा गया है कि:

- जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की जाने वाली मजदूरी में वृद्धि हुई है।
- संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। यह क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद है।
- 2020-21 तक घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि ये कारक विचाराधीन उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हैं और इसलिए, हुई क्षति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

च. वृद्धि

116. घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे घरेलू बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, कीमत संबंधी मापदंड जैसे प्रति इकाई लाभप्रदता, नकद लाभ और लाख रूपए में पी बी आई टी तथा लगाई पूंजी पर आय में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	पीओआई
1	उत्पादन	वाई/वाई	-4%	-41%	70%
2	घरेलू बिक्री	वाई/वाई	-9%	-35%	75%
3	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	-4%	-42%	68%
4	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	-18%	-20%	10%
5	प्रति इकाई लाभ/(हानि)	वाई/वाई	-20%	-81%	-38%
6	पीबीवाईटी - ₹ लाख	वाई/वाई	-37%	-80%	-34%
7	नकद लाभ ₹ लाख	वाई/वाई	-20%	-60%	38%
8	आरओआई	वाई/वाई	-33%	-78%	-38%

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

117. घरेलू उद्योग लगाई गई अपनी पूंजी पर बहुत कम प्रतिफल अर्जित कर रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने के लिए 4000 करोड़ रूपए तक का निवेश अपेक्षित है। हालांकि चीन के द्वारा पाटन उद्योग को इस तरह का निवेश करने से रोक रहा है तथा यह अंतर और अधिक हो रहा है।

झ. कारणात्मक संबंध

118. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों की तुलना में किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करें जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है अथवा जिसके कारण संभवतः क्षति पहुंचेगी ताकि इन अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, खपत की पद्धति में मांग अथवा परिवर्तन में संकुचन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों का व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात कार्य निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों का घरेलू उद्योग द्वारा उठायी गई क्षति में योगदान हो सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात बहुत कम हुए हैं।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

120. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

121. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ड. निर्यात कार्य निष्पादन

123. प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए पृथक रूप से घरेलू प्रचालनोंके लिए क्षति संबंधी आंकड़ों पर विचार किया है।

च. अन्य उत्पादकों का कार्य निष्पादन

124. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के कार्य निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

ज. क्षति मार्जिन का आकार

125. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनबंध-111 के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर तथा उसे जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित कर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के वास्ते विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए कच्चे माल और उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति की अवधि के दौरान विचार किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन की क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर आवर्ती खर्च को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशीलपूंजी) पर एक उचित प्रतिफल (22 प्रतिशत पूर्व कर की दर से) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-111 में यथानिर्धारित एनआईपी तय करने के लिए पूर्व कर लाभ के रूप में दी गई थी और इसका अनुपालन किया जा रहा है।
126. ऊपर में किए गए उल्लेख के अनुसार पहुंच कीमत और निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	एनआईपी (अम.डॉ.प्र. मी.ट.)	पहुंच मूल्य (अम.डॉ.प्र. मी.ट.)	क्षति मार्जिन (अम.डॉ.प्र. मी.ट.)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
यिबिन हाईएस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	10-20
गाओक्सियन चांगक्सिन थ्रेड एलएलसी	***	***	***	***	0-10
यिबिन चांगक्सिन थ्रेड कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
हीस्ट ग्रुप	***	***	***	***	10-20
जिनजियांग कैमिकल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	10-20
जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
जिलिन कैमिकल फाइबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
जिलिन समूह	***	***	***	***	0-10
अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20

127. यह देखा गया है कि सहयोगी उत्पादक तथा सभी अन्य उत्पादकों के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

प्रकटन पश्चात अनुरोध**ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

128. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात दी गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

- देखें और महसूस करें क्योंकि उत्पाद को शामिल करने अथवा हटाने के लिए कभी भी मानदंड नहीं हो सकता। परिधान विनिर्माता फैब्रिक्स के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के बीच अंतर किए बिना फैब्रिक खरीदते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया पर ध्यान न देते हुए ती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादित वीएफवाई में समान विशेषताएं हैं।
- प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत का परिकलन नहीं दिया था।

- iii. चीन जन .गण. से संबद्ध सामानों की गुणवत्ता भारतीय उत्पादकों से बेहतर हैं। चीन जन. गण. के वीएफवाई की कीमतें घरेलू यार्न से काफी अधिक हैं, फिर भी भारत में ग्राहक बेहतर गुणवत्ता के कारण चीन जन. गण. से निर्यातित वीएफवाई को पसंद करते हैं।
- iv. पाटनरोधी शुल्क की केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए सिफारिश की जानी चाहिए।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित सामानों की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं है।
- vi. पावरलूम, वीविंग और निटिंग में लगा निचले स्तर का एमएसएमई उद्योग शुल्क लगाए जाने से प्रतिकूल रूप प्रभावित होगा।
- vii. चूंकि क्षतिरहित कीमत और सामान्य मूल्य को गोपनीय होने का दावा किया गया है, अतः निर्यातक टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या पीसीएनवार तुलना उपयुक्त है।
- viii. प्राधिकारी ने इस आधार जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में समायोजन नहीं किया है कि कोई संयंत्र बंद नहीं था। यहां तक कि यदि कोई संयंत्र बंद नहीं था तो व्यापार का सामान्य कार्यकरण कोविड के कारण इस अवधि में प्रभावित था।
- ix. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में आयातों की वास्तविक पहुंच कीमत और पीसीएन वार कीमत कटौती प्रकट नहीं की है।
- x. प्रतिकारी शुल्क जांच के आधार वर्ष की तुलना करने पर आवेदक की बिक्री लागत 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। तथापि, कॉस्टिक सोडा और पल्प की कीमतें उसके साथ नहीं बढ़ी हैं।
- xi. प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के पीसीएनवार संदर्भ कीमत स्वरूप की सिफारिश कर सकते हैं क्योंकि निचले स्तर का उद्योग एमएसएमई प्रकृति का है और अत्यधिक मांग और आपूर्ति अंतराल है।
- xii. नियत शुल्क से आयात रूक सकते हैं और आपूर्ति की कमी हो सकती है तथा निचले स्तर के उत्पादों का निष्पादन और टेक्सटाइल उत्पादों की पूरी मूल्य श्रृंखला प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।
- xiii. बाओडिंग हेंजिंग सिल्क थ्रेडस पर शुल्क का अलग रूप किया जाना चाहिए। जांच की शुरुआत का क्षेत्र स्पष्ट रूप से यार्न और थ्रेडस दोनों को शामिल करता है और यार्न स्तर से विनिर्माण करने के लिए जांच की शुरुआत में कोई आवश्यकता नहीं है।
- xiv. नार्वे से फार्मड सालमन पर पाटनरोधी उपायों के मामले में पैनल रिपोर्ट के अनुसार "उत्पादक" कोई भी विनिर्माता है जो उत्पाद को अस्तित्व में लाता है।
- xv. चीन जन. गण. से < 80माइक्रोन्स के एल्युमिनियम फॉइल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने माना कि जो जिस विनिर्माता ने मोटे फाइल स्टॉक का आयात किया और उस उत्पाद में डाउनग्रेड किया वह घरेलू उत्पादक था।
- xvi. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देते हुए और जांच के क्षेत्र के भीतर एसएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित यार्न शामिल करते हुए प्राधिकारी ने नोट किया था उस संबंध में आगे किसी संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब प्राधिकारी ने अपनी स्थिति बदल दी है।
- xvii. यदि प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री में अंतर के कारण उत्पाद क्षेत्र से एसएसवाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उत्पादित यार्न को अलग किया है तो प्राधिकारी को वहीं मानक लागू करना चाहिए और बम्बू पल्प से बनाए गए यार्न को अलग करना चाहिए।
- xviii. विचाराधीन उत्पाद से सुपर फाइन डेनियर के कुल आयात सुपर फाइन डेनियर में घरेलू उद्योग की कुल एसएसवाई बिक्री से अधिक रहे हैं।
- xix. घरेलू उद्योग यह नहीं चाहता कि उसके अपने उत्पाद बाजार विशेष में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें और यही कारण है कि वह पीएसवाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सुपर फाइन डेनियर से विचाराधीन उत्पाद उत्पादित न करने का संकल्प लें।
- xx. यदि प्राधिकारी ने इस आधार पर उत्पाद क्षेत्र से एसएसवाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उत्पादित यार्न को अलग किया है कि घरेलू उद्योग इस क्षेत्र में लाभकारी है तो फिर प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से सुपर फाइन डेनियर को भी हटाना चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र लाभप्रद है।

xxi. लो ग्लू डल यार्न का आयात 60, 75 और 120 जैसे विभिन्न डेनियरों में किया जाता है और घरेलू उद्योग केवल 120 डेनियर के लो ग्लू डल यार्न का ही आयात करता है। अतः उन सभी डेनियरों के लिए, जिनके लिए वे जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बिक्री के साक्ष्य देने में विफल रहे हैं, अलग किया जाना चाहिए।

xxii. घरेलू उत्पादक/निर्यातकों की कीमतें दी गई हैं। आयातों की कीमतें वस्तुतः अधिक हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

129. घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

- क. यदि कोन अथवा हैंक पर 100 प्रतिशत रेयन एनब्राइडरी श्रेड रॉ व्हाइट को श्रेड का प्रयोग करने के लिए तैयार के रूप में आयातित किए जाने का इरादा हो, तो उसे वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किए बिना 5401 के तहत वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है।
- ख. एम्ब्राइडरी के संबंध में पहली जांच में उसे हटाया जाना केवल एम्ब्राइडरी यार्न के संबंध में दिया गया था और वह भी इस आधार पर कि उसे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जा रहा है।
- ग. केवल 5401 के तहत आने वाले उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से छूट दी जानी चाहिए और वीएफवाई के अन्य सभी रूपों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।
- घ. एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि वे एम्ब्राइडरी मशीनों पर कोन में यार्न का सीधे ही प्रयोग कर सकता है। पक्षकार यह स्वीकार करता है कि ये एम्ब्राइडरी मशीन पर प्रयोग के लिए कोन में एम्ब्राइडरी श्रेड का एक दुर्लभ अनुप्रयोग है। तथापि, यह उत्पाद 5401 के तहत वर्गीकृत है न कि 5403 के तहत।
- ड. संबद्ध देश से उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा और मूल्य को लेन देन वार आयात आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य से मेल खाने की आवश्यकता है।
- च. प्रकटन विवरण अपूर्ण है क्योंकि उसमें लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में प्राधिकारी द्वारा पाए गए तथ्य नहीं हैं।
- छ. प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत निर्धारित करते समय नियोजित पूंजी पर अनुचित रूप से कम आय की अनुमति है। नियोजित पूंजी पर आय 40-50 प्रतिशत तक कम है।
- ज. अंतिम उत्पाद ओरगान्जा और जियोगेट पर 5 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव केवल 1 प्रतिशत है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

130. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं और उनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर ली गई है तथा अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उन्हें पर्याप्त रूप में हल कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
131. यह तर्क दिया गया है कि आयातों की कीमत अधिक है। प्राधिकारी ने लेनदेन वार आयात आंकड़ों की जांच की है और पीसीएन वार आयात आंकड़ों की तुलना की है। यह देखा जाता है कि आयात वस्तुतः घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत के हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और निर्यातकों के लिए कीमत सूचियां दी हैं। तथापि, उन सूचियों का आधार जांच के इस देरी स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
132. जहां तक पाटनरोधी शुल्क के रूप और अवधि के बारे में टिप्पणियों का संबंध है, इस पर प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों के आधार पर विधिवत विचार किया गया है। शुल्क का निर्धारण रूप शामिल पीसीएन की भारी संख्या को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि शुल्क का निर्धारण रूप कैसे आयातों को अनुमति देगा और शुल्क का निर्धारित रूप आयातों की अनुमति नहीं देगा। शुल्क का निर्धारण रूप नियत करने का प्रयोजन पक्षकार को कृत्रिम रूप से आयात कीमतों को अनुरूप बनाने की अनुमति नहीं देना है बल्कि पक्षकारों को संदर्भ कीमत और आयात की पहुंच कीमत के बीच अंतर की सीमा तक पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देना है।
133. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस क्षेत्र में लाभप्रदता के आधारों पर एसएसवाई प्रौद्योगिकी को अलग नहीं किया है। प्राधिकारी ने यार्न को उन आधारों पर अलग किया है कि एसएसवाई प्रौद्योगिकी यार्न का निष्पादन क्षति की अवधि में कुल मिलाकर समान रहा है जबकि विचाराधीन उत्पाद का निष्पादन क्षति की

अवधि में काफी कम हुआ है। एसएसवाई और पीएसवाई के निष्पादन में सापेक्ष अंतर से यह निष्कर्ष निकला है (अन्य तथ्यों के साथ-साथ) कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए एसएसवाई आयातित पीएसवाई के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था।

134. जहां तक बम्बू, कॉटन और वूड पल्प के निमित्त यार्न को हटाए जाने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह नहीं दर्शाया गया है कि बम्बू, काटन और वूड पल्प से निर्मित यार्न की भिन्न विशेषताएं, लागतें और कीमतें हैं। उत्पादों की लागतों और कीमतों में अंतर करने के लिए इसकी संगत मानदंडों के रूप में पहचान नहीं की गई थी। वस्तुतः प्राधिकारी ने पूर्व निर्धारण में भी इस उत्पाद के रूप में बम्बू, कॉटन और वूड पल्प से निर्मित यार्न पर विचार किया है।
135. जहां तक 60 और 75 डेनियरों के लो ग्लू डल यार्न को हटाए जाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने 120 डेनियरों के लो ग्लू डल यार्न का उत्पादन और आपूर्ति की है। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने लो ग्लू यार्न का उत्पादन और बिक्री की है और 60, 70 और 125 डेनियरों के यार्न का उत्पादन और बिक्री की है, मात्र यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद के विशिष्ट रूप का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है, उसे शामिल किए जाने के लिए औचित्य नहीं बनाता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई पीसीएन संभावित रूप से शामिल हैं। उनमें से कई का जांच की अवधि के दौरान आयात नहीं किया गया है जबकि इनमें से कई की घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा अलग पीसीएन उत्पादन के लिए बेचना उपयुक्त नहीं होगा। वस्तुतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उत्पादों के साथ आयात की तुलना के लिए एक पद्धति निर्धारित की है जहां घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद की बिक्री नहीं की है।
136. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित एसएसवाई की बिक्री मात्राके साथ सुपर फाइन डेनियरों के आयातों की तुलनाका संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा की गई ऐसी बिक्री की मात्रा से कम है। इसके अतिरिक्त तुलना पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती जबकि सुपर फाइन डेनियर पूर्व आयातों के 4 प्रतिशत हैं, सुपर फाइन डेनियर कुल एसएसवाई बिक्री के *** प्रतिशत हैं। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि चीनी आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में लगभग 59 प्रतिशत था, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल *** प्रतिशत था। घरेलू उद्योग ने *** एमटी डेटा जबकि चीन से आयात 45677 एमटी थे। इस प्रकार, इसी दशा में पूर्ण मात्राएं अतुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो बात अस्पष्ट रह गई है वह प्राधिकारी द्वारा पाया गया यह तथ्य है कि एसएसवाई का निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ है जबकि पीएसवाई का निष्पादन प्रभावित हुआ है।
137. जहां तक इस तर्क का संबंध है, देखें और महसूस करें किसी उत्पाद को शामिल करने अथवा हटाने के लिए कभी भी मानदंड नहीं हो सकता, परिधान विनिर्माता विनिर्माण प्रक्रिया पर ध्यान न देते हुए और प्रौद्योगिकी के बीच अंतर किए बिना फैब्रिक खरीदते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने पीएसवाई और पीएसवाई को भिन्न उत्पाद के रूप में अलग करने का सुझाव दिया है। इन पक्षकारों ने दो भिन्न पीसीएन में पीएसवाई और पीएसवाई को अलग करने का सुझाव खुद ही इन आधारों पर दिया है कि पीएसवाई और पीएसवाई के उत्पादित उत्पाद की लागत और कीमत में काफी अंतर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उत्पाद इस मानदंड के आधार पर विभिन्न पीसीएन में वर्गीकृत है कि उत्पाद की लागत और कीमत काफी अलग-अलग हैं। इस प्रकार, यदि हितबद्ध पक्षकार यह मानते हैं कि पीएसवाई और पीएसवाई की लागतें और कीमतें काफी भिन्न हैं तो इसका अर्थ है कि वे परस्पर परिवर्तनीय नहीं हैं, यहां तक कि यद्यपि वे दो भिन्न प्रौद्योगिकियों के हैं। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों को इसका कोई कारण नहीं दिया गया है कि एसएसवाई की लाभप्रदता क्यों अप्रभावित रही और पीएसवाई की लाभप्रदता इस अवधि के दौरान क्यों प्रभावित हुई जब पीएसवाई में पाटन गहन है। यदि पीएसवाई और एसएसवाई परस्पर परिवर्तनीय हैं तो दोनों उत्पादों की सापेक्ष लाभप्रदता वास्तविक रूप से इतनी भिन्न न रही होगी।
138. यह स्पष्ट किया जाता है कि पीसीएन वार सामान्य मूल्य आयात कीमत, पहुंच कीमत, कीमत कटौती, एनआईपी और क्षति मार्जिन के संबंध में सूचना गोपनीय प्रकृति की व्यापार संवेदी सूचना हैं अतः पीसीएन वार पहुंच कीमत जो डी सी आई एंड एस के लेनदेनवार आंकड़ों से निकाली गई है, प्रकाशित नहीं की जा सकती। प्रकटन विवरण में अथवा अंतिम जांच परिणाम में रखी गई कोई भी सूचना आगामी हर समय के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध रहेगी।
139. जहां तक शुल्क के स्वरूप का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में शामिल बहुत से पीसीएन हैं। वस्तुतः प्राधिकारी ने *** पीसीएन के लिए क्षति रहित कीमत और *** पीसीएन के लिए आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, यह सूची समाप्त नहीं होती। संभावित रूप से भारी संख्या में अन्य पीसीएन हो सकते हैं जिन्हें शुल्क की अवधि के दौरान उत्पादित और आपूर्ति किया जा सकता है। अतः शुल्क का

संदर्भ कीमत स्वरूप निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा। इस शुल्क के भारी संख्या में संभावित पीसीएन बनेंगे जिनकी कोई संदर्भ कीमत नहीं है अथवा जिन पर शेष संदर्भ कीमत लग रही है।

140. जहां तक अधिसूचित पीसीएन का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि पीसीएन हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति के लिए अधिसूचित किए गए थे। पीसीएन की अधिसूचना का अर्थ निर्धारण नहीं है। वस्तुतः प्राधिकारी प्रकटन विवरण के चरण में भी निर्धारण नहीं करते, हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन अधिसूचित करना एक तरफ रखें।
141. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चीनी उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर है। यह भी तर्क दिया गया है कि आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक हैं (बेहतर गुणवत्ता के कारण)। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी उत्पाद द्वारा कीमत कटौती सकारात्मक है। ऐसी स्थिति में जहां आयातित उत्पाद गुणवत्ता में बेहतर है, यह अस्पष्ट रह जाता है कि उसका आयात कम कीमत पर क्यों किया जा रहा था।
142. जहां तक प्रचालनों पर कोविड के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह वर्ष 2020 के लिए संगत था। वर्तमान मामले में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 है। जहां तक जांच की अवधि का संबंध है, घरेलू उद्योग के प्रचालन कोविड संबंधी लंबी अवधि के लॉक डाउन से प्रभावित हुए थे। घरेलू उद्योग ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान उत्पादन जारी रखा है। फिर भी वर्तमान मामले में क्षति का प्राथमिक रूप प्रतिकूल कीमत प्रभाव है न कि प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव।
143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान क्षति की अवधि में लागतों में वृद्धि *** प्रतिशत है, जिसके विपरीत बिक्री कीमत *** प्रतिशत तक बढ़ी। प्राधिकारी ने *** प्रतिशत तक बढ़ी इस बिक्री लागत पर विचार नहीं किया है।
144. जहां तक बायोडिग्रेड हेनजिंग सिल्क थ्रेड के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी विचार करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां उत्पादक की इनपुट कच्ची सामग्री और आउटपुट परिष्कृत उत्पाद केवल विचाराधीन उत्पाद के भिन्न रूप ही हैं, उत्पादक किए गए क्रियाकलाप के लिए पाटन मार्जिन का दावा नहीं कर सकता। जहां तक डब्ल्यू टी ओ रिपोर्ट के संदर्भ का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत मुद्दा यह नहीं है कि क्या कंपनी को एक उत्पादन के रूप में माना जाना चाहिए। संगत मुद्दा यह है कि क्या अलग पाटन मार्जिन का दावा करने वाली कंपनी में कच्ची सामग्री को परिष्कृत उत्पाद में परिवर्तित किया है। कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद के एक रूप को ही विचाराधीन उत्पाद के दूसरे रूप में परिवर्तित किया है। अतः वह अलग पाटन मार्जिन का दावा नहीं कर सकती। इस मुद्दे पर फाईल स्टॉक का संदर्भ अत्यधिक गलत रखा गया है क्योंकि इस उत्पाद में इनपुट और आउटपुट अत्यधिक भिन्न हैं और दो भिन्न उत्पाद हैं। प्राधिकारी ने फाईल स्टॉक और फाईल को दो भिन्न उत्पादों के रूप में माना है (फाईल स्टॉक के लिए 7 सितंबर 2021 के अंतिम जांच परिणाम सं. 6/27/2020 और फाईल के लिए दिनांक 18 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम सं. 6/21/2020)।
145. यद्यपि एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि शुल्क की सिफारिश दो वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए, अन्य हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि शुल्क की सिफारिश 3 वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए। तथापि, किसी भी पक्षकार ने कोई औचित्य नहीं दिया है कि शुल्क 3 वर्ष की अवधि के लिए क्यों प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार मानते हैं कि शुल्क एक बार लग जाए तो वह 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार एक वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा और शुल्क हटाने की करने के लिए पात्र हैं। वस्तुतः कानून के तहत शुल्क की अवधि एक वर्ष है और उसके बाद इसके आवश्यक होने के समय तक ही इसे लागू रहने की आवश्यकता है।
146. नियोजित पूंजी पर कम रिटर्न की अनुमति के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी की गणना एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III और प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास के अनुसार की गई है।
147. एनआईपी की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी की गणना एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III और प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास के अनुसार की गई है।
148. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण अधूरा है क्योंकि इसमें लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर रिटर्न के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पाए गए तथ्य शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में इसे संबोधित किया गया है।

ट. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे**ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

149. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जनहित में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. आवेदक द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद प्रयोक्ता उद्योग द्वारा संस्थापित त्वरित मशीनों पर नहीं चलाया जा सकता है।
- ख. प्रयोक्ता इस उत्पाद का आयात करते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा सही नहीं है।
- ग. घरेलू उद्योग 3.5 कि. ग्राम के कोन के साथ विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर सकता है।
- घ. अधिकांश बुनकर एमएसएमई और फैब्रिक्स के छोटे निर्माता हैं और पाटनरोधी शुल्क इन स्पिनरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
- ड. विस्कोस सिफॉन फैब्रिक के उत्पादन की लागत में, विचाराधीन उत्पाद की लागत फैब्रिक की लागत का 60-70 प्रतिशत है। ऐसे उत्पादों में प्रभाव उच्चतर होगा।
- च. भारतीय बुनकरों ने पहले ही 600 करोड़ रूपए से अधिक खर्च कर दिया है और आगे 400 करोड़ रूपए खर्च किए जाने की योजना है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से योजना बनाए गए निवेशों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।
- छ. प्रयोक्ता मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण आयात करने के लिए बाध्य हैं।
- ज. स्पिनरों द्वारा आपूर्ति किया गया यार्न एयरजैट मशीनों पर नहीं चल सकता है।
- झ. घरेलू उद्योग को दिए गए आदेशों में बहुत अधिक लीड टाइम है।
- ञ. आयात किए गए उत्पाद की कीमत घरेलू उद्योग की तुलना में अधिक है और प्रयोक्ता गुणवत्ता के कारण आयात करते हैं।
- ट. इन प्रयोक्ताओं को प्राधिकारी द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली जारी नहीं की गई थी।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव मात्रा बिल्कुल सही नहीं है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि स्पिनरों के उत्तर से पाटनरोधी के प्रभाव की मात्रा बताई जाए।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

150. घरेलू द्वारा जनहित में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. वीएफवाई उद्योग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50, 000 परिवारों को रोजगार प्रदान कर रहा है।
- ख. भारत में लघु बुनकर घरेलू उद्योग के आयातों में गिरावट आने पर आयातों पर ही निर्भर करेंगे। घरेलू उद्योग निर्यातकों के विपरीत बुनकरों को पर्याप्त सहायता प्रदान करता है।
- ग. घरेलू उद्योग छोटे-छोटे बुनकरों को उनके उत्थान के लिए निरंतर रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग नियमित रूप से उस उत्पाद की बिक्री कर रहा है जिसके लिए एयरजैट मशीन है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद उन्नत एयर जैट मशीनों को चलाने में सक्षम है।
- ड. किसी भी प्रयोक्ता ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोन के आकार के संबंध में चिंताएं व्यक्त नहीं की हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- च. घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है। ब्लेंडेड फैब्रिक्स पर प्रभाव 5 अम.डॉ./एम.टी.आर.की उत्पाद कीमत पर 0.77 प्रतिशत और 340 रूपए प्रति पीस के कशीदाकारी धागे के मामले में 1.36 रूपए है।
- छ. किसी भी बुनकर ने प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है जो प्रयोक्ता की प्रश्नावली के उत्तर की अपेक्षा है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु वही हैं जो संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन संबद्ध वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। घरेलू उद्योग आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए एक विश्वसनीय आपूर्ति करता है।

- झ. चीन के उत्पादक अपने राजस्व को अधिकतम स्तर तक लाने के एकमात्र उद्देश्य से कार्य करते हैं। यदि उन्हें उनकी शर्तों पर क्रेता नहीं मिलता है, तब वे किसी अन्य बाजार की ओर चले जाते हैं जबकि घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर अपने आप को स्थापित किया है।
- ञ. उपभोक्ता को मालसूची की उच्चतर मात्रा बनाए रखनी होती है यदि वे आयात पर निर्भर करते हों। हालांकि जब वे घरेलू उद्योग से खरीद करते हैं तब मालसूची धारित कमतर रखी जा सकती है। इसके फलस्वरूप चीन जन.गण. से खरीद की तुलना में पूंजीगत ब्लाकेज की निम्नतर राशि होगी।
- ट. उपभोक्ता की व्यवहार्यता अनुचित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच बनाने पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। निष्पक्ष बाजार स्थितियों पर प्रयोक्ताओं पर संयंत्र की स्थापना करते समय विचार किया गया था। पाटन को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करने से प्रयोक्ता के प्रचालन को नुकसान नहीं होना चाहिए।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क अनुचित कीमत भेदभाव के विरुद्ध एक निवारण है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करता है और भारत में उद्योग को संरक्षण प्रदान करता है। यह आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करना और समान अवसर प्रदान करना है।
- ड. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है और वह वर्तमान मामले में भी संगत है।
- ढ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे बल्कि बाजार में उचित कीमत सुनिश्चित होगी।
- ण. प्रयोक्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया और वे अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाने में असफल हैं।
- त. मांग आपूर्ति में अंतर अनुचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। यदि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर हो तब उसे उचित कीमत पर विदेशी उत्पादकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। जीएम अलॉय प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय संघ, संस्टेट के मामले में सेस्टेट के निर्णय पर विश्वास किया गया।
- थ. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य समान अवसर बनाए रखना है और पाटन को रोकना है। हालांकि सीमा शुल्क में कटौती का उद्देश्य पूर्ण रूप से अलग है और यह वर्तमान से संबंधित नहीं है। वीएफवाई को वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान समान सीमाशुल्क दर के अध्यधीन रखा गया था। इस कारण से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट सीमाशुल्क में कमी के कारण नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

151. प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जानेसे कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से पाटन की कार्य पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रूकेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान मामले में कीमत के मामले में क्षति उठानी पड़ रही है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को क्षति से रोका जाएगा।
152. पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्य रूप से पाटन की अनुचित व्यापार कार्य पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो इस देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
153. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से आम लोगों के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाए जाने के प्रभाव, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव तथा व्यापक रूप से आम जनता पर इसके प्रभाव पर विचार किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्य पर आधारित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका कोई

कारण नहीं है कि क्यों उपलब्धता में कमी आएगा, विशेषकर तब, जब चीन के उत्पादक अतिरिक्त क्षमताओं के साथ कार्य कर रहे हैं।

154. प्राधिकारी ने आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिससे सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के लिए भेजा गया था। घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास किया है और यह नोट किया है कि प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव बहुत कम होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आवेदन पत्र में अंतिम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पास भी उपलब्ध थी, 5 अमरीकी डालर/एमटीआर (लगभग 400 रु./एमटीआर) पर कीमत वाले ब्लैंडेड फैब्रिक पर प्रभाव 0.77 प्रतिशत है और 340 प्रति पीस के एम्ब्राइडरी श्रेड के मामले में 1.36 रूपए है। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा अतिरिक्त रूप से निर्धारित की है। प्राधिकारी ने निचले स्तर के उत्पाद की उनकी लागत और बिक्री कीमत में विचाराधीन उत्पाद के हिस्से के आधार पर प्रभाव पर विचार किया है। यह देखा जाता है कि उनकी बिक्री कीमत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव खपत किए गए विचाराधीन उत्पाद की किस्म और उत्पादित अंतिम उत्पाद की किस्म के आधार पर 0.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है। अतः यदि प्रयोक्ता उद्योग लागत की वृद्धि को निचले स्तर के उत्पाद में लाता है तो अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है। इसके अतिरिक्त, जनता पर और अंतिम उत्पाद अर्थात् घरेलू उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव भी कम होगा।
155. विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी ने पहले ही उपर्युक्त अंतिम जांच परिणामों में इन अनुरोधों पर ध्यान दिया है।
156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस देश में मांग-आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण प्राप्त करने से नहीं रोकता है और न ही यह पाटित कीमतों पर आयातों को न्यायोचित ठहराता है। जैसा कि डीएसएम आइडेमिन्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट द्वारा फैसला दिया गया है, मांग-आपूर्ति में अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक हमेशा पाटित न की गई कीमतों पर इस उत्पाद की बिक्री कर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी इस देश में आयातों को प्रतिबंधित नहीं किया गया।
157. प्राधिकारी अंतिम रूप से यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना व्यापक रूप से पर जनता के हित में है और अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम है।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

158. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध में उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में बेम्बू, काटन और वूड पल्प और सभी डेनियर के माध्यम से उत्पादित विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लो ग्लू डल यार्न को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है। डाइड और अनडाइड दोनों विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं।
- ग. 5401 के तहत वर्गीकरण एम्ब्राइडी श्रेड, जो प्रयोग के लिए तैयार हैं, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है। कोई भी उत्पाद जिसे 5403 के तहत वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है, विचाराधीन उत्पाद को क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है।
- घ. घरेलू उद्योग ने समान आकारों में कोन्स में यार्न दिए हैं जिनका आयात किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने स्पिनर्स को की गई बिक्री के बीजक भी दिए हैं जो एयरजैट मशीनों पर स्पिनरों में विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करते हैं।
- ड. एसएसवाई प्रौद्योगिकी से उत्पादित यार्न चीन में उत्पादित नहीं किया जाता है। यह उत्पादन प्रौद्योगिकी केवल भारत और यूरोप में उपलब्ध है। चूंकि यह उत्पाद चीन से भारत में आयात नहीं किया जा रहा है, अतः इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता।

- च. स्पूल स्पन प्रौद्योगिकी अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में भिन्न है क्योंकि इसके लिए काफी अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर है और कच्ची सामग्री में भी अंतर है।
- छ. यह तथ्य कि एसएसवाई डिविजन का निष्पादन आयातों में वृद्धि के बावजूद अप्रभावित रहा है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने बाजार क्षेत्र में एसएसवाई प्रौद्योगिकी से उत्पादित यार्न की बिक्री की है जहां पीएसवाई और सीएसवाई आधारित यार्न की बिक्री कम है।
- ज. यह आवेदन पत्र एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का प्रमुख उत्पादक है और नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है तथा नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।
- झ. चीन से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के तीन समूहों ने अपने निर्यातकों के साथ भाग लिया है। प्राधिकारी ने नमूनाकरण नहीं किया है और उनके उत्तर के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है।
- ञ. बायोडिंग हेंजिंग सिल्क थ्रेड कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए थे। तथापि, यह देखा जाता है कि कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद के एक रूप को सामान्य रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया है। कंपनी ने विस्कोस फिलामेंट यार्न का उत्पादन नहीं किया है और इसीलिए उनका उत्तर रद्द किया गया है।
- ट. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और ये मार्जिन काफी सकारात्मक है। पाटन की इतनी अधिक मात्रा के लिए निर्यातकों द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है।
- ठ. संबद्ध सामानों के आयातों की जांच यह दर्शाती है कि चीन से पाटित आयातों की मात्रा जांच की अवधि में बढ़ी है। आयात पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में दोनों में बढ़े हैं।
- ड. पीसीएन वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयात घरेलू उद्योगों की बिक्री कीमत से कम कीमत के हैं। अतः पाटित आयात घरेलू उद्योगों की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
- ढ. यद्यपि बिक्री लागत में वृद्धि हुई तथापि, पहुंच कीमत उसी दर पर नहीं बढ़ी है। आयात घरेलू उद्योगों की बिक्री कीमतों से कम कीमत के हैं और उन्होंने कीमतों में वृद्धि रोकी है। अतः यह देखा जाता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योगों की कीमतों का न्यूनीकरण किया है।
- ण. घरेलू उद्योगों के आर्थिक मानदंडों की जांच संस्थापित क्षमता में आंशिक वृद्धि दर्शाते हैं, उत्पादन और बिक्री भारत में क्षमता और मांग की तुलना में काफी कम है।
- त. जांच की अवधि में घरेलू उद्योगों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है परंतु आधार वर्ष से अनावश्यक तुलना करने पर यह कम है, संबद्ध देश का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी बढ़ा है।
- थ. घरेलू उद्योगों की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योगों के लाभ जांच की अवधि में न्यूनतम पर थे।
- द. घरेलू उद्योगों द्वारा अर्जित पूंजी पर आय की आय बैंक दर से कम है।
- ध. घरेलू उद्योगों की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- न. प्राधिकारी ने उन अन्य कारकों के संबंध में अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है जिनसे घरेलू उद्योगों को क्षति हो सकती है। अन्य कोई कारक घरेलू उद्योगों को क्षति पहुंचाने वाले प्रतीत नहीं होते। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योगों को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।
- प. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- फ. प्राधिकारी ने आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की है जो इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योगों को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। किसी प्रयोक्ता द्वारा भी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया गया है। घरेलू उद्योगों ने भी शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा दी है।

- ब. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। यह देखा जाता है कि प्रस्तावित उपायों का प्रभाव खपत किए जा रहे विस्कोस फिलामेंट यार्न की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 1-3 प्रतिशत के बीच होगा। प्राधिकारी ने अंतिम निचले स्तर के उत्पाद पर प्रभाव की अतिरिक्त रूप से जांच की है और यह देखा जाता है कि यहां तक कि यदि प्रयोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क की लागत आगे लगाता है तो अंतिम उपभोक्ताओं का प्रभाव नगण्य होगा।
159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क और सिफारिश किए गए उपायों पर प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव की मात्रा निर्धारित किए जाने प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने और लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
160. विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति और शामिल पीसीएन की भारी संख्या पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध सामानों की आयात कीमत के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उपयुक्त होगा।
161. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए अनुसार सामानों की सीआईएफ कीमत के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	5403	पीएसवाई अथवा सीएसवाई के माध्यम से उत्पादित विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न/ श्रेड	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	यिबिन हाईएस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन गोएक्सियन चांगक्सिन श्रेड एलएलसी यिबिन चांगक्सिन श्रेड कंपनी लिमिटेड	12.98
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जिंगज़ियांग केमशियल फाइबर कंपनी लिमिटेड	5.48
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जिलिन एन्का विस्कोस कंपनी लिमिटेड जिलिन केमिकल फाइबर स्टॉक कंपनी लिमिटेड	6.72
4	-वही-	-वही-	चीन	चीन जन.गण.	क्र.सं. 1 से 3 के अलावा कोई	20.87

			जन.गण.	सहित कोई देश	अन्य	
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई भी	20.87

ड. आगे की प्रक्रिया

162. इन अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/सीमाक्षा विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDING

New Delhi, 29th September, 2023

Case No. OI- (06/2022)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Viscose Rayon Filament Yarn” originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/06/2022-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) received an application (also referred to as the “petition”) from Association of Man-Made Fiber Industry Limited (hereinafter referred to as “applicant association”) and M/s Grasim Industries Limited (hereinafter referred to as “domestic industry” or “applicant” or “petitioner”) requesting initiation of an anti-dumping investigation under the Act and the Rules on the imports of “Viscose Rayon Filament Yarn” also known as VFY (hereinafter referred as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”). The applicant, namely M/s Grasim Industries Limited has provided the prescribed information in the application.
2. The Authority, on the basis of *prima-facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/06/2022-DGTR dated 30th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic injury.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5.
- ii. The Authority issued a Notification dated 30th September 2022, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th September 2022 to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers and users in India, and the other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- v. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire was sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in China PR in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. HMEI Thread Co. Ltd.
 - ii. Jilin Chemical Fibre Group Co. Ltd.
 - iii. Xinxiang Bailu Chemical Fibre Group Co. Ltd.
 - iv. Yibin Grace Co. Ltd.
 - v. Yibin Heist Fibre Co. Ltd.
- vii. The following producers/exporters from China PR have responded and filed exporter's questionnaire response:
 - i. Baoding Hengjin Silk Thread Co. Ltd.
 - ii. Boading Hengjin Silk Thread Co. Ltd.
 - iii. Goaxian Changxin Thread LLC
 - iv. Grace (Hong Kong) International Trading Limited
 - v. Jilin Chemical Fibre Stock Co. Ltd.
 - vi. Jilin Enka Viscose Co., Ltd.
 - vii. Jilin Top Trading Co. Ltd.
 - viii. Pro-Mexx Industrial Development Co. Ltd.
 - ix. Sichuan Wellshow International Trade PTE Ltd.
 - x. Xingxiang Chemcial Fibre Co., Ltd.
 - xi. Yibin Changxin Thread Co., Ltd.
 - xii. Yibin Hiest Fibre Limited Corporation
- viii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification and the questionnaire to the following known importers/users in India in accordance with the Rule 6(4):
 - i. Agarwal Fabtex Pvt. Ltd.
 - ii. Amrit Rayon Ltd.
 - iii. AR Corporation
 - iv. Bell Textiles Pvt. Ltd.
 - v. Bittu Synthetics
 - vi. Chunnilal Kundanmall

- vii. Doriwala Industries
 - viii. Hardik Fashions
 - ix. Krishan sale's Corporation
 - x. Liberty Trendz Pvt. Ltd.
 - xi. Manohar Capital Markets Ltd.
 - xii. Marwadi Brothers
 - xiii. Meenakshi Group Pvt. Ltd.
 - xiv. Meher International
 - xv. Rajmal Son's and Group
 - xvi. Ramchandra Art Silk Yarn Trading Co. Ltd.
 - xvii. Shah Trading Co.
 - xviii. Shanti Textiles
 - xix. Shri Govindraj Trading Company
 - xx. Tejoday Dyeing & Printing Works
 - xxi. The Matrix Enterprise
 - xxii. Urjaa Exim Pvt. Ltd.
 - xxiii. Vyapar Com & Industries Ltd,
- ix. The following importers/users in India have responded and filed importers/users questionnaire response:
- i. A.R Corporation
 - ii. Anand Apparels
 - iii. Batsons Textiles
 - iv. Chinco Textiles
 - v. Dharmik Textile
 - vi. Eagle Silk Mills Pvt. Ltd.
 - vii. Golden Synthetics
 - viii. Hanuman Weavetech
 - ix. I M Patel & Sons
 - x. Jalaram Textils
 - xi. Jash Rayon
 - xii. Maker Filaments
 - xiii. Meher Filament
 - xiv. Meher International
 - xv. Palak Tex
 - xvi. Prakash Textiles
 - xvii. R R Tex
 - xviii. Reaghan Fashion Pvt. Ltd.
 - xix. Ruhi Tex
 - xx. Satyam Sizing
 - xxi. Shree Bhuvneshwari Textiles
 - xxii. Shyamlal Goyal Fabrics Pvt. Ltd.
 - xxiii. Silk Poly Fab.

- xxiv. Tailor & Tailor Fab
- xxv. Urjaa Exim Pvt Ltd
- x. The Authority specified proposed Product Control Number (PCN) for fair comparison of the PUC in the initiation notification dated 30th September 2022.
- xi. The Authority invited comments from the interested parties on the proposed PCN and thereafter held a meeting on 14th November 2022 to finalise the PCN methodology. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions in order to enable the opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- xii. After considering the arguments made by the interested parties in the oral hearing and the submissions filed thereafter, the Authority notified final PCN methodology on 29th November 2022.
- xiii. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties up to 27th December 2022 to file their questionnaire response.
- xiv. The Authority also issued an Economic Interest Questionnaire (hereafter referred to as “EIQ”) to the interested parties including Ministry of textiles dated 14th December, 2022 seeking inputs on the economic impact of the proposed duties. The information received from all the parties has been considered for the purpose of present determination.
- xv. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xvi. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months). The injury analysis period covers 1st April 2018 to 31st March 2019, 1st April 2019 to 31st March 2020, 1st April 2020 to 31st March 2021 and the period of investigation.
- xvii. The transaction-wise import data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG, Systems. The Authority has relied upon data of DGCI&S for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- xviii. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of these findings. The Authority has also conducted physical verification at the premises of the domestic industry. The Authority has also verified the data of the responding exporters from the subject country through desk verification.
- xix. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 16th June 2023 in hybrid mode. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- xx. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final finding.
- xxi. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the applicant to the extent considered relevant.
- xxii. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxiii. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 21st September 2023 and the interested parties were allowed time up to 26th September 2023 to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.

- xxiv. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final finding on the basis of the facts available.
- xxv. The non-injurious price (hereinafter referred to as “NIP”) has been determined based on the cost of production and reasonable profits for the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xxvi. ‘***’ in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxvii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$=Rs 75.37.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submission of the other interested parties

4. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
- a. It is not necessary that the domestically produced product is exactly the same as the dumped product. Even if the dumped product and the product being produced by the domestic industry are not exactly the same but ‘alike’ or similar to each other, they can be covered within the scope of an investigation. Black Laws Dictionary defines the word ‘alike’ as similar to another. The term is not synonymous with “identical,” which means “exactly the same.”
 - b. Weavers use VFY produced through PSY and SSY manufacturing process for manufacturing same type of fabrics, without differentiating between fabrics manufactured using PSY or SSY yarn.
 - c. The prices of PSY and SSY technology yarn are almost in the same range. SSY is not a high price product.
 - d. Irrespective of the manufacturing process & technology, the yarns produced are alike in their essential characteristics and can be used interchangeably.
 - e. Imports of superfine denier of PSY are more than the SSY sales in superfine deniers.
 - f. In the period of investigation and 2022-23, the total imports of superfine deniers are more than double the total domestic production of the applicant. Therefore, the contention of the applicant that SSY is sold in the superfine deniers which are not imported is incorrect.
 - g. The Authority has included VFY produced through SSY technology in the scope of PUC through its notification dated 29th November 2022. This notification finalized the scope of the PUC and PCN methodology and supersedes the initiation notification.
 - h. The applicant has for the first time at the time of hearing contended that other types of rayon should be included in the scope of the product under consideration. More than 9 months have passed since initiation of the investigation and the domestic industry has not placed any evidence on record to show that cuprammonium and bemberg yarn are viscose yarn.
 - i. Since cuprammonium and bemberg yarn products are neither imported from China nor produced in India, inclusion of these products will have absolutely no bearing on the present investigation.
 - j. The definition of the viscose rayon and cuprammonium rayon as provided in Chapter 54 itself show that these are different products.
 - k. The applicant must produce evidence that cuprammonium rayon, bemberg rayon and lyocell are commercially and functionally interchangeable with Viscose.
 - l. Low glue dull yarn should be excluded from the scope of investigation as the applicant has not produced this product.
 - m. The Authority should clarify whether 100% rayon embroidery thread raw white on cone 120D/2 and 100% rayon embroidery thread raw white on hank 120D/2 are excluded from the scope of the investigation.
 - n. The Authority should clarify whether viscose filament yarn below 60 deniers is excluded from the scope of the investigation.

- o. The product under consideration imported using bamboo pulp and cotton pulp as raw material should be excluded as the same are not being produced by the applicant.
- p. The fineness of the yarn supplied by the domestic industry is not consistent which leads to yarn wastage.
- q. The domestic industry supplies cones of smaller and uneven sizes. Continuous stoppage of machines leads to increase in cost of production of weavers.
- r. Cones in smaller sizes leads to much higher production loss. Therefore, the users prefer to import the product under consideration.
- s. The embroidery thread exported by Yibin Hiest Fibre Limited Corporation is a downstream ready to use product. This should be excluded in all forms including small bobbin or big cone.
- t. Embroidery thread on cone or hank is normally transferred onto a small bobbin before use on an embroidery machine but it is not a significant process. It continues to remain 'ready to use' as was before it was transferred onto a bobbin.
- u. 100% rayon embroidery thread raw white on cone 120D/2 or on hank 120D/2 based was also excluded in the previous investigations.
- v. The products produced by the applicant cannot run on advance air jet machines where spinning reaches 900-1200 picks per minute.
- w. Cones supplied by the applicant are in small sizes as compared to the cones supplied by the Chinese exporters. Further, the cone supplied by the Indian industry are not in even sizes and have to undergo a process of spinning first.
- x. The domestic industry has failed to any provide evidence for likeness of PSY and CSY with regard to 7 parameters of comparison, namely, input, process, technology, end weave, price point, product specifications and consumer perception.

C.2. Submission of the domestic industry

5. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
 - a. The product under consideration in the present investigation is viscose rayon filament yarn/thread classified under 5403.
 - b. Neither the application nor the initiation notification has included yarn produced through SSY technology within the scope of the product under consideration. Further, neither WTO agreement nor Indian anti-dumping law provides any definition of the product under consideration.
 - c. The product cannot be considered as dumped unless the product is introduced into the commerce of another country. Since Chinese producers do not have the technology to produce the yarn using SSY technology, it cannot be said to be dumped into the Indian market and cannot be included in the scope of the product under consideration.
 - d. The law requires that an article identical or alike in all respects to the imported product must be produced by the domestic industry to be considered as like article. Since the domestic industry produces the identical article to the imported PSY and CSY yarn, there is no legal basis to include any other product as a like article.
 - e. The usage of three different production processes is different in terms of market segment due to specification of the product.
 - f. Due to the production process, PSY technology results in yarn with lower dyeing consistency compared to SSY technology.
 - g. PSY involves more production steps than SSY.
 - h. SSY yarn offers greater stretchability and dyeing consistency that PSY yarn cannot achieve.
 - i. The difference in technology enables SSY yarn to possess shrinkage ability and better dyeability and consistency, which are not present in PSY yarn.
 - j. SSY yarn is finer and caters to different end applications.
 - k. PSY produced yarn is mass produced whereas SSY produced yarn is a niche category.

- l. In previous investigation of anti-subsidy investigation, the Authority found that VFY produced using SSY technology is different from the yarn produced through PSY and CSY.
- m. Separate plants and investments have been made for different technologies, which demonstrate the importance of technology in the present industry. Different technologies lead to differences in the eventual yarn and that is the reason for incurring higher investment in SSY plant.
- n. SSY yarn is mainly used for super fine denier applications, while PSY yarn is commonly used in coarser denier category.
- o. PSY yarn sold by the domestic industry and imported from China is typically in the above 50 deniers to 150 deniers' range.
- p. The interested parties admit the existence of technology in PSY and CSY product. However, they have contended that there is no difference between PSY and SSY technology. This is clearly contradictory.
- q. The Authority has treated PSY and CSY differently in its PCN classification, thus showing admission of the difference in product due to technology in this product.
- r. The share of imports in the domestic sales of yarn produced through different technologies shows distinct patterns. Over 90% of PSY yarn imports are in the range of above 50 deniers to 150 deniers. This is much different from the sales pattern of SSY yarn by the domestic industry.
- s. Around 20% of SSY yarn sold by the domestic industry falls in the range of 50 deniers to 150 deniers, where PSY yarn is mostly sold. This shows difference in PSY and SSY sold by the domestic industry.
- t. The goods produced through three different technologies cater to different market segments.
- u. Imports of below 50 deniers in PSY and CSY technology have increased, but the performance of SSY technology remains unaffected. This shows lack of competition between PSY/CSY yarn and SSY yarn. The domestic industry's performance is impacted by the imports in the PSY/CSY technology but not in SSY technology, indicating a difference in market acceptance and competition between the two products.
- v. If the Authority includes SSY as a like article to the product under consideration, then there are other types of VFY produced through different technology and it would become important to add those yarns as well in the present determination. This would be clearly inconsistent.
- w. Interested parties have stated that SSY is similar to the product under consideration due to the existence of the same market segment for VFY produced using all three technologies, and fabric and garment producers do not differentiate between them. However, the very fact that the products produced through different technology fetch different market in itself establishes different end applications of the yarns produced through different technologies. Evidently, the consumers find difference in the yarn properties leading to payment of different prices based on technology.
- x. If there was differentiation between the products, the import data wouldn't specify PSY/CSY, separate plants wouldn't exist, the SSY plant would have suffered due to dumping of PSY, Grasim wouldn't have invested in patented technology. The patent for SSY technology demonstrates its uniqueness compared to PSY and CSY products.
- y. The market segment of the product under consideration and SSY technology is different. The share of products with up to 50 deniers is low, accounting for only 3% in total PSY and 18% in CSY. In contrast, SSY holds a significant share of 79%.
- z. The SSY technology is predominantly up to 50 deniers, whereas PSY is predominantly in 50-150 deniers.
- aa. Yarn produced using SSY technology is mainly for fine yarn (deniers of 50 or below). PSY technology yarn is not primarily sold or imported in the fine denier category. PSY technology yarn sold by the applicant and imported from China is mostly in the 50 to 150 denier range. SSY technology yarn is intended for fine denier purposes, while PSY technology yarn is meant for coarse denier purposes.
- bb. The product scope cannot be changed without amending the notice of initiation. The Authority has not altered the scope or like article.

- cc. The product scope can only be restricted during the investigation, not expanded after initiation without amending the notice. The interested parties are seeking an unauthorized expansion of the product scope.
- dd. All three packing forms namely, hank, cone and bobbin are within the scope of product under consideration. Further both dyed and undyed subject goods are within the scope of the product under consideration.
- ee. The product falling under custom classification 5401 is excluded from the scope of the product under consideration. Further, the product may be even or uneven yarn and may be of various grades. Viscose filament yarn of all types/forms/type/composition, classifiable under customs classification 5403, is within the scope of the product under consideration.
- ff. SSY technology was developed to produce super fine yarn with different dyeing consistency and distinct look and feel compared to PSY technology.
- gg. Different technologies have evolved to cater to the varying properties and desired look and feel of the garment. This is especially important for the product under consideration, which is predominantly used by women who prioritize the overall appearance and texture over incremental costs.
- hh. The product is a cellulosic filament yarn, widely used in the textile industry to produce fabrics with a distinct character compared to fabrics produced from yarns made using staple fibres. All the fibres are continuous throughout any length of the yarn.
- ii. Continuous filament yarns are produced from cellulose using the viscose process or cuprammonium hydroxide method. In the viscose process, cellulose is converted into cellulose xanthate, dissolved in a sodium hydroxide solution, and extruded through a spinneret into an acid bath.
- jj. Conversion from wood pulp to different yarn can be undertaken through different technologies such as cuprammonium technology, viscose spot spun yarn technology viscose continuous spun yarn technology, Viscose pot spun yarn technology, lyocell technology, bemberg technology or modal technology.
- kk. Viscose, modal, and lyocell are all derived from plants and are considered variations of the same fiber called viscose. They are scientifically classified as regenerated cellulosic fibers, composed of extracted cellulose reformed into fibers. Although they share a common origin, the manufacturing processes and treatments used for each fiber differ, resulting in variations in the look, feel, and end application of the garments produced.
- ll. Due to variations in treatment, additives, and production cycles, the final products created using these different technologies exhibit differences in softness, texture, and feel. These distinctions have an impact on the perception of the end consumer.
- mm. Yibin Hiest Fibre Limited Corporation and other related producers are seeking the exclusion of "ready to use embroidery thread" without further conditions. The domestic industry suspects that the motive behind the exclusion request is malicious and aims to avoid higher customs duty and anti-dumping duty.
- nn. The product under consideration and yarn/thread for embroidery applications have separate classifications under the Customs Tariff Act, making the demand for exclusion without tariff classification unjustifiable.
- oo. Ready to use yarn is excluded from the scope of present investigation. But embroidery thread on cone hank is not a ready to use yarn which is classified under heading 5401 is not excluded from the product scope.

C.3. **Examination by the Authority**

6. In the notice of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration in the present investigation is viscose rayon filament yarn/thread classifiable under customs classification 5403, excluding yarn produced through spool spun technology, only ready to use embroidery thread on small bobbin that can be installed on embroidery machine, and which is classifiable under customs classification 5401, is excluded from the scope of the present investigation. Further, both dyed and undyed yarn are within the scope of the product under consideration.

4 Viscose rayon filament yarn can be produced by three processes, namely, pot spun yarn (PSY), continuous spun yam (CSY) and spool spun yarn (SSY). Yarn produced through each process finds usage in different segment because of different specifications. Scope of the product under consideration in the present investigation is restricted to the viscose rayon filament yarn produced through PSY and CSY technology. Viscose rayon filament yarn produced through SSY technology is outside the scope of the product under consideration.

5 The applicant has stated that the product has been imported using a number of different descriptions and has provided a non-exhaustive list of different description that have been used by the importers while reporting imports. The scope of the product under consideration includes all possible descriptions of the product. The list of descriptions used while importing the product is given below. These constitute non exhaustive list of description of the product:”

5 The applicant has stated that the product has been imported using a number of different descriptions and has provided a non-exhaustive list of different description that have been used by the importers while reporting imports. The scope of the product under consideration includes all possible descriptions of the product. The list of descriptions used while importing the product is given below. These constitute non exhaustive list of description of the product: -

Bamboo Csp Even	Continuous Even Bright High Glue (Undyed)
Bamboo Csp Even (Undyed)	Cotton Csp
Bamboo Csp Uneven	Cotton Csp Brt Cmc Undyed
Bamboo Csp Uneven (Undyed)	Cotton Csp Brt Hg Undyed
Bamboo Csp Uneven Dull	Cotton Even (Undyed)
Bamboo Pulp Brt Undyed	Cotton Pulp On Cone
Bamboo Pulp Dull Undyed	Cotton Pulp Undyed
Bright Dull White On Cone	Dull Cotton Pulp (Undyed)
Bright On Cone Silver Ring	Dull Wood Pulp
Bright Raw White On Cake	Egret Brand Continuous Bright Grade Even (Undyed)
Bright Raw White On Cone	Egret Brand Continuous Even Bright (Undyed)
Bright Rayon Twisted Yarn	Egret Brand Continuous Even Cg Grade Bright (Undyed)
Brт Cotton Pulp (Undyed)	Egret Brand Continuous Even Snow Cowrie Bright (Undyed)
Brт Csp Bamboo Even (Undyed)	Raw White Bright On Cake
Brт Csp Bamboo Hg Even (Undyed)	Raw White Bright On Cone Undyed
Brт Csp Bamboo Hg Uneven (Undyed)	Raw White Dull On Cone Undyed
Brт Csp Bamboo Uneven (Undyed)	Rayon Embroidery Thread Bright Dyed On Cone
Brт Csp Cotton Even (Undyed)	Rayon Embroidery Thread Bright Raw White
Brт Csp Cotton Undyed	Rayon Embroidery Thread Bright Raw White On Hank
Brт Csp Cotton Uneven(Undyed)	Rayon Embroidery Thread Bright Raw White On Hank Undyed
Brт Wood Pulp Undyed	Rayon Viscose Yam (100% Virgin) Undyed
Centrifugal Bright (Undyed)	Rayon Viscose Yam (100% Virgin) Undyed Raw White
Centrifugal Egret Brand Dull	Viscose Rayon Embroidery Thread In Hank (Undyed)
Continuous Egret Brand Bright	Viscose Rayon Embroidery Thread In Hank Raw White

<i>Continuous Egret Bright</i>	<i>Viscose Rayon Embroidery Thread Raw White Bright On Hank Undyed</i>
<i>Continuous Egret Snow Bright</i>	<i>Viscose Rayon Filament Yarn, Various Deniers And Filaments</i>
<i>Wood Pulp On Cone Dull</i>	<i>Viscose Rayon Yam (Raffia) Raw White 100% Dyeable Quality</i>

6 The product is classified under the Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under subheadings of the tariff custom classification as 5403. The product is majorly imported under 54031000, 54031090, 54033100, 54033200, 54034110, 54034120, 54034130, 54034150, 54034170, 54034190. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration”

7. Illustrative images of the product under consideration are given below.



8. Various submissions have been made by the interested parties on the scope of the product under consideration and sought exclusions and clarifications on the scope of the product under consideration. The arguments of interested parties have been examined by calling relevant information from the parties and undertaking on the spot verification at the premises of the domestic industry.

➤ Low glue dull yarn

9. It has been contended that low glue yarn should be removed from the scope of the product under consideration, as it is not being produced by the domestic industry. The domestic industry has contended that it has produced and sold in low glue dull yarn in commercial quantities and production does not require any special machinery. Sample invoices have been provided by the domestic industry showing sales of low glue yarn by them. Therefore, the contention for exclusion cannot be accepted. Low glue yarn is included within the scope of the product under consideration.

➤ Viscose filament yarn which is produced through bamboo, cotton and wood pulp.

10. As regards the request for exclusion of viscose filament yarn produced through bamboo and cotton pulp, it is noted that there is no difference in the product produced using all three raw materials. In fact, it is noted that the

producers of the subject goods are concerned with cellulose which can be derived from all the three sources. It is also noted that the product under consideration produced using bamboo, cotton or wood pulp was also covered in the previous investigation. Further, no justifiable evidence has been brought forward to support the contention of why these should be excluded.

➤ 100% rayon embroidery thread raw white on cone or on hank

11. It is noted that ready to use embroidery thread on small bobbin that can be installed on embroidery machine, and which is classifiable under customs classification 5401 has already been excluded from the purview of the PUC. It has however been contended that embroidery thread is a downstream product to the product under consideration and therefore should be completely excluded without the restriction on the tariff classification. In this regard, it is noted that embroidery thread in ready to use yarn is classifiable under 5401, whereas the product under consideration is classifiable under 5403.

12. Therefore, the Authority concludes that embroidery thread classifiable under 5401, which are ready to use, are beyond the scope of the product under consideration. However, if 100% rayon embroidery thread raw white on cone or on hank classifiable under 5403, the same is within the scope of the product under consideration of the present investigation. The Authority has included all such import transactions for the purpose of the present investigation and final determination.

➤ Yarns suitable for air jet machines or cones of smaller and uneven sizes.

13. It has been contended that the yarn supplied by the domestic industry is not suitable to run on airjet machines. The domestic industry has however provided invoices of sales made to spinners who have airjet machines. The domestic industry has contended that it has sold a total of around *** MT to NDR yarns, Eagle Industries, Hardik Fashions, SK Weavings and Baid Synthetics who use airjet machines and therefore the contention of the interested parties is incorrect. Further, it has also been submitted by the domestic industry that the size of the cone does not have any material impact on the machines run by the users and the machines productivity will suffer only when cones of different sizes are used at the same time. The Authority notes that while different cone size deployed at the same time may have adverse impact on the productivity, the mere fact that the cone size supplied by the domestic industry are of small weight as compared to the cone supplied by the foreign producers per se does not justify both dumping and injurious exports in Indian market. Further, the interested parties have not quantified the impact of use of different cone size on their productivity. Accordingly, the yarns suitable for air jet machines or cones is within the scope of the product under consideration of the present investigation.

14. While it was contended by the interested parties that the domestic industry puts obligations on its customer to buy substandard materials, no evidence has been provided in support of the argument.

➤ Viscose Filament Yarn below 60 deniers.

15. The Authority notes that viscose filament yarn below 60 deniers has been imported from the subject country and produced and sold by the domestic industry. In fact, the Authority has determined NIP and price undercutting by considering production and sales of the domestic industry for below 60 deniers yarn. Therefore, the scope of the product under consideration includes viscose filament yarn below 60 deniers.

➤ Cuprammonium and Bemberg yarn.

16. It is clarified that cuprammonium and bemberg yarn are not within the scope of the product under consideration. Neither has the domestic industry requested their inclusion nor has the interested parties made any submission in this regard.

➤ Viscose Filament Yarn produced through SSY technology.

17. Various submissions have been made by the interested parties and the domestic industry on the inclusion or exclusion of the yarn produced through SSY technology in the scope of like article produced and sold by the domestic industry. It has been contended by the interested parties that the technology does not play any role for the user in its decision to buy the product under consideration. On the contrary, the domestic industry has stated that yarn produced through SSY technology is a completely different product. The Authority has examined the following factors in arriving at the decision whether SSY can be considered inside the scope of like article to the product under consideration.

a. Scope of product under consideration

18. The Authority notes that scope of the product under consideration as per initiation notification clearly excludes SSY. The Authority has conducted physical verification at the premises of the domestic industry to examine if the Viscose Filament Yarn produced through the three technologies are alike to each other. It has not been contended by interested parties that yarn produced through SSY technology is imported into India and therefore, it should be included. Further, the interested parties have contended that yarn produced through SSY

technology should be included as a like article to the yarn imported. The domestic industry contended that there is no production of SSY in China PR, nor the Chinese producers have technical capability to produce SSY. There is no export of SSY to India during the injury period. The Authority therefore concludes that in so far as scope of the product under consideration is concerned, the same very appropriately excludes SSY.

b. Scope of the like article

19. The authority examined whether the scope of the like article should be extended to include SSY. The Authority has undertaken detailed investigations on this account and notes the following.
 20. It is noted that the interested parties have specifically contended that SSY is like article to PSY. The interested parties have not contended that SSY is a like article to CSY. Further, the interested parties have contended that PSY and CSY have significant differences leading to significant difference in costs and prices that the Authority should make separate PCN for the same. The domestic industry had also proposed technology as a parameter of PCN and has divided product under consideration into CSY and PSY. Thus, the domestic industry and interested parties contended that CSY and PSY should be treated as different PCNs because of the difference in technology. The interested parties however contended that PSY and SSY should be treated as one PCN despite difference in technology. This contention has also been examined.
 21. It is noted that the product under consideration is produced and sold in a large number of different deniers. Different deniers are required to meet requirement of different segments of the market. The costs and prices of different deniers varies so significantly that denier has been treated as a parameter for PCN wise comparison. Thus, denierage of yarn is an important parameter to distinguish different types of VFY.
 22. The Authority had earlier conducted investigations relating to the VFY. Further, while the domestic industry was not producing and selling SSY technology product at the time of earlier investigations, the domestic industry was producing and selling this yarn in the last investigations conducted by the Authority. The Authority has considered the final findings notified in all the previous investigations also while making the present determination.
 23. The Authority notes that technology (CSY/PSY) and denierage have all been considered as important product parameters, leading to different PCNs in all the past investigations. Even in the present investigations, there is no dispute with regard to separate PCN for CSY & PSY, and for different deniers of the product.
- i. Production technology
24. The Authority notes that there is no dispute that VFY is produced through three different technologies, i.e., post spun yarn (PSY), continuous spun yarn (CSY) and spun spool yarn (SSY).
 25. VFY was historically produced using pot spun technology. Continuous spun technology was introduced more than two decades back. The Chinese and Indian producers are producing VFY using CSY and PSY technology for the past several years and were found to be producing through these technologies since the first investigation relating to this product.
 26. It is noted that the production facilities based on SSY technology are available only in India and Europe. The Chinese producers undisputedly do not produce VFY using this technology.
 27. The information provided by the petitioner shows that there is significant difference in capital investment per unit of capacity. The Authority notes that the very fact that different technologies are deployed by the producers and the investment per MT of capacity in PSY is materially lower than investment per MT of capacity in case of SSY establishes that technology play significant role. There would not have been investment in SSY, if PSY would have given a product with the same product properties. Evidently, the producers perceive some material difference in eventual product properties thus leading to investments in SSY. The interested parties have not established that there are no differences in the eventual product properties and specifications of the product produced through SSY and PSY technology. The Authority also notes that the nature of the product is also required to be considered in this regard. VFY is largely used for making products where look and feel of the garment is the biggest parameter for consumer preference and purchase decision. The domestic industry contended that the look and feel of yarn introduced using SSY is very different from look and feel of yarn produced by PSY technology.
 28. The Authority considers that while difference in technology in normal circumstances might not be quite relevant, in the facts and circumstances of the present case and where the Authority has been consistently considering, and interested parties have been suggesting segregation of VFY into PSY and CSY, solely based on technology difference, in itself implies that the product produced using different technologies are perceived differently in the market place. Further, these carries significantly different cost and price.

- ii. Manufacturing process
29. It is also noted that the manufacturing process for production of SSY is very different from PSY. The Authority has considered the degree of the difference in the manufacturing process to consider if the yarn produced through three technologies are different. The domestic industry earlier had only PSY and CSY technologies to produce VFY. The domestic industry has set up a new plant to produce VFY using SSY technology.
- iii. Capital investment
30. The difference in the net fixed asset per unit of the three yarns is given below: -

SN	Technology	Capital employed per unit	Capital employed per unit
1	PSY	***	Between 2 to 3 lakh per MT
2	CSY	***	Between 6.5 to 7.5 lakh per MT
3	SSY	***	Between 11.5 to 12.5 lakh per MT

31. It is noted that the per unit investment required is quite high in the case of yarn produced through SSY technology.
- iv. Raw material
32. It is also noted that while SSY technology requires soft wood pulp to produce product under consideration, production in case of PSY and CSY technology can also be undertaken through hard wood pulp.
- v. Degree of competition
33. The table below shows the imports and the domestic sales of viscose filament yarn of PSY, CSY and SSY technologies in upto 50 deniers, above 50 and upto 150 deniers and above 150 deniers.

SN	Particulars	UOM	Imports into India		Grasim sale		
			PSY	CSY	PSY	CSY	SSY
A	Import volumes						
1	Upto 50 deniers	MT	634	1,112	***	***	***
2	Above 50 & upto 150 deniers	MT	18,626	25,239	***	***	***
3	Above 150 deniers	MT	20	46	***	***	***
4	Total imports	MT	19,280	26,397	***	***	***
B	Share in total imports						
5	Upto 50 deniers	%	3%	4%	Below 1%	25-30%	75-80%
6	Above 50 & upto 150 deniers	%	97%	96%	80-90%	65-70%	20-25%
7	Above 150 deniers	%	0%	0%	15-20%	0-5%	Below 1%

34. It is noted that
- VFY above 50 and upto 150 deniers forms majority of the product in case of PSY and CSY. By contrast, VFY upto 50 deniers forms majority of the product in case of SSY.
 - Imported PSY upto 50 and domestic CSY upto 50 deniers commands next higher share in sales.
 - While 21% of SSY sales were between VFY above 50 and upto 150 deniers, it is noted that these were largely of 50 and 60 deniers, whereas majority of sales in PSY above 50 and upto 150 deniers were of 120 deniers.
35. It is thus seen that the yarns produced through SSY is meant for consumption in different market segment as compared to yarn produced through PSY and CSY.

36. The table below shows the share in demand of yarns produced through different technologies in the three segments.

Sl. No.	Particulars	PSY	CSY	SSY
1	Upto 50 deniers	2%	8%	79%
2	Above 50 & upto 150 deniers	88%	91%	21%
3	Above 150 deniers	10%	1%	0%
	Total demand	***	***	***

37. It is seen that in gross Indian demand, more than 85% of the demand of yarn produced through PSY technology is in market segment of above 50 and upto 150 deniers. On the other hand, in case of SSY technology, around 80% of the sales are in market below 50 deniers.

vi. Impact on the domestic industry

38. The Authority has additionally compared the performance of yarn produced through the three technologies which are shown below.

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
A	PSY					
1	Profit/(Loss)	₹/MT	28,074	17,747	-6,795	-9,902
2	ROCE	%	15%	8%	-1%	-4%
B	CSY					
1	Profit/(Loss)	₹/MT	99,644	99,815	62,644	68,393
2	ROCE	%	14%	13%	6%	10%
C	SSY					
1	Profit/(Loss)	₹/MT	2,72,540	2,63,507	2,72,679	2,44,121
2	ROCE	%	16%	18%	15%	19%
	Import volumes					
D	PSY	MT	6,811	11,885	12,305	19,280
E	CSY	MT	9,347	13,789	12,950	26,397

39. It is noted from the information placed on record that

- the performance of the yarn produced through three technologies has varied very significantly over the injury period.
- the domestic industry recorded financial losses in PSY technology product. This is the product where import competition and increase in imports is high.
- while the domestic industry has recorded profits in CSY, the same have declined over the injury period. This is the product where imports are competing.
- the profitability of the domestic industry has remained almost similar and significantly high in the case of SSY technology.

40. The fact that the domestic industry's performance in case of PSY deteriorated steeply to a situation of losses (where imports competition is highest), and performance in CSY technology was also impacted (where imports are competing to a lower degree) and the performance is almost insulated in SSY, where there are no Chinese imports of SSY. It is sufficient to hold that imported PSY is not competing with the domestic industry's SSY, whereas imported PSY is competing with the domestic industry's PSY.

41. It is therefore seen that a yarn produced through SSY technology is not a like article to the imported product. The Authority has therefore found it appropriate not to consider viscose filament yarn producing through SSY as like article to the product under consideration for the purpose of the present determination.

➤ Like article

42. It is seen from the information available on record that the product produced by the domestic industry, i.e., viscose filament yarn produced using PSY and CSY technology is like article to the product under consideration imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry are the like article to the product imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.
43. On the basis of submission made by the domestic industry and other interested parties, the Authority concludes the following with regard to scope of product under consideration as below: -

“The product under consideration is Viscose rayon filament yarn/thread classifiable under customs classification 5403, excluding yarn produced through spool spun technology, and ready to use embroidery thread which is classifiable under customs classification 5401. Further, both dyed and undyed yarn are within the scope of the product under consideration.”

➤ PCN methodology

44. The Authority proposed a PCN methodology vide letter dated 9th November 2022 and invited comments on the same from the interested parties. Based on the comments received, the Authority notified the following PCN methodology for the purpose of the present investigation to the interested parties on 29th November 2022.

Parameters	Proposed PCN	Code Sign
Technology employed in production	a. Continuous Spun Yarn	a. CSY
	b. Pot Spun Yarn/Spool Spun Yarn	b. PSY/SSY
Denier of Yarn	a. Actual Denier	a. XXX
Number of times product has been twisted	a. Untwisted	a. UT
	b. One time twisted	b. OT
	c. Double twisted	c. DT
Dyed/Undyed	a. Dyed	a. DY
	b. Undyed	d. UNDY

45. However, having established that SSY yarn is neither part of product under consideration nor part of like article, the Authority has considered following PCN for the purpose of present final finding and the present determination:

Parameters	Final PCN	Code Sign
Technology employed in production	a. Continuous Spun Yarn	a. CSY
	b. Pot Spun Yarn	b. PSY
Denier of Yarn	a. Actual Denier	a. XXX
Number of times product has been twisted	a. Untwisted	a. UT
	b. One time twisted	b. OT
	c. Double twisted	c. DT
Dyed/Undyed	a. Dyed	a. DY
	b. Undyed	b. UNDY

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission made by the other interested parties

46. None of the other interested parties have made any submission with regards to the scope of domestic industry and standing.

D.2. Submission made by the domestic industry

47. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
- The present application has been filed by Association of Man-Made Fibre Industry Limited and M/s Grasim Industries Limited.
 - The association has provided all the relevant documents.
 - The Grasim Industries Limited has neither imported the product under consideration nor is related to the exporter from the subject country or any importer in India.
 - There were two other producers of the subject goods, namely Baroda Rayon Limited and NRC Limited, who had shut down their plant due to the presence of low-priced imports.
 - Cygnnet industries limited was intermittently forced to suspend production.

D.3. Examination by the Authority

48. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers".

49. The application has been filed by the Association of Man-Made Fibre Industry of India and Grasim Industries Limited. Relevant information and documents have been provided by the association.
50. The Authority notes that M/s Grasim Industries Limited constitutes 96% of the total Indian production. Further, the producer has certified that it is not related to any importer in India or exporter of the subject goods in the subject country and has not imported the subject goods from the subject country.
51. The Authority concludes that M/s Grasim Industries limited constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**E.1. Submission of the other interested parties**

52. The other interested parties have submitted the following with regards confidentiality:
- The domestic industry has reported different NIPs at different pages of the PCN wise data.

E.2. Submission of the domestic industry

53. The domestic industry has submitted the following with regards confidentiality:
- As per the non-confidential response, producers have not provided any response to the basis for adjustments claimed in the export price. The Authority is requested to kindly direct them to claim their basis for adjustments.
 - Pro-Mexx Industrial, Jilin Top, Jilin Fiber Stock & Jilin Enka and Hengjin Silk has claimed excessive confidentiality with regards to export sales adjustment and financial accounting system, which has prevented the domestic industry from making meaningful comments.
 - The Chinese exporters have failed to comply with the requirements of Trade Notice 10/2018 as information such as production process, raw material, related party information has been claimed completely confidential.
 - Jilin Fiber Stock & Jilin Enka have claimed their organizational structure as confidential despite it being available in public domain.

E.3. Examination by the Authority

54. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).
55. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (4) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule @, if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information. "

56. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submission of the other interested parties

57. The miscellaneous submissions made by the other interested party are as follows:
- a. Initiation of investigation is short of legal and factual basis as there is insufficient evidence. The Authority did not carry out enough scrutiny before initiating the investigation.
 - b. The applicant is a habitual user of trade remedies as various products such as viscose staple fibre, viscose filament yarn, caustic soda, epoxy, flax yarn and insulators have been subject to anti-dumping investigations.
 - c. The applicant has not provided the updated data as per the PCN notification finally notified by the Authority.
 - d. Competition Commission of India has penalized the applicant for unfair trade practices with respect to supply of a certain staple fibre to spinners.
 - e. Imports of viscose filament yarn have been subject to anti-dumping duty for 12 years. The continuous reduction of duties discourages liberalization of international trade, offsets reduction in customs duty from 20% to 5%, and undermines commitments given to WTO.
 - f. PCN-wise data shared is not corresponding to the final PCN prescribed by Authority as the applicant has considered the term "OCSY" and has given different NIPs at different pages.

F.2 Submission made by domestic industry

58. The miscellaneous submissions made by the domestic industry during the investigation proceedings are as follows:
- a. As regards the contention that the applicant did not contain sufficient evidence, the other interested parties have not shown what proper evidence the applicants have not provided.
 - b. As regards the contention that the updated data has not been shared with all the parties, the applicants have circulated the updated data as per PCN notification through mail dated 6th February 2022 to all interested parties.
 - c. The CCI decision has been challenged by the domestic industry before NCLT. Further, the present investigation is dumping of subject goods from China. The anti-competitive practice of the domestic industry is beyond the purview of the present investigation. The same issue was rejected by the Authority on the same ground as stated above in SSR investigation of VSF.
 - d. It is clarified that the term "OCSY" in the updated data pertains to "PSY" and "SSY".

- e. Barring a few exceptions, users have never raised concerns of significant lead time with the domestic industry but they are raising it for the first time in front of the Authority.

F.3 Examination by the Authority

59. It has been contended that the initiation was bad in law, as the application did not contain sufficient evidence of dumping and injury. The Authority notes that Rule 5(2) requires the applicant to provide evidence to substantiate existence of dumping, injury, and causal link. The application filed contains evidence to *prima facie* establish all the three parameters. The Authority has examined the evidence provided by the applicant and after finding that sufficient information required for initiation has been provided, the investigation was initiated.
60. As regards the penalty imposed by Competition Commission of India for unfair competition, the Authority considers that (a) the decision of the Competition Commission of India pertains to non-product under consideration, and (b) the issue falls under the domain of the Competition Commission of India. The Authority notes that the scope of the present investigation is with regards to allegation of dumping causing injury to the domestic industry, and whether there is sufficient justification for imposition of anti-dumping duty on imports of product under consideration from China PR.
61. It has been contended that users face significant lead time in the orders placed with the domestic industry. The Authority notes that during the physical verification conducted at the premises of the domestic industry, it was shown that time required to produce the subject goods using PSY technology is 10 days, CSY technology 7 days and SSY technology 14 days. The domestic industry contended that an order placed with the Chinese producers will require atleast the same number of days to produce and additional time for shipment. Further, the domestic industry has also submitted that it has not faced any complaint regarding any exceptional lead time barring a few exceptions. The Authority notes that the user industry has not provided any evidence in support of their submission of significant lead time. Therefore, the argument cannot be accepted.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submission of the other interested parties

62. The following submissions have been made by the other interested parties on normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation:
- a. China should be granted market economy treatment as China's Accession Protocol has expired in December 2016.

G.2. Submission of the domestic industry

63. The following submissions have been made by the domestic industry on normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation:
- a. The Authority in various past investigations has considered China as non-market economy. There is no merit in the contention to treat China as market economy.
- b. The responding producers were required to provide a basis of adjustments claimed in the export price. However, no basis for adjustments has been provided.
- c. Xinxiang Chemical Fibre Co., Ltd. has a related producer namely Xinxiang Bailu Worsted Technology Co., Ltd. which is also a producer of the subject goods. Bailu were required to file separate EQR. The Authority must examine the DGCI&S data to examine whether the produces have exported the subject goods to India or not. If there are any exports, the response filed by Xinxiang must be rejected and the Authority must determine dumping margin on the facts available.

G.3. Examination by the Authority

64. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

65. The Authority notes that the following and exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses-
- i. Boading Hengjin Silk Thread Co. Ltd.
 - ii. Jilin Chemical Fibre Stock Co. Ltd.
 - iii. Jilin Enka Viscose Co., Ltd.
 - iv. Jilin Top Trading Co. Ltd.
 - v. Pro-Mexx Industrial Development Co. Ltd.
 - vi. Goaxian Changxin Thread LLC
 - vii. Grace (Hong Kong) International Trading Limited
 - viii. Yibin Hiest Fibre Limited Corporation
 - ix. Sichuan Wellshow International Trade PTE Ltd.
 - x. Yibin Changxin Thread Co., Ltd.
 - xi. Xingxiang Chemical Fibre Co., Ltd.

G.3.1. Normal Value and Export price for China PR

Normal value for China PR

Market Economy Status for Chinese Producers

66. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

67. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per the provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.
68. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti-dumping read with the obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I to the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire upon claiming the market economy status
69. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/ information, the normal value have been determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules which read as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines ds not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such d presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment vid compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization. "

70. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.
71. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in case of a non-market economy contained in the Supreme Court judgement in Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs. M/s Exide Industries Ltd. (Civil Appeal No. 617112003 dated 23/12/2005), Guwahati high Court in M/s Century Plyboards (I) Ltd. & Anr. V. union of India & Anr. (W.P. No. 6568/2017 dated 4/10/2018) and CESTAT Principal Bench, New Delhi in Apollo Tyres Ltd. v. Union of India (Appeal No. C1768,600,601,773,769/2005-AD dated 9/9/2005), Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. v. Union of India (Appeal no. 52291 of 2019 dated 5th August 2020). These judgements provide directions regarding implementation of Para 7 of Annexure I of the Rules with respect to the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.
72. The Authority notes that the prices or the constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, have neither been made available by the applicant or an interested party, nor are available with the Authority from any public source. The Authority notes that the Authority is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested parties. It is also noted that neither the domestic industry nor the interested parties have provided any verifiable information which could have been adopted by the Authority. Further, it is noted that the product under consideration does not have a dedicated customs classification. Consequently, the normal value cannot be determined based on exports from a market economy third country to other country. Thus, the Authority is of the opinion that the only option available is to determine the normal value considering the price actually paid or payable in India for the like article. The normal value has been determined considering the optimized cost of production in India after addition for the selling, general & administrative expenses and the reasonable profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Export Price

Yibin Hiest Fibre Limited Corporation (“Hiest”), Gaoxian Changxin Thread LLC (“Gaoxian CX”), Yibin Changxin Thread Co., Ltd. (“Yibin CX”), Grace (Hong Kong) International Trading Limited (“Grace HK”) and Sichuan Wellshow International Trade Pte. Ltd. (“Sichuan Wellshow”) (Hereinafter collectively referred to as “Hiest Group”)

73. Yibin Hiest Fibre Limited Corporation (“Hiest”), Gaoxian Changxin Thread LLC (“Gaoxian CX”) and Yibin Changxin Thread Co., Ltd. (“Yibin CX”) are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. Hiest has exported the subject goods directly to unrelated customers in India and also through related trading companies, Grace (Hong Kong) International Trading Limited (“Grace HK”) and Sichuan Wellshow International Trade Pte. Ltd. (“Sichuan Wellshow”). Gaoxian CX and Yibin CX have exported the subject goods to India through Hiest and Grace HK. Hiest Group has also exported minuscule quantities of subject goods through unrelated traders to India. All the 5 related companies in Hiest group, namely, Hiest, Yibin CX, Gaoxian CX, Grace HK and Sichuan Wellshow have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format.
74. It is noted that during the POI, Hiest has produced and exported ***MT of subject goods directly to unrelated customers in India, ***MT of subject goods has been exported to India through related exporters and *** MT of subject goods has been exported to India through unrelated exporters. Gaoxian CX has produced and exported *** MT of subject goods to India through Hiest & Grace HK and *** MT of subject goods through unrelated exporters. Yibin CX has produced and exported *** MT of subject goods to India through Hiest & Grace HK and *** MT of subject goods through unrelated exporters.
75. Hiest Group has provided PCN wise details of exports to India in the prescribed formats. Hiest Group has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related

expenses, bank charges and credit cost. The Authority has accepted the response filed by Hiest Group and allowed all the adjustments claimed by them. The Authority has also adjusted the loss incurred by trader from the export price. With respect to minuscule quantities of exports made through unrelated exporters, Authority has determined the export price based on facts available. The weighted average PCN wise ex-factory export price has been considered for determination of dumping margin and is shown in the dumping margin table.

Jilin Enka Viscose Co., Ltd, (“Jilin Enka”); and

Jilin Chemical Fiber Stock Co., Ltd (“Jilin Chemical”)

76. During the POI, Jilin Chemical has produced and directly exported *** MT of PUC to India. Jilin Enka produced and directly exported ***MT of PUC to India during the POI. Further, ***MT of PUC produced by Jilin Enka was exported to India through Jilin Chemical. Post the POI, Jilin Enka has ceased its operations and has merged with Jilin Chemical.
77. Both companies of Jilin Group provided the relevant information in the form and manner required and have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges, port and other expenses, and credit cost. The Authority has undertaken desk verification of the information submitted by Jilin Group and examined its claims and accordingly, the adjustments in export price have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for both the companies i.e., Jilin Chemical and Jilin Enka, along with Jilin Group has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Baoding Hengjin Silk Thread Co., Ltd (“Baoding Hengjin”)

78. Questionnaire response was filed by Baoding Hengjin Silk Thread Co., Ltd. It is seen that company has sourced viscose filament yarn from several other Chinese producers, undertook further process (of twisting) based on customer requirement and then resold it to unrelated traders who then sold the goods to another unrelated trader, who then exported the goods to India. In other words, the company has bought one form of product under consideration from other Chinese producers (and reported the same as its raw material), undertook further process of twisting and then sold it to unrelated traders. It is noted that the company has not produced viscose filament yarn and has merely processed purchased viscose filament yarn. Since Baoding Hengjin Silk Thread Co., Ltd. has merely converted one form of product under consideration into another form of the product under consideration, it is considered inappropriate to grant an individual dumping margin to the company.

M/s Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd.(Producer/Exporter) China PR and M/s C3 Multi Commodities Limited (Exporter/Trader) China PR

79. Xinxiang Chemical Fibre Co., Ltd. is a company limited by shares incorporated in China under the Company Law of China. There was no change in the structure of the Company in the last three years.
80. During the POI, Xinxiang Chemical Fibre Co., Ltd. has exported ***MT of subject goods of invoice value ***US\$ to India, out of which ***MT of invoice value ***US\$ has been exported directly to India and rest ***MT of invoice value ***US\$ has been exported to India indirectly through an unrelated company namely, C3 Multi Commodities Limited on CIF basis.
81. Xinxiang Chemical Fibre Co., Ltd., China PR has claimed adjustment on account ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, bank charges and the same have been allowed by the Authority after desk verification. Accordingly, PCN-wise export price at ex-factory level for Xinxiang Chemical Fibre Co., Ltd., China PR has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table.

Determination of net export price

82. The net export price for non-cooperative producers/ exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

83. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling

related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.

84. Considering the normal value and export price, the dumping margin has been determined as below-

Dumping margin table

Producer	CNV (USD per MT)	NEP (USD per MT)	Dumping margin (USD per MT)	Dumping Margin %	Dumping margin % range
Yibin Hiest Fibre Limited Corporation	***	***	***	***	20-30
Gaoxian Changxin Thread LLC	***	***	***	***	10-20
Yibin Changxin Thread Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
Heist Group	***	***	***	***	20-30
Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd	***	***	***	***	0-10
Jilin Enka Viscose Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
Jilin Group	***	***	***	***	0-10
	***	***	***	***	
Other producers/ exporters	***	***	***	***	20-30

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by other interested parties

85. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- a. Increase in imports is due to increasing demand which cannot be catered by the applicant as there is a demand and supply gap.
- b. The applicant's machines are obsolete and therefore, the users prefer to import the product.
- c. The applicant is operating at ideal capacity and cannot suffer volume injury as its domestic sales and production have been constant.
- d. The decline in the production is due to the decline in the export sales volume.
- e. In the anti-subsidy investigation, the Authority had concluded that the material injury caused to the applicant was not due imports. Only 1 year has passed since the conclusion of that investigation and the facts have remained same.
- f. There is no adverse price impact. The price of the imported product is higher than the price of the applicant.
- g. There are discrepancies between the data provided in the application and the annual report of the applicant.
- h. As per annual report of the applicant, it was operating at reasonable profits. Further, even in the annual reports and investor presentations, the applicant has admitted on decline in imports and increase in the performance.
- i. The Authority is requested to examine the reason for decline in the capital employed but increase in capacity.
- j. As per the quarterly reports published by Grasim, the performance of VFY division has improved in the year 2022-23.

- k. The cost of production of the Chinese producers is low as they run their machines for 24 hours. Level of automation in China is significantly higher as compared to India. The machines set up by the applicants are obsolete technology and have been in existence since 1960.
- l. The applicant has claimed that it has removed the impact of Covid -19 in the data of 2020-21. The Authority is requested to kindly disclose the methodology adopted.
- m. Covid-19 shutdown in the year 2021-22 would also have impacted the operations of the applicant. The Authority is requested to kindly remove the impact of Covid from the period of investigation as well.
- n. A benchmark rate of return of 22% on capital employed for NIP purpose should not be allowed.
- o. There is no merit in the argument of the applicant that actual production and actual raw material cost should be considered for NIP purpose. The law mandates normation.
- p. There are other factors which have caused injury to the domestic industry. The Authority is requested to segregate the impact of these other factors.
- q. The domestic industry is suffering from injury due to other factors such as capacity expansion, Covid 19 and change in demand in the domestic market from coarse denier to fine denier.
- r. The imported product is higher priced than the product supplied by the domestic industry and therefore, the import price cannot have any suppressing/depressing impact on the prices of the applicant.
- s. If the performance of PSY, CSY and SSY technologies is clubbed, it would show that the domestic industry is performing reasonably well.
- t. Domestic consumption of the subject goods in China has declined because fabrics are now being manufactured in India and exported to other countries.

H.2. Submission made by the domestic industry.

86. The domestic industry party has made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - a. Imports from the subject country have shown an increase in both absolute and relative terms.
 - b. The applicant has undertaken unwarranted exports. While the applicant has not claimed volume injury, the unwarranted exports highlight the detrimental effects of dumping.
 - c. Due to imports being inevitable, the domestic industry sets prices based on the offers of foreign suppliers, disregarding their own costs.
 - d. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry has been unable to increase its prices in the same proportion to increase in cost as its prices are suppressed.
 - e. The increase in capacity was only 3% since the base year through de-bottlenecking. The decline in capacity utilization is not due to the increase in capacity.
 - f. As regards the argument of the interested parties that the domestic industry is suffering injury due to other factors, no particular reason has been highlighted by the other interested parties to show injury only in the period of investigation. It is incorrect to assume that dumping should be the sole cause of injury to the domestic industry.
 - g. The decline in the inventory of the domestic industry is due to price correction and exports to prevent piling up of inventory.
 - h. As regards the argument that the domestic industry has expanded its capacity, but capital employed has declined, the increase in capacity is only of 5000 MT and the decline is due to the decline in the working capital.
 - i. The performance of the domestic industry is adverse as compared to the previous investigation wherein the Authority found that the domestic industry was suffering injury.
 - j. The Authority in the previous investigation held that the injury suffered was due to capacity expansion. 4 years has passed since the capacity expansion and any impact of it can now be ignored.

H.3. Examination by the Authority

87. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles. . .". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would

have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

88. The Authority has taken note of the various submissions made by the other interested parties and the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
89. As regards the contention that the domestic industry also suffered due to Covid lockdown in the period of investigation and its impact should be removed. The domestic industry has submitted that in the year 2020-21, the plant of the domestic industry was shut down from 1st April 2020 to 9th June, 2020 and it undertook no production during the period. Further, the domestic sales during this period were also very low. However, during the period of investigation, the plant of the domestic industry was under operation and there was no shut down. Therefore, no such adjustment has been made in the cost of production claimed for the period of investigation.
90. It has been contended that the Authority had just two years back found that injury suffered is due to the capacity expansion undertaken by the domestic industry. The Authority notes that the capacity expansion by the domestic industry was undertaken in 2019-20 and two years have elapsed, and the operations of the domestic industry have stabilized. The year 2019-20 is now the base year and therefore deterioration in performance of the domestic industry vis-à-vis this period could not have been due to the capacity expansion. The fact that profit before tax, cash profits and the profit before interest have declined so steeply shows that the injury suffered may not be due to excessive depreciation or any financial cost incurred due to capacity expansion. The Authority examined the trends in depreciation and financial expenses and found that these have in fact declined in this period whereas profit before tax has significantly declined.
91. It has been contended that the domestic industry suffers from higher cost of production as compared to the Chinese producers. The Authority notes that the comparison with the Chinese producers cannot be made as they are operating under nonmarket economy. However, even if the submission is considered, it is also required to be considered that the domestic industry was able to earn adequate profits in the past. The profitability of the domestic industry has taken a significant decline in the period of investigation alone. The decline in profits over the injury period could not have been due to alleged higher costs in India. Therefore, it cannot be accepted that the domestic industry inherently suffers from high cost.
92. The interested parties have contended that the domestic industry's production and sales have increased because it binds the consumers to buy poor as well as normal quality products together. The Authority notes that the interested parties have not brought forward any evidence of such restrictions imposed by the domestic industry. Therefore, the contention cannot be accepted. Further, it is not established how the domestic industry's performance would deteriorate because of its efforts to sell the entire production. In normal circumstances, this should have led to curtailment of injury.
93. As regards the statements made in the annual report, the Authority notes that the VFY division of the annual report includes other products, such as NTCF. Furthermore, some of the statements made on the improvement in performance are in relation to improvement as compared to 2020-21, when it suffered due to Covid -19. It is also noted that the annual report includes performance relating to SSY, and the petitioner itself has contended that its performance in SSY has not declined. The petitioner contended that the fact that performance declined for PSY & CSY, while did not decline for SSY shows that the decline in performance is due to Chiense dumping. The Authority notes that the injury is required to be seen qua the product under consideration only. In any case, the Authority has verified the data provided by the domestic industry from the books and accounts and recorded the present final findings based on the verified information.

H.3.1. Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of demand/apparent consumption

94. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand/apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of Indian producers and the imports from all sources.

Demand/Consumption	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	59	103
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	80	21

Imports from China	MT	16,158	25,674	25,255	45,677
Trend	Indexed	100	159	156	283
Imports from other countries	MT	538	629	474	411
Trend	Indexed	100	117	88	76
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	91	143

95. It is seen that there is a significant increase in the demand for the product under consideration in the period of investigation. The demand increased in 2019-20 but declined in 2020-21 due to the Covid outbreak. The demand increased once again in the period of investigation.

b. Import volumes from subject country.

96. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The factual position is as follows.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Imports from China PR	MT	16,158	25,674	25,255	45,677
Trend	Indexed	100	159	156	283
Subject Country Imports in relation to					
Total Imports	%	97%	98%	98%	99%
Indian Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	162	256	336
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	172	197

97. It is seen that:

- The volume of imports from the subject country has increased consistently over the injury period and sharply in the period of investigation.
- The imports from the subject country in relation to Indian production and consumption has increased throughout the injury period and in the period of investigation.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

98. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, the price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting

99. Since large number of PCNs are involved, the Authority has considered PCN wise analysis of price undercutting. The Authority has compared the import price of each PCN with the selling price of the domestic industry for the PCN. It is seen that the price undercutting is positive (Rs*** pmt, or ***%). It is thus seen that the landed price of the subject imports was below the selling price of the domestic industry. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry in the period of investigation. The table below shows the PCN wise price undercutting.

SN	PCN	Imports	Landed Value	NSR	PU	PU
		MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%
1	PSY1200TUNDY	8,078	3,40,905	***	***	***

2	PSY120DTUNDY	5,315	4,18,557	***	***	***
3	PSY075OTUNDY	1,119	4,71,053	***	***	***
4	PSY150OTUNDY	1,047	3,60,246	***	***	***
5	PSY116OTUNDY	1,094	3,53,449	***	***	***
6	PSY115OTUNDY	856	3,77,171	***	***	***
7	PSY040OTUNDY	634	7,55,226	***	***	***
8	PSY050OTUNDY	469	6,54,822	***	***	***
9	PSY100OTUNDY	262	3,83,292	***	***	***
10	PSY060OTUNDY	134	5,36,448	***	***	***
11	PSY118OTUNDY	179	3,42,518	***	***	***
12	PSY112OTUNDY	75	3,23,151	***	***	***
13	PSY300OTUNDY	20	3,10,614	***	***	***
14	CSY120UTUNDY	9,055	3,51,683	***	***	***
15	CSY060UTUNDY	5,168	5,43,598	***	***	***
16	CSY058UTUNDY	4,891	5,48,177	***	***	***
17	CSY050UTUNDY	3,247	6,73,868	***	***	***
18	CSY075UTUNDY	1,964	4,65,692	***	***	***
19	CSY112UTUNDY	664	3,47,625	***	***	***
20	CSY040UTUNDY	659	7,11,364	***	***	***
21	CSY100UTUNDY	217	4,57,508	***	***	***
22	CSY039UTUNDY	193	7,21,579	***	***	***
23	CSY049UTUNDY	129	6,82,607	***	***	***
24	CSY030UTUNDY	131	7,16,796	***	***	***
25	CSY300UTUNDY	46	3,93,105	***	***	***
26	CSY086UTUNDY	22	4,16,406	***	***	***
27	CSY070UTUNDY	11	4,53,403	***	***	***
28	Total	45,677	4,50,363	***	***	***

b. Price suppression and depression

100. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress the prices to a significant degree or prevent the price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and the prices over the injury period have been examined.

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend		100	104	111	116
Selling Prices	₹/MT	***	***	***	***
Trend		100	101	100	105
Landed price	₹/MT	***	***	***	***
Trend		100	95	88	92

101. It is seen that both costs and prices increased over the period. However, the increase in the price was lower than the increase in costs. The Authority also notes that any comparison with import price on average basis may not be appropriate because of the presence of large number of PCNs. It is thus seen that the imports were undercutting the prices of the domestic industry in the market, and the same has resulted in price suppression suffered by the domestic industry. Dumped imports prevented the domestic industry from increasing its prices in the market.

H.3.3 Economic parameters of domestic industry

102. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investment or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investment. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

103. The Authority has examined the injury parameters objectively, taking into account the various facts and arguments made by the interested parties.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic and export sales

104. The information regarding the capacity, production, capacity utilization, domestic and export sales of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	101	103
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	57	97
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	56	94
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	59	103
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	53	73

105. It is seen that:

- a. The domestic industry has marginally expanded its capacity through the bottlenecking. The domestic industry's capacity is lower than the demand in the country.
- b. The production declined in 2019-20, further declined in 2020-21 but has increased in the period of investigation. The decline in the production in intervening period was due to Covid-19. The production increased in the period of investigation. However, production in POI was still lower than production in 2019-20, despite capacity addition. The production of the domestic industry is also lower than the production in the base year.
- c. The capacity utilization of the domestic industry has declined over the injury period. While the decline in the intervening period was due to Covid, the capacity utilization in the POI was lower than the base year.
- d. The domestic sales of the domestic industry declined till 2020-21 but have increased thereafter.
- e. The exports of the domestic industry have declined.
- f. The domestic industry has submitted that it has undertaken exports in order to prevent pileup of inventories.

b. Market share in demand

106. The information regarding the market share is given below: -

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	65	72
Other Indian producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	88	14
Indian industry as a whole	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	70	60
Imports from China	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	172	197
Other Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	97	53

107. It is seen that the market share of the subject imports has increased throughout the injury period. On the other hand, the market share of the domestic industry declined till 2020-21. Even though the market share marginally improved in the POI, the same is still materially lower than 2019-20 and 2020-21.

108. The market share of the other producer has declined sharply in the period of investigation. While its market share was declining over the injury period, the decline in the POI was very significant.

109. The market share of Indian industry as a whole has declined steeply over the injury period.

c. Inventories

110. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	137	106
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	170	132	75
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	135	92

111. It is seen that the average inventory of the domestic industry has declined as the domestic industry's domestic sales increased.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed.

112. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	15	10
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	9	10
Cash profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	32	43
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	63	13	8
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	67	13	7

113. It is seen that-

- i. The per unit profit of the domestic industry has declined by ***% over the injury period. The domestic industry has seen a significant adverse impact of the low-priced imports.
- ii. While the per unit profit declined consistently over the injury period, the decline was significant in 2020-21 and 2021-22.
- iii. The profitability of the applicant has consistently declined over the injury period.
- iv. The profit before interest and tax in Rs Lacs has also declined from Rs *** lakhs in the base year to Rs *** lacs in the period of investigation. Per unit profit before interest and tax has also declined by ***% over the injury period.
- v. Cash profit earned by the domestic industry declined in 2019-20 and then further declined in 2020-21. The cash profit has increased thereafter in 2021-22 due to the increase in domestic sales.
- vi. The cash profit per unit earned by the domestic industry has declined from Rs ***per MT to ***per MT. it is seen that there is a decline ***% decline in the cash profit per unit earned by the domestic industry.
- vii. Return on the capital employed (ROCE) has declined significantly over the injury period from ***% to ***%. The ROCE in the POI was abnormally low.

e. Employment, wages and productivity

114. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	79	123
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	93	91
Productivity per day	MT/days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	57	97
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	50	100

115. It is seen that:

- i. The wages paid by the domestic industry have increased in the period of investigation.
- ii. The number of employees has declined throughout the injury period. This is despite the increase in capacities.
- iii. The productivity of the domestic industry has declined till 2020-21 but increased in the period of investigation as production increased.
- iv. The domestic industry has submitted that these factors are not dependent on the performance of the product under consideration and therefore, does not reflect the injury suffered.

f. Growth

116. The domestic industry has recorded a positive growth in the volume parameters such as domestic sales, production, capacity utilization and market share. However, the price parameters such as per unit profitability, cash profits and PBIT in Rs Lakhs and the return on capital employed have shown a negative growth.

Sl. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	POI
1	Production	Y/Y	-4%	-41%	70%
2	Domestic Sales	Y/Y	-9%	-35%	75%

3	Capacity Utilisation	Y/Y	-4%	-42%	68%
4	Market Share	Y/Y	-18%	-20%	10%
5	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	-20%	-81%	-38%
6	PBIT - ₹ Lakhs	Y/Y	-37%	-80%	-34%
7	Cash Profit ₹ Lakhs	Y/Y	-20%	-60%	38%
8	ROI	Y/Y	-33%	-78%	-38%

g. Ability to raise capital investment.

117. The domestic industry is earning abysmally low return on its capital employed. The domestic industry has submitted that to bridge the demand and supply gap, an investment to the tune of Rs 4,000 crores is required. However, the Chinese dumping is preventing industry from making this kind of investment and the gap is widening.

I. CAUSAL LINK

118. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

119. The Authority notes that the imports from other countries are insignificant.

b. Contraction in demand and/or change in pattern of consumption.

120. It is seen that the demand for the subject goods has significantly increased in the period of investigation as compared to the previous year.

c. Trade restrictive practices

121. No interested parties have produced any evidence relating to any known trade restrictive practice.

d. Development in technology

122. The Authority notes that the technology for the production of the subject goods has not undergone any change.

e. Export performance

123. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis.

f. Performance of other producers

124. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

125. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilization of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilization of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

126. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for the producers/ exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

Producer	NIP (USD per MT)	Landed value (USD per MT)	Injury margin (USD per MT)	Injury margin %	Injury margin % range
Yibin Hiest Fibre Limited Corporation	***	***	***	***	10-20
Gaoxian Changxin Thread LLC	***	***	***	***	0-10
Yibin Changxin Thread Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
Heist Group	***	***	***	***	10-20
Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd	***	***	***	***	10-20
Jilin Enka Viscose Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
Jilin Group	***	***	***	***	0-10
Other producers/ exporters	***	***	***	***	10-20

127. It is seen that the injury margin in respect of the cooperating producer as well as all other producers is positive.

K. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

K.1. Submission made by other interested parties.

128. Post disclosure comments made by other interested parties are as follows:

- i. Look and feel can never be a criterion to include or exclude a product. Garment manufacturers buy fabric without differentiating between technology used for the production of fabrics. Irrespective of manufacturing process, VFY produced through the three technologies has alike characteristics.
- ii. The Authority had not provided calculation of normal value and non-injurious price in the disclosure statement.
- iii. The quality of the subject goods from China PR is better than the Indian producers. The prices of the VFY from China PR is much higher than the domestic yarn, yet the customers in India choose the VFY exported from China PR due to better quality.
- iv. The anti-dumping duty should be recommended for a period of 2 to 3 years only.
- v. The quality of the goods manufactured by the domestic industry is not upto the international standard.
- vi. The downstream MSME industry engaged in power loom, weaving and knitting will be adversely affected with the imposition of duty.
- vii. Since the non-injurious price and the normal value have been claimed confidential, the exporters are unable to comment if the PCN wise comparison is appropriate.
- viii. The Authority has not made adjustment in the economic parameters of the domestic industry for the period of investigation on the ground that there was no plant shutdown. Even if there was no plant shutdown, normal functioning of the business were impacted during this period due to Covid. This has been admitted by the applicant in the annual report.
- ix. The Authority has not disclosed the actual landed price of imports and PCN wise undercutting in the disclosure statement.
- x. When compared to the base year of the countervailing duty investigation, the cost of sales of the applicant have increased by 40%. However, the prices of caustic soda and pulp has not increased at the same time.
- xi. The Authority may recommend PCN wise reference price form of anti-dumping duty as the downstream industry is of MSME nature and there is a large demand and supply gap.
- xii. Fixed duty may lead to stoppage of imports and may lead to shortage of supply and can adversely affect the performance of downstream products and the entire value chain of textile products.

- xiii. Baoding Henjing Silk Threads should be granted an individual form of duty. Scope of initiation clearly includes both yarn and threads and there is no requirement in the initiation to manufacture right from the yarn stage.
- xiv. As per the panel report in case of Anti-Dumping Measures on Farmed Salmon from Norway, a 'producer' is any manufacturer which brings a product into existence.
- xv. In the anti-dumping investigation concerning imports of Aluminum foil of <80 microns from China PR, the Authority held that the manufacturers that imported thicker foil stock and downgraded it into the product were valid domestic producers.
- xvi. In the initiation notification finalizing the PCN methodology and including yarn produced through SSY technology inside the scope of the investigation, the Authority had noted that no further modifications would be entertained in that regard. Now, the Authority has changed its stand.
- xvii. If the Authority has excluded yarn produced using SSY technology from the product scope because of difference in raw materials, the Authority should apply the same standard and exclude yarns made from bamboo pulp.
- xviii. Total imports of superfine denier of the product under consideration have been more than the total SSY sales of domestic industry in superfine deniers.
- xix. The domestic industry does not want to have its own products compete with each other in a particular market segment and it is because of this reason that it chose not to produce the product under consideration of super fine deniers using PSY technology.
- xx. If the Authority has excluded yarns produced using SSY technology from the product scope on the ground that the domestic industry is profitable in this segment, then the Authority should also remove superfine deniers from the scope of the product under consideration as that segment is profitable.
- xxi. Low-glue dull yarns are imported in different deniers like 60, 75, and 120 and the domestic industry only produces low glue dull yarn of 120 denier. Therefore, for all those deniers for which it has failed to provide evidence of commercial sales during the period of investigation, should be excluded.
- xxii. Prices of the domestic producer and exporters have been provided. The prices of imports are in fact higher.

K.2. Submission made by domestic industry.

129. Post disclosure comments made by domestic producers are as follows:

- a. If 100% rayon embroidery thread raw white on cone or on hank is intended to be imported as ready to use thread, the same is required to be classified under 5401 and without classifying the same as the product under consideration of the present investigation.
- b. Exclusion in the first investigation regarding embroidery was also given in respect of only embroidery yarn that too on the ground that it was not being produced by the domestic industry.
- c. Only products falling under 5401 should be exempted from the scope of the product under consideration and all other forms of VFY should be included within the scope of the product under consideration.
- d. One of the interested parties has contended that it can directly use the yarn in cone on embroidery machines. The party concedes that this is a rare application of embroidery thread in - cone for use on embroidery machine. However, this product is then classifiable under 5401, and not under 5403.
- e. The quantity and value reported by the responding exporters from the subject country is required to be matched with the quantity and value reported in the transaction-wise import data.
- f. The disclosure statement is incomplete as it does not contain facts found by the Authority with respect to profitability, cash profits and the return on capital employed.
- g. The Authority has allowed an unduly low return on capital employed while determining the non-injurious price. The return on capital employed is as low as 40-50%.
- h. The impact of a 5% anti-dumping duty on the eventual end product organza and georgette is only 1%.

K.3. Examination by the Authority

130. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the

relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

131. It has been contended that the price of imports is higher. The Authority has examined the transaction wise import data and compared the PCN wise import data. It is seen that the imports are infact priced lower than the domestic industry prices. The Authority also notes that the interested parties have provided price lists for domestic industry and exporters. However, the basis of these lists cannot be ascertained at such a belated stage of investigation.
132. As regards the comments on form and duration of the anti-dumping duty, the same have been duly considered by the Authority based on the facts of the case. A benchmark form of duty will not be appropriate considering the large number of PCNs involved. The Authority also notes that it is not established how the benchmark form of duty shall allow imports and fixed form of duty shall not allow imports. The purpose of fixing benchmarks form of duty is not to allow party to artificially realign the import price, but to allow parties to pay anti-dumping duty to the extent of the difference between reference price and landed price of import.
133. It is clarified that Authority has not excluded SSY technology yarn on the grounds of profitability in the segment. The Authority has excluded the yarn on the grounds that the performance of SSY technology yarn has remained more or less similar over the injury period whereas the performance of the product under consideration has significantly declined over the injury period. Relative difference in the performance of SSY and PSY has led to a conclusion (together with other facts) that the SSY sold by the domestic industry was not competing with the imported PSY.
134. As regards request for exclusion of yarn made from bamboo, cotton and wood pulp, the Authority notes that it has not been demonstrated that yarn made from bamboo, cotton and word pulp carries different characteristics, costs and prices. The same was not identified as a relevant criterion to differentiate costs and prices of the products. In fact, the Authority has considered yarn made from bamboo, cotton and word pulp as the same product in the previous determination also.
135. As regards exclusion of low glue dull yarn of 60 & 75 deniers, the Authority notes that the interested parties have stated that the domestic industry has produced and supplied low glue dull yarn of 120 deniers. In a situation where the domestic industry has produced and sold low glue yarn and has produced and sold yarn of 60, 70 and 125 deniers, the mere fact that the domestic industry has not produced and supplied a particular form of the product does not in itself justify exclusion. The Authority notes that there are potentially several PCNs involved. Several of these have not been imported during the POI while several of these have not been supplied by the domestic industry. It would not be appropriate to look for individual PCN production by the domestic industry. In fact, the Authority has prescribed a methodology for comparison of import with the domestic industry products where the domestic industry has not sold identical product.
136. As regards comparison of imports of super fine deniers with the sales volume of SSY made by domestic industry, the Authority considers that the volume of imports is lower than the volume of such sales made by the domestic industry. Further, the comparison cannot be made in absolute terms. Whereas super fine deniers constitute 4% of the total imports, super fine deniers constitute ***% of total SSY sales. It is also noted that whereas market share of Chinese imports was about 59% in the POI, the market share of the domestic industry was only ***%. The domestic industry sold *** MT, whereas the imports from China were 45,677 MT. Thus, in any way, absolute volumes are incomparable. Further, the Authority notes that what has remained unexplained is the fact found by the Authority that the performance of SSY has not been impacted while the performance of PSY has been impacted.
137. As regards the contention that look and feel can never be a criterion to include or exclude a product, garment manufacturers buy fabric without differentiating between technology and irrespective of manufacturing process, the Authority notes that the interested parties have themselves suggested segregating CYS and PSY as different product. These parties have themselves suggested segregation of CSY and PSY into two different PCNs on the grounds that cost and price of the product produced out of CSY and PSY significantly differs. The Authority notes that the product is classified into different PCNs on the basis of the criteria that the cost and price of the product varies significantly. Thus, if the interested parties concede that CSY and PSY carry significantly different costs and prices, it follows that they are not interchangeable, even though they are from two different technologies. Further, the interested parties have given no reason why the profitability of SSY remained unaffected and the profitability of PSY got impacted during this period when dumping has intensified in PSY. If PSY and SSY were interchangeable, the relative profitability of the two products would not have remained so materially different.
138. It is clarified that the information with regard to the PCN wise normal value, import price, landed price, price undercutting, NIP and injury margin all are in the nature of confidential business sensitive information. Therefore, the PCN wise landed price, which is derived from DGCI&S transaction wise data cannot be

publicized. Any information placed either in the disclosure statement or in the final findings shall become widely available for all times to come.

139. As regards the form of duty, the Authority notes that there are a large number of PCNs involved in the present case. In fact, the Authority has determined the non-injurious price for *** PCNs and landed price of imports for *** PCNs. Further, the list is non-exhaustive. There can be potentially a large number of other PCNs which can be produced and supplied during the duty period. It would, therefore, not be appropriate to fix reference price form of duty. Such duty would lead to a large number of potential PCNs having no reference price or attracting residual reference price.
140. As regards PCNs notified, it is clarified that the PCNs were notified to allow the interested parties to provide the relevant information. Notification of PCNs does not mean determination. In fact, the Authority does not make determination even at the stage of disclosure statement, leave aside notifying PCN to the interested parties.
141. Interested parties have contended that quality of Chinese product is superior. It has also been contended that the import prices are higher than the selling price of the domestic industry (due to better quality). However, the Authority notes that price undercutting by Chinese product is positive. In a situation where the imported product is superior in quality, it remained unexplained why the same was being imported at a lower price.
142. As regards the impact of COVID on operations, the Authority notes that the same was relevant for the year 2020. The POI in the present case is however 1st April 2021 to 31st March 2022. As far as the investigation period is concerned, operations of the domestic industry were not affected by the COVID related long duration lockdown. The domestic industry has continued production during the second wave of COVID. Notwithstanding, the primary form of injury in the present case is adverse price effect, and not adverse volume effect.
143. The Authority note that the increase in costs over the present injury period is ***% as against which the selling price increased by ***%. The Authority has not considered that cost of sales increased by ***%.
144. As regards determination of dumping margin for Baoding Henjing Silk Threads, the Authority considers that in a situation where the input raw material and output finished product of a producer are nothing but different forms of the product under consideration, the producer cannot claim dumping margin for the activity undertaken. As regard the reference to WTO Report, the Authority notes that the relevant issue is not whether the entity should be treated as a producer. The relevant issue is whether the company claiming individual dumping margin has converted raw material into finished product. The entity has converted merely one form of the PUC to other form of PUC. It cannot therefore claim individual dumping margin. The reference to foil stock on this issue is highly misplaced, as the input and output in that product are vastly different and two different products. The Authority had treated foil stock and foils as two different products (final findings no. 6/27/2020 dated 7th September 2021 for foil stock and Final finding no. 6/21/2020 – DGTR dated 18th June, 2021 for foil).
145. While one interested party has contended that the duty should be recommended for a period of 2 years, other interested party has contended the duty should be recommended for a period of 3 years. However, no justification has been given by either party why the duty should be restricted for a period of three years. The Authority notes that the interested parties presume that the duty, once imposed, shall remain in force for a period of five years. However, the Authority notes that any interested party is entitled to seek a review and revocation of duty upon expiry of one year.
146. With regard to the submission made by the domestic industry for low return allowed on capital employed, the Authority notes that NIP has been calculated in accordance with Annexure III of Anti-dumping Rules and consistent practice of the Authority.
147. With regard to the submission made by interested parties concerning 22% return on capital employed for calculating NIP, the authority notes that NIP has been calculated in accordance with Annexure III of Anti-dumping Rules and consistent practice of the Authority.
148. With regard to the submission made by the domestic industry that the disclosure statement is incomplete as it does not contain facts found by the Authority with respect to profitability, cash profits and return on capital employed. The authority notes that the same has been addressed in the present final findings.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

L.1. Submission of the other interested parties

149. The following submission have been made by the other interested parties on public interest:

- a. The product produced by the applicant cannot run on the speedy machines installed by the user industry.
- b. Users import the product because the quality supplied by the domestic industry is not good.
- c. The domestic industry cannot supply product under consideration with cones of 3.5 KG.
- d. Most of the weavers are MSMEs and small-scale manufactures of fabrics and anti-dumping duty will impact these spinners adversely.
- e. In the cost of production of viscose chiffon fabric, the cost of product under consideration is 60-70% of the cost of the fabric. The impact in such products will be higher.
- f. The Indian weavers have spent more than Rs 600 cr already and further Rs 400 cr are planned. The imposition of anti-dumping duty will significantly impact the investments planned.
- g. Users are forced to import because of the demand and supply gap.
- h. The yarn supplied by the spinners cannot run on air-jet machines.
- i. There is significant lead time in the orders placed with the domestic industry.
- j. The imported product is higher priced as compared to the domestic industry and the users import because of the quality.
- k. The users were not issued economic interest questionnaire by the Authority.
- l. The quantification of impact of anti-dumping duty presented by the domestic industry is grossly incorrect. The Authority is requested to quantify the impact of anti-dumping from the response of the spinners.

K.2. Submission of the domestic industry

150. The following submissions have been made by the domestic industry on public interest:

- a. VFY industry is providing employment to about 50000 families directly or indirectly.
- b. Small-scale weavers in India will rely solely on imports if the domestic industry declines. The domestic industry provides substantial support to weavers, unlike exporters.
- c. The domestic industry is continuously supporting the small weavers for their upliftment.
- d. The domestic industry is regularly selling the product who have air jet machine. The product produced by the domestic industry is able to run on advanced air jet machines.
- e. None of the users have raised concerns regarding the size of the cone supplied by the domestic industry. The interested parties have not provided any evidence to support their claims.
- f. The domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on end product. The impact on blended fabrics is 0.77% on a product price of Rs 5 USD/mtr and Rs 1.36 in case of an embroidery thread of Rs 340 per piece.
- g. None of the weavers have quantified the impact, which is the requirement of the user's questionnaire response.
- h. The subject goods produced by the domestic industry are the same as subject goods imported from the subject country. They two are technically and commercially substitutable. Consumers use the subject goods interchangeably. The domestic industry is a reliable supplier ensuring continuity of supplies.
- i. Chinese producers will operate with only sole objective of maximization of their revenue. If they don't find a buyer at their terms, they will switch to some other markets. Whereas the domestic industry has established themselves keeping the interest of users in mind.
- j. The consumer has to maintain a higher degree of inventory if they depend on imports. However, when they procure from domestic industry, the inventory holding could be kept lower. This will result in lower amount of capital blockage as compared to procurement from China PR.
- k. Consumer viability shouldn't rely on accessing raw materials at unfair prices. Fair market conditions were considered while setting up of plant by users. Preventing dumping and restoring fair competition shouldn't harm users' operations.

- l. Anti-dumping duty is a remedy against unfair price discrimination, promotes fair competition, and protects the industry in India. It does not restrict imports but ensures fair priced availability to consumers. The objective is to eliminate injury to the domestic industry and establish a level playing field.
- m. The purpose of imposition of anti-dumping duty has been recognized by Hon'ble Supreme Court in the matter of Reliance Industries Ltd. Vs. Designated Authority and the same is relevant in the present case.
- n. Imposing anti-dumping duty will not restrict imports but will ensure fair prices in the market.
- o. The users did not respond to the economic interest questionnaire, and they fail to show the impact of anti-dumping duty on end consumers.
- p. The demand supply gap does not justify dumping of the subject goods at unfair prices. If there is a gap between demand and supply, the same can be fulfilled by foreign producers at a fair price. CESTAT decision in the matter of GM Alloys Pvt Ltd. and others v. UOI, CESTAT has been relied on.
- q. The purpose of anti -dumping duty is to maintain a level playing field and prevent dumping. The purpose of custom duty reduction is however totally different and irrelevant to the present. VFY was subjected to the same rate of customs duty over the present injury period. The deterioration in the performance of the domestic industry is therefore not due to a decline in customs duty.

K.3. Examination of the Authority

151. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The Authority has found that the domestic industry is suffering price injury in the present case. Therefore, the imposition of the anti-dumping duty will prevent injury to the domestic industry.
152. The purpose of the antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
153. The Authority has considered whether the imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation. The Authority notes that there is no reason why the availability would reduce, particularly when the Chinese producers are operating with surplus capacities.
154. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. The domestic industry has provided information sought in the Economic Interest Questionnaire. The Authority notes that none of the users have quantified the impact of imposition of anti-dumping duty on end users. The Authority has relied on the information provided by the domestic industry and noted that the impact of imposition of anti-dumping duty on users would be insignificant. The Authority notes that the domestic industry has in the application, quantified the impact of the anti-dumping duty on the eventual end products. As per the information provided by the domestic industry, which was also available to the other interested parties, the impact on blended fabrics priced at 5 USD/MTR (around Rs 400/MTR) is 0.77% and Rs 1.36 in case of an embroidery thread of Rs 340 per piece. The Authority has additionally quantified the impact of the anti-dumping duty as per the response filed by the users. The Authority has considered impact based on the share of the product under consideration in their cost and selling price of the downstream product. It is seen that, the impact of the anti-dumping duties on their selling price varies between 0.5% and 3% depending on the type of the product under consideration consumed and the eventual end product produced. Therefore, if the user industry passes on increase in the cost to the downstream product, the impact of anti-dumping duty on the eventual end product is insignificant. Further, the impact of anti-dumping on the public at large and on the eventual end product on, ie. fabrics will be even lower.

155. As regards the submission on the quality of the product under consideration, the Authority has already addressed the submissions in the final finding above.
156. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports, nor it justify exports at dumping prices. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, the demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country.
157. The Authority finally notes that imposition of anti-dumping duty is in the interest of the public at large and the impact of anti-dumping duty on end consumers is insignificant.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATION

158. After examining the submission made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration in the present investigation is Viscose Rayon Filament Yarn.
 - b. The scope of the product under consideration includes Viscose Rayon Filament Yarn produced either through bamboo, cotton and wood pulp and of all deniers. Further, low glue dull yarn is included inside the scope of the product under consideration. Both dyed and undyed yarn are within the scope of the product under consideration.
 - c. Embroidery thread classifiable under 5401, which is ready to use is excluded from the scope of the product under consideration. Any product which is required to be classified under 5403 is included inside the scope of the product under consideration.
 - d. The domestic industry has provided yarns in cones with similar sizes which are being imported. The domestic industry has also provided invoices of sales made to spinners who use the product under consideration to spinners on air jet machines.
 - e. Yarn produced from SSY technology is not produced in China. Such production technology is only available in India and Europe. Since the product is not being imported into India from China, it cannot be included inside the scope of the product under consideration.
 - f. The Spool Spun Technology is different as compared to other technologies as it requires significantly higher investment, there is difference in the manufacturing process and difference in raw material.
 - g. The fact that the performance of the SSY division has been unimpacted despite increase in imports shows the absence of competition between them. Furthermore, the domestic industry has sold yarn produced from SSY technology in market segment where sales of PSY and CSY based yarns are low.
 - h. The application was filed by Association of Man-Made Fibre Industry of India and Grasim Industries Limited. The applicant is the major producer of the subject goods in India and constitute as domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the rules.
 - i. Three groups of producers of the product under consideration from China have participated along with their exporters. The Authority has not undertaken sampling and determined export price based on their response.
 - j. Baoding Hengjin Silk Thread Co., Ltd. had filed a questionnaire response. It is however seen that the company has simply converted one form of product under consideration to another form of the PUC. The company has not undertaken production of PUC and therefore, its response has been rejected.
 - k. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined, and the margins are significantly positive. No reason has been provided by the exporters for such a significant degree of dumping.
 - l. The examination of the imports of the subject goods shows that the volume of dumped imports from China has increased in the period of investigation. The imports have increased in both absolute terms and in relation to production and consumption.
 - m. PCN wise analysis shows that the imports are priced below the selling price of the domestic industry. The dumped imports are therefore undercutting the prices of the domestic industry.

- n. While the cost of sales has increased, the landed price has not increased at the same rate. The imports are priced below the selling price of the domestic industry and have prevented an increase in the prices. Therefore, it is seen that the dumped imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- o. The examination of the economic parameters of the domestic industry show marginal increase in the installed capacity, production and sales are significantly lower as compared to the capacity and demand in India.
- p. The market share of the domestic industry has increased in the POI but it is lower than as compared to the base year, the market share of the subject country is significantly increased in the POI as compared to the base year.
- q. The profitability, cash profits and ROCE of the domestic industry has significantly declined in the period of investigation. The profits of the domestic industry were at the lowest in the period of investigation.
- r. The return on capital earned by the domestic industry is lower than the bank rate of returns.
- s. The domestic industries ability to raise capital investment has been adversely affected.
- t. The Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.
- u. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers.
- v. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. None of the interested except the domestic industry have responded to the Economic Interest Questionnaire. No Economic Interest Questionnaire response has been filed by any users as well. The domestic industry has also provided a quantification of the potential impact of the duty.
- w. The Authority has quantified the impact of anti-dumping duty on the users. It is seen that the impact of the proposed measures will be between 1-3% considering the nature of the PUC being consumed. The Authority has additionally examined the impact on the eventual downstream product and it is seen that even if the user industry passes on the cost of anti-dumping duty, the impact on the eventual end consumers will be insignificant.
159. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules and having quantified the impact of imposition of anti-dumping duty, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
160. Considering the nature of the product under consideration and the large number of PCNs involved, the Authority considers that it would be appropriate to recommend anti-dumping duty as a percentage of the CIF value of the import price of the subject goods.
161. In view of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommend imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as a percentage of the CIF price of the goods, as indicated in Col. 7 of the duty table given below.

Duty Table

Sl. No.	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF
1	2	3	4	5	6	7
1	5403	Viscose rayon filament	China PR	Any country including	<u>Yibin Hiest Fibre Limited Corporation</u>	12.98

		yarn/thread produced through PSY or CSY		China PR	Gaoxian Changxin Thread LLC Yibin Changxin Thread Co., Ltd	
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Xinxiang Chemical Fibre Co. Ltd	5.48
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jilin Enka Viscose Co., Ltd. Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd	6.72
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than SN 1 to 3	20.87
5	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	20.87

N. FURTHER PROCEDURE

162. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority